खण्ड-281, अंक-3
मंगलवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(17 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. २२५–२२६
प्रश्नोत्तर	.. २२६–२५४
अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	.. २५४–२५७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२५७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को विवादार्थ लेने की मांग ..	२५७
'स्वतंत्र भारत' में गलत रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में शिकायत	२५७
सदस्यों को सूची के आधार पर बोलने का अवसर देने के संबंध में आपत्ति ..	२५८
नियम ५१ तथा काशी विश्वविद्यालय केअन्दर अराजकता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को विचारार्थ लेने की मांग	२५८–२६५
श्री त्रिवेनी सहाय द्वारा लिफ्ट तथा रास्ते में भीड़ के कारण सदन में आने में असुविधा के संबंध में शिकायत	२६५–२६६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—जारी) ..	२६६–२७९
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)	२७९–३११
नत्थी	.. ३१२–३१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम, शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम,श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा नन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ, दीक्षित, श्री
घासीराम शर्मा, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, ख़ी
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छंगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
गजन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बम्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
बृजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भामी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन, श्री (जिला आगरा)

रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायणसिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवा नन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ, छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण वाजपेयी, श्री

श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सिया राम गंवार, डाक्टर
सीता राम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बक्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ मार्च, १९७०

तारांकित प्रश्न

*१—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२—३—श्री जयराम यादय—

[छठे बुधवार के प्र० सं० ६–७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जिले में अंगूर की खेती के लिए ऋण देने की जानकारी

*४श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने अंगूर की बेलों के लिये लोन और सबसिडी देने की योजना बनाई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला मेरठ में १९६७–६८ १९६८–६९ में कितने काश्त कारों को अंगूर की काश्त के लिये लोन व सबसिडी दी गई है? क्या यह ठीक है कि जिला मेरठ में जो काश्तकार नहीं हैं और किसी प्रकार की भी काश्त नहीं करते हैं उन्हीं को लोन और सबसिडी दी गई है? यदि हां तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

अंगूर की खेती के लिये वर्ष १९६९-७० में एक योजना स्वीकृत की गई है। उसके अन्तर्गत ऋण दिलाने की व्यवस्था है परन्तु सबसिडी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में अंगूर की खेती के लिये मेरठ जिले में कोई सबसिडी या ऋण नहीं दी गई।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ६७-६८ और ६८-६९ में मेरठ में अंगूर की खेती किन-किन काश्तकारों ने की ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर मे मैंने निवेदन किया कि ६९-७० में विभाग के माध्यम से अंगूर की खेती की योजना पहली बार बनाई गई लेकिन उससे पहले जिन कृषकों ने मेरठ में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर अंगूर की खेती विस्तृत रूप से की है उसके कोई आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में जो योजना उन्होंने बनाई है उसका वह संक्षिप्त विवरण सदन में देंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि उसका एक हिस्सा यह है कि कृषकों को अंगूर की खेती के खर्च के लिये ऋण दिलाने की व्यवस्था है और दूसरे विभिन्न स्थानों पर पौधों के लिये पौधशालायें स्थापित की गई हैं जहां से कि किसानों को अच्छे किस्म के अंगूर के पौधे मिल सकें और इसके साथ टेक्निकल सलाह भी देने की व्यवस्था की गई है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के अलावा यह योजना किन्हीं और भी जिलों में चालू की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

इस योजना को तो समस्त प्रदेश में चालू करने की बात है केवल किसी एक अंचल में ही नहीं। लेकिन यह बात सही है कि २ जिलों मेरठ और बुलन्द शहर में पैकेज प्रोग्राम के अनुसार प्रगाढ़ रूप में चलाने की व्यवस्था की गई है ।

श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)—

मैं मंत्रीजी से , श्रीमन्, यह जानकारी करना चाहूंगा कि मेरठ और बुलन्द शहर में ही क्यों इसे लागू किया गया है और अन्य जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

मैंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि केवल वह वहीं पर लागू की गई हैं, मैंने निवेदन किया था कि पैकेज प्रोग्राम सूबे के कुछ ही जिलों में चलाने की योजना रही है और केवल २ जिलों मेरठ और बुलन्दशहर में प्रगाढ़ रूप से चलाया जा रहा है, वह अन्य अंचलों में भी चलायी जायेगी। पैकेज प्रोग्राम चलाने का कारण यह है कि वहां के किसानों में योजना को ग्राह्य करने की मनोवृत्ति हो, भूमि उपजाऊ हो और जलवायु सहायक हो आदि-आदि ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्द शहर)—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि प्रति एकड़ कितना ऋण देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री शिवराज सिंह--

इसके लिये १५,००० रुपया प्रति हेक्टर तक ऋण देने की व्यवस्था इस योजना में है ।

*५--श्री मंजूर अहमद--

[७वें बुधवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डुमरियागंज बीज भंडार पर बीज में धूल व कंकड़

*६--श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि बीज में धूल व कंकड़ मिलवाकर बिकवाने की शिकायत की, पर कृषि भंडार, विकास क्षेत्र डुमरिया गंज, जिला बस्ती के विरुद्ध जून व जूलाई, १९६९ में विकास अधिकारी ने जांच की और शिकायत को सही पाया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवराज सिंह--

डुमरियागंज बीज भंडार में बीज में धूल व कंकड़ मिला होने की शिकायत हुई जिसके संबंध में क्षेत्र विकास अधिकारी, डुमरियागंज, ने जिला कृषि अधिकारी, बस्ती, को सूचित किया। आवश्यक जांच के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि किसी ने धूल व कंकड़ नहीं मिलाया था वरन् बीज के खरीद के समय ही असावधानी हुई थी। इस असाधानी से जो क्षति सरकार को हुयी उसे संबंधित कर्मचारी से वसूल करने के लिये जिला कृषि अधिकारी ने आदेश प्रसारित कर दिये हैं ।

*७-८--श्री जगदीश गांधी--

[३रे बुधवार के प्र० सं० ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

[प्रश्न कर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१०--श्री इन्द्रलाल--

[६ठे बुधवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश--

[५वें बुधवार के प्र० सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१३--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश--

[४थे बुधवार के प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१४--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*१५--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश--

[५वें बुधवार के प्र० सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६--श्री हरवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१७-१८—श्री नौनिहाल सिंह—

[३रे शुक्रवार के प्र० सं० १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९-२०—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२१-२२—श्री बांकेलाल—

[३रे सोमवार के प्र० सं० २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पंतनगर, में पदाधिकारियों के शेयर्स

*२३—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पन्तनगर (नैनीताल) के डाइरेक्टर तथा पदाधिकारियों के कितने हिस्से इन कारपोरेशन में १ अक्तूबर, १९६९ को थे तथा उनका कितना रुपया जमा था ?

श्री शिवराज सिंह—

तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पन्तनगर, में १-१०-१९६९ को उसके डाइरेक्टरों तथा पदाधिकारियों के १५३२ ईक्विटी शेयर थे और उनका रुपया ३८,३०० जमा था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पदाधिकारियों के अलावा कितने शेयर होल्डर्स हैं जिनका रुपया जमा था ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, प्रश्न के अन्दर केवल डाइरेक्टर तथा पदाधिकारियों के बारे में सूचना मांगी गयी थी। कृषकों की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कौन-कौन से पदाधिकारियों ने इक्वीटी शेयर लिए हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जो डायरेक्टर पंतनगर यूनिवर्सिटी और नेशनल सीड कार्पोरेशन से मनोनीत होते हैं और इन संस्थाओं के अधिकारिक डाइरेक्टरों के रूप में हैं, उनको इक्विटी शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। शेष जो वहां से मनोनीत हुए हैं, डायरेक्टर्स, जिन्होंने इक्विटी शेयर लिए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :

यू० पी० कृषि विश्वविद्यालय के मनोनीत डाइरेक्टर प्रोफेसर वेद व्यास के ४५० इक्विटी शेयर हैं जिनकी नौमिनल वेल्यू ४५,००० रु० है और उन्होंने ११,२५० रु० जमा किया है।

इसी प्रकार से जो कृषक डाइरेक्टर्स हैं उनके इक्विटी शेयर्स इस प्रकार से हैं :

		शेयर्स
(१)	श्री पी० एन० मेहता, एस्कोर्ट्स फार्म, काशीपुर	१२०
(२)	श्री के० एन० अग्रवाल प्रयाग फार्म, गोकुलनगर ..	७००
(३)	श्री देव बहादुर सिंह, ग्राम गंगापुर ..	६०
(४)	डा० मुंशी सिंह, बारादरी फार्म, रुद्रपुर ..	२००

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डेवलपमेंट कार्पोरेशन बना उसमें अप्रैल तक यह जमा होना था लेकिन अप्रैल तक यह रुपया जमा नहीं हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न पूर्ण नहीं है। माह अप्रैल के साथ सन् नहीं बताया गया है।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डायरेक्टर होने की क्या-क्या योग्यतायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप को नियमावली में लिखा हुआ मिल जायगा।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि डेवलपमेंट कार्पोरेशन का जो डायरेक्टर होता है, उसकी क्या-क्या योग्यता होना आवश्यक है अर्थात् उसकी कम से कम कितनी शेयर मनी होनी चाहिए ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, डायरेक्टर्स इस कार्पोरेशन के अन्दर विभिन्न श्रोतों से आते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के इसमें ४० प्रतिशत शेयर हैं, राष्ट्रीय बीज निगम के कार्पोरेशन में २० प्रतिशत शेयर हैं और कृषक वर्ग के कार्पोरेशन में ४० प्रतिशत शेयर हैं। उसी अनुपात में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स आते हैं।

*२४-२५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*२६-२७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[१२वें बुधवार के प्र० सं० १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२८-२९—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का चुनाव अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

*३०—श्री रियासत हुसैन—

[३रे बुधवार के प्रश्न सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी को शासकीय नियंत्रण में न लेना

*३१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या चिकित्सा मन्त्री, उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण राजाज्ञा, दिनांक १८ नवम्बर, १९६७ उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा (ग) विभाग जो आयुर्वेदिक कालेज, झांसी, को सरकारी प्रबन्ध में लेने के सम्बन्ध में है, की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

शासन द्वारा चिकित्सा (ग) विभाग की जारी की गई संदर्भित विज्ञप्ति, दिनांक १४ नवम्बर, १९६७ की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

†छापी नहीं गयी।

२—उक्त विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के व्यवस्थापकों ने उसे शासकीय नियन्त्रण में लेने से पूर्व कालेज सम्बन्धी देनदारियों के भुगतान हेतु अनुदान की मांग की थी। इस प्रसंग में शासन ने आयुर्वेद निदेशक के माध्यम से निरीक्षण कराया। निरीक्षण के बावजूद कालेज सम्बन्धी लेनदारियों व देनदारियों की सही स्थिति स्पष्ट न हो सकी। कालेज के लेखाओं से लगा कि बहुत-सी अनियमितायें बरती गई हैं और कालेज में समुचित स्टाफ, साज-सज्जा, आदि साधनों का आभाव है। भवन भी अपूर्ण एवं अधूरा है।

३—उपर्युक्त स्थिति में बुन्देलखंड आयुर्वेद कालेज, झांसी को शासकीय नियन्त्रण में लेने का विचार त्याग दिया और इसकी ६ नवम्बर, १९६९ को विज्ञप्ति कर दी।

*३२- ३३--श्री हरवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

श्री श्रीशचन्द्र पाण्डे, सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, हरदोई के विरुद्ध आरोप

*३४--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री श्रीशचन्द्र पाण्डे, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, २ वर्ष पूर्व जब वह हरदोई में थे उनके विरुद्ध गैर-हाजिरी तथा भ्रष्टाचार जिसमें सहकारी संघ, उमरारी की कैशबुक व कैश लेकर चले जाने जैसी गम्भीर शिकायतें थीं जिलाधीश व जिला नियोजन अधिकारी तथा शासन को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)--

श्री श्रीशचन्द्र पांडे, तत्कालीन सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, हरदोई, के विरुद्ध दोषपूर्ण कार्य तथा अनियमित रूप से छुट्टी लेने की तथा उमरारी संघ की कैशबुक व कैश लेकर चले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कैश-बुक व कैश संबंधी आरोप की जांच पुलिस ने की किन्तु ये आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

अन्य शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

श्री नौनिहालसिंह--

इन शिकायतों को प्राप्त हुये लगभग दो वर्ष हो गये हैं, तो जांच में देरी का क्या कारण है?

श्री धर्म सिंह--

पिछली शिकायतों की जांच हुई थी और जांच के बाद अधिकारियों का तबादला भी किया गया था। पुलिस ने भी मामले की जांच की थी और अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। किन्तु सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी इसलिये और जांच की आवश्यकता पड़ी।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या कोई अधिकारी निलम्बित भी किये गये, यदि नहीं तो क्या किये जायेंगे?

श्री धर्म सिंह--

निलम्बित नहीं किये गये, न इसकी आवश्यकता ही है।

श्री नौनिहालसिंह—

क्या यह सही है कि संविद शासन काल में तत्कालीन सहकारिता महोदय ने इनकी कार्य पुस्तिका में से ३–४ प्रतिकूल प्रविष्टियों को अनियमित रूप से निरस्त कर दिया था ताकि उनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल मिल सके?

श्री धर्म सिंह—

जो सूचना इस समय है उसमें इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है, किन्तु फिर भी इस चीज को देख लेंगे कि इसमें कहां तक सच्चाई है।

श्री अनीसुर्रहमान—

जब इतने गम्भीर आरोप थे कि पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा तब क्या कारण है है कि स्वच्छ प्रशासन की दृष्टि से उनका निलम्बन नहीं किया जाता ?

श्री धर्मसिंह—

पुलिस ने जांच की और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कोर्ट के पास भी मामला गया, कोर्ट ने एप्रूवल दे दिया। लिहाजा इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब जो जांच हो रही है वह किन-किन आरोपों के संबंध में हो रही है ?

श्री धर्म सिंह—

कुछ कार्यों के सम्बन्ध में है, कुछ उनके अवकाश, आदिके संबंध में है। डिपार्टमेन्टल जांच हो रही है।

कवाल टाउन्स में उपभोक्ता सहकारी भंडार

*३५—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कवाल टाउन व बरेली नगर में कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स खोले गये तथा उनमें कितना सरकार ने रुपया लगाया तथा कितना शेयर-होल्डर्स ने लगाया और ३० जून, १९६९ तक इनको कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री धर्म सिंह—

कानपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ नगरों में दिनांक २९-३-१९६३, आगरा में २६-३-१९६३, वाराणसी में ८-४-१९६३ तक बरेली नगर में १८-३-१९६३ से केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों का संगठन किया गया।

उपरोक्त भंडारों के संचालन हेतु सरकार ने कुल रु० २४.७२ लाख लगाया है तथा कथित भंडारों के सदस्यों द्वारा अंश पूंजी के रूप में रु० ७.१२ लाख लगाया है।

उक्त भंडारों में से ३०-६-१९६९ तक कानपुर थोक उपभोक्ता भंडार में सत्तर हजार रुपये का लाभ तथा शेष पांच भंडारों में मिलाकर कुल ७.३६ लाख रुपये की हानि हुई है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जिलेवार कितना-कितना नुकसान हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—

इलाहाबाद में २.९४ लाख, आगरा १.१३ लाख, वाराणसी ०.८४ लाख, लखनऊ ०.३९ लाख, बरेली २.०६ लाख। कुल ७.३६ लाख।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मन्त्री जी उन सभी स्टोर्स की जहां भ्रष्टाचार है, और आडिट ने भी आब्जेक्शन किये हैं, जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—

इनका आडिट होता है, आवश्यकतानुसार जांच भी होती है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

इन स्टोर्स में नुक्सान के क्या कारण हैं तथा उसके निवारण के लिये सरकार कौन-सी चेष्टा कर रही है?

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, कारण बहुत से हैं। खास खास ६–७ इस प्रकार हैं। पहला कारण तो यह है कि जिन खाद्य सामग्रियों की खरीद की गई, बिक्री करने के लिये उनके मूल्य में कुछ गिरावटें आ गयीं जिसकी वजह से थोड़ी हानि हुई। दूसरा कारण यह है कि जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया उनको व्यापार का उतना अनुभव नहीं था, जितना होना चाहिए था। तीसरा कारण यह है कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति समय पर मांग के समय नहीं कराई जा सकी। चौथा कारण यह है कि व्यापारियों में कम्पटीशन वगैरह रहता है, जिसकी वजह से असर पड़ा। यह भी कारण है कि व्यापारी इतने कुशल हैं, जितने ये लोग नहीं थे। यही सब कारण रहे, जिनके कारण हानि हुई।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह नुकसान गबनों की वजह से भी हुआ है? यदि हां तो कितना?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३० जून, सन् १९६९ तक कितने कंज्यूमर्स स्टोर्स जिला बरेली में खोले गये? और उसमें अलग-अलग कितने-कितने रुपयों का घाटा हुआ?

श्री धर्मसिंह—

घाटे का जहां तक सम्बन्ध है, वह तो बताया। २.०६ लाख रुपये का घाटा हुआ है। २५१ प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी भंडार है, उन्हीं में यह घाटा हुआ है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

चूंकि पिछले वर्षों से यह नुकसान होता रहा है, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है?

श्री धर्म सिंह—

उपाय का जहां तक सम्बन्ध है, वह प्रयत्न तो होता रहा है। लेकिन बाजार में प्लक-चुवेशन वगैरह के कारण नहीं रुक सका। इस विषय पर इस समय सरकार अधिकारियों से विचार विमर्श कर रही है, तदुपरान्त कोई निर्णय लिया जाएगा, जिसके अनुसार सरकार काम करने का प्रयास करेगी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कम से कम इलाहाबाद में सेंट्रल स्टोर्स में पिछले ६ वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है और बोर्ड के अधिकारी मनमाने ढंग से कब्जा किए हुये हैं? तो क्या चुनाव जल्दी कराने की सरकार कृपा करेगी और बोर्ड को समाप्त करेगी।

श्री धर्म सिंह--

इसका संबंध चुनाव से नहीं है। यह तो घाटे-लाभ के बारे में है।

सचिवालय, लखनऊ में कूलर

*३६--श्री मंजूर अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९६९ से ७ जून, १९६९ तक कितने नये कूलर लखनऊ सचिवालय के लिये खरीदे गये और पुराने कितने बेकार हुये और उनका क्या हुआ? नये कूलरों की खरीद और पुरानों की मरम्मत में अलग-अलग इस अवधि में कितना व्यय हुआ ?

श्री धर्म सिंह--

अप्रैल १ से ७ जून, १९६९ की अवधि में न कोई नये कूलर खरीदे गये और न कोई पुराने बेकार हुए। इसलिये खरीद अथवा मरम्मत पर कोई व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुराने कूलर थे उनको हटाया गया था? उनका क्या हुआ?

श्री धर्म सिंह--

हटाया नहीं गया, उनकी मरम्मत कर दी गयी है।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरा प्रश्न आप ले लें तो ठीक रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

बाद में।

सिविल सर्जन कार्यालय, बस्ती के हेड क्लर्क के खिलाफ शिकायत

*३७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के वर्तमान हेड क्लर्क श्री एस० पी० सिन्हा द्वारा अनियमित यात्रा भत्ता तथा घूसखोरी के संबंध में स्थानीय जनता ने सरकार का ध्यान, दिनांक २४ अप्रैल, १९६९ तथा ११ जून, १९६९ को लिखित रूप से दिलाया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अनवार अहमद—

बस्ती जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के वर्तमान हेड क्लर्क श्री एस० बी० सिन्हा द्वारा अनियमित यात्रा भत्ता तथा घूसखोरी के संबंध में श्री रामचन्द्र जायसवाल भूतपूर्व कम्पाउन्डर, ग्राम, बनगवां, जिला बस्ती ने अपने शिकायती-पत्र दिनांक २४ अप्रैल, १९६९ में ध्यान दिलाया। दिनांक ११-६-६९ का कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

श्री जैसवाल के उक्त शिकायती-पत्र, दिनांक २४ अप्रैल, १९६९ के संबंध में सिविल सर्जन बस्ती एवं सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गोरखपुर द्वारा जांच कराई गई। श्री जैसवाल को रजिस्टर्ड पत्रों द्वारा सिविल सर्जन, बस्ती के कार्यालय में उपस्थित होने तथा आरोपों को सिद्ध करने का अवसर दिया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। फिर भी सहायक निदेशक, गोरखपुर ने श्री जैसवाल के आरोपों की जांच की और कथित आरोपों को निराधार पाया।

*३८—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह भी सच है कि बस्ती जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के वर्तमान हेड क्लर्क ने दिनांक ११ अगस्त, १९६८ तथा १५ सितम्बर, १९६८ को बस्ती से लखनऊ तक की यात्रा रेल से तृतीय श्रेणी में की और बस्ती से लखनऊ तक का द्वितीय श्रेणी का रेल का यात्रा भत्ता चार्ज किया ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं। बस्ती जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के वर्तमान हेड क्लर्क ने दिनांक ११ अगस्त, १९६८ तथा १५ सितम्बर, १९६८ को, सरकारी कार्य हेतु बस्ती से लखनऊ तक की यात्रा रेल से द्वितीय श्रेणी में की और बस्ती से लखनऊ तक का द्वितीय श्रेणी का रेल का यात्रा भत्ता चार्ज किया जिसके वे अधिकारी हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ? कि उस दिन कोई टिकट बस्ती स्टेशन पर लखनऊ के लिये द्वितीय श्रेणी का नहीं बिका हुआ है ?

श्री अनवार अहमद—

जांच से पता चला है कि द्वितीय श्रेणी का टिकट कटा हुआ है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी, जो मुझे यह सूचना है कि कोई टिकट द्वितीय श्रेणी का नहीं कटा है, पुनः जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जांच करवाई जा चुकी है। टिकट कटा है। इसलिये पुनः जांच का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस नम्बर के टिकट का हवाला दिया गया है ?

श्री अनवार अहमद—

नम्बर की जानकारी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि टिकट काटा गया है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जिन जांच कर्त्ताओं ने जांच की शिकायत की, उन्होंने जिस व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र भेजा था उसको भी सुना, उससे भी प्रमाण मांगा या नहीं ?

श्री अनवार अहमद—

मांगे गये, लेकिन देने में असमर्थ रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

(चिकित्सा मंत्री से) एक बात बताइए, प्रश्न ३८ का जवाब दिया था ?

श्री अनवार अहमद—

नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्षमा कीजिएगा । ३८ का जवाब नहीं मिल पाया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह जो टी० ए० फार्म जाता है उसमें टिकट नम्बर भी दिया जाता है ? यदि हां, तो उसका टिकट नम्बर कौन-सा था ?

श्री अनवार अहमद—

टिकट नम्बर के संबंध में सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी । लेकिन जहां तक इसका सम्बन्ध है कि कोई टिकट बिका या नहीं बिका पूरी जानकारी कर ली गई है कि टिकट बिके हैं द्वितीय श्रेणी के । इसलिए कोई भी आरोप उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किन सूत्रों से जांच हुई है, जो टिकट के बारे में सूचना दी है कि टिकट बिका हुआ है ?

श्री अनवार अहमद—

रेलवे विभाग से जानकारी की गई ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री इस संबंध में पुनः जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो दोबारा जांच करवाने में कठिनाई नहीं पैदा होगी ।

*३९-४०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*४१—४२—श्री महरम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त]

तेलियरगंज टी० बी० अस्पताल में स्थानाभाव

*४३—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद जनपद में स्थित तेलियरगंज टी० बी० अस्पताल में आवश्यकता को देखते हुए और अधिक मरीजों के लिय स्थान की व्यवस्था करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री अनवार अहमद—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद के तेलियरगंज अस्पताल में टी० बी० के कुल कितने बेड और वेटिंग लिस्ट में मरीजों की कुल कितना संख्या है ?

श्री अनवार अहमद—

९३ बेड्स हैं। वेटिंग लिस्ट में मरीजों की संख्या के लिये सूचना चाहिये।

श्री रामपूजन पटेल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज जब क्षय के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है तो क्या कठिनाई है कि मरीजों की शय्याएं बढ़ाने का कष्ट नहीं किया जा रहा है ?

श्री अनवार अहमद—

जिस तरीके की आजकल टी०बी० रोग के लिये नई-नई दवाई इजाद हो रही हैं उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि मरीज अस्पताल में जाकर भर्ती हो। उसको दवाई दे दी जाती है और वह अपने घर पर रहकर बिलकुल उसी तरीके से फायदा उठाता है जैसे कि वह अस्पताल में भर्ती होकर उठाता है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय

ये ९३ सीट बहुत कम हैं। वेटिंग लिस्ट में भी तो मरीज होंगे तो उनकी तादाद कितनी है और सरकार बेड बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

वेटिंग लिस्ट के लिये सूचना प्राप्त करनी होगी। बेड बढ़ाने की बात पर सरकार ध्यान दे सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

घर पर दवाई लेकर इलाज हो सकता है लेकिन वेटिंग लिस्ट में रहकर अस्पताल में भर्ती होना भी जरूरी होता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेटिंगलिस्ट भी जरूरी है तो सरकार देहरादून जैसे स्थान में १, २ सेनोटोरियम और खोलने पर विचार करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी पर अभी इस तरह का और कोई अस्पताल खोलने पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री राजित राम पाण्डेय—

घर पर इलाज हो सकता है पर इलाहाबाद में गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है वे घर पर दवाइयों से अच्छे नहीं होते। अस्पताल में बड़े लोग दाखिला पाते हैं तो गरीबों के लिये जगह देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि सारे देश में गरीबों की तादाद बहुत है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गरीबों को सुविधा उपलब्ध हो और जिनको जरूरत है उनको दवाई दी जाय। जो तजुर्बे हुए हैं उनके अनुसार डाक्टरों की यह राय है कि घर पर रहकर टी०बी० मरीज को उतनी ही सफलता मिलती है जितनी अस्पताल में रह कर मिलती है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि पूरे प्रदेश केअन्दर टी० बी० सेनोटेरियम में कम बेड रखे गये हैं तो कुछ और बेड बढ़ाने की योजना पर विचार किया जाय ?

श्री अनवार अहमद—

चौथी पंचवर्षीय योजना में सारे प्रदेश में २०० बेड बढ़ाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले यह मर्ज बहुत कम था लेकिन आज यह आम हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिये सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक इस रोग का संबंध है माननीय जायसवाल भी स्वयं इससे वाकिफ हैं । उन कारणों पर प्रकाश डालना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा लेकिन इसकी रोकथाम के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है । सरकार जितना भी कर सकती है, कर रही है ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत १६ जनवरी, ७० को माननीय कृष्णानन्द राय की अध्यक्षता में जो स्वास्थ्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी उसमें इलाहाबाद के तेलियरगंज टी० बी० अस्पताल में ५० बेड बढ़ाने की योजना स्वीकार की गई थी तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि रोकथाम के लिये व्यवस्था की जा रही है तो वह कौन-सी व्यवस्था है और उसके तहत क्या-क्या हो रहा है ?

श्री अनवार अहमद—

व्यवस्था यही है कि अस्पताल में २०० बेड बढ़ा दिये जायं । नई दवाएं बाहर से आई हैं उनका वितरण किया जाय । जो रोगी भरती होने योग्य हैं उन्हें भरती किया जाय और जो नहीं है उनको बाहर ही इलाज कर के घर वापस भेज दिया जाता है । इसके अलावा अगर कोई दीगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर सरकार कार्यवाही करेगी ।

श्री ए० सी० आइस (जिला कानपुर)—

जब अस्पताल में कोई मरीज जाता है तो एक दफा में उसका एग्जामिनेशन नहीं होता, कई दफा में उसका टेस्ट होता है । एक दफा पर्चा बनता है, फिर उसे दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है स्क्रीनिंग के लिये । एक हफ्ते बाद फिर उसे बुलाया जाता है । आदमी एक तरफ मरने को होता है दूसरी तरफ इस प्रकार उसे इलाज नहीं मिल पाता है, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अनवार अहमद—

माननीय सदस्य अगर किसी मरीज विशेष के संबंध में बतलायेंगे तो उसकी कठिनाई को दूर किया जायगा । जहां तक सरकार का संबंध है इस तरफ पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी रखा जायगा ।

*४४—श्री राम पूजन पटेल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बलिया जिले के आयुर्वेदिक अस्पताल, चितबड़ा को सहायता

*४५—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री हुकुम सिंह जी ने जिला बलिया के अन्तर्गत ग्राम चितबडा के आयुर्वेदिक अस्पताल की नींव सन् १९५७ में डाली थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसे कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री अनवार अहमद—

१९५७ में प्रश्नगत गांव में किसी औषधालय की नींव नहीं डाली गई । अतः आर्थिक सहायता का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नगीना सिंह—

मंत्री जी की सूचना के लिये मैं बतला दूं कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चितबड़ा, बलिया का शिलान्यास श्री हुकुमसिंह विसेन, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपने करकमलों से सम्पन्न किया था । उसकी मिति वैशाख शुक्ल सप्तमी, शनिवार, संवत् २०१५ वि० है । अब माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सूचना दी गई है वह गलत है । श्री कुलकरनी, डिप्टी डायरेक्टर, हेल्थ सर्विसेज ने अपने जी० ओ० नं० ३७१, दिनांक ७ मई, १९५८ को उस आयुर्वेदिक अस्पताल के लिये बेड तथा स्वीपर्स इत्यादि देने के लिये शीघ्र व्यवस्था करने के लिये आदेश दिये थे ?

श्री अनवार अहमद—

जो कुछ सूचना दी गई है वह बिलकुल सही है। माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है कि जो तिथि दी है वह गलत दी है । इसकी नींव २५ अप्रैल, ५८ को डाली गई थी, ५७ को नहीं । यह सही है कि १० हजार रुपया इस चिकित्सालय को दिया गया है ।

श्री नगीना सिंह—

माननीय मंत्री को पहले बतला देना चाहिये था कि यह सूचना गलत है । पहले ही इस तारीख को क्यों नहीं बतलाया गया ?

श्री अनवार अहमद—

क्योंकि प्रश्न एक खास तारीख से संबंधित था इसलिये तारीख बतलाने की पहले आवश्यकता नहीं थी । १० हजार रुपया देने का सरकार विचार कर रही है ।

श्री नगीना सिंह—

इस अस्पताल के दो और कमरे तथा उनकी छत बनना बाकी रह गया है तो क्या सरकार और सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक सरकार को ज्ञात है यह अस्पताल किसी किराये की इमारत में है, उसकी अपनी इमारत नहीं है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

१० हजार रुपये की सहायता कब दी गई थी ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने यह कहा कि १० हजार रुपया की एड देने पर सरकार विचार कर रही है । दोबारा मैंने साफ कर दिया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय, एक प्रश्न पूछा गया कि १९५७ में नींव डाली गई या नहीं तो उत्तर दिया गया कि नींव नहीं डाली गई । अगर सप्लीमेंटरी न होते तो यह स्वीकार न किया जाता कि १९५८ में नींव डाली गई । अगर प्रश्न तथ्य गलत हो और दूसरी तिथि हो तो क्या मंत्री जी की तरफ से तिथि सुधार कर उत्तर आना चाहिये था या नकारात्मक उत्तर आना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। ५७ के लिये प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर दे दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, उत्तर मिसलीडिंग हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जो जबाब दिया है उसमें मिसलीडिंग का कोई प्रश्न नहीं है।

*४६—श्री ओमप्रकाश सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

स्वास्थ्य निरीक्षक

*४७—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य निरीक्षकों (हेल्थ इन्सपेक्टरों) के कितने स्थान हैं और कितनों में अभी तक नियुक्ति की गई है और कितने अभी रिक्त हैं?

श्री अनवार अहमद—

कुल ६५३ स्थान हैं। उन सभी पर स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्तिय की जा चुकी हैं। अब कोई स्थान रिक्त नहीं है।

*४८—श्री महीलाल—

क्या स्वास्थ्य निरीक्षकों को सेनिटरी इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग देने की योजना है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। आशा है कि इस वर्ष में प्रशिक्षण आरम्भ हो जायेगा।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि स्वास्थ्य निरीक्षकों को कितने समय की ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री अनवार अहमद—

एक साल का ट्रेनिंग पीरियड है।

श्री महीलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सेनीटरी इन्सपैक्टर्स और हैल्थ इन्सपेक्टर्स की एक साथ ट्रेनिंग होती है या अलग-अलग होती है ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में जो हैल्थ इन्सपैक्टर्स की नियुक्ति हुई है उनमें अनुसूचित और पिछड़ी जाति के कितने हैं और जो कोटा निर्धारित किया गया है क्या उसको पूरा कर लिया गया है ?

श्री अनवार अहमद--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में गला, नाक, कान के चिकित्सक

*४९--श्री रामगोपाल संड--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में गले तथा कान (ईयर एन्ड थ्रोट) के कितने रीडर, प्रोफेसर तथा लेक्चरर हैं ?

श्री अनवार अहमद--

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में गले तथा कान (ईयर, नोज एन्ट थोट) के विभाग में प्रोफेसर का कोई पद नहीं है। रीडर तथा लेक्चरर के इस विभाग में एक-एक पद हैं।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार के पद लखनऊ और कानपुर मेडिकल कालेज में हैं ?

श्री अनवार अहमद--

तादाद के हिसाब से नहीं हैं ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मंत्री जी मरीजों की संख्या को देखते हुये इलाहाबाद मेडिकल कालेज में इन पदों को बढाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद--

जो इलाहाबाद मेडिकल कालेज में हैं मरीजों की तादाद का अनुपात वही है ।

चिकित्सा विभाग से अंग्रेजी में शासनादेश

*५०--श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा)--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक चिकित्सा विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री अनवार अहमद--

चिकित्सा शाखा के विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में अलग-अलग पत्रावलियों से शासनादेश आदि प्रतिदिन जारी किये जाते हैं। इसलिये अंग्रेजी और हिन्दी के पत्रों आदि की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है जो कि १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ की अवधि में जारी किये गये क्योंकि ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। मोटे तौर पर लगभग ८० प्रतिशत पत्र हिन्दी में तथा २० प्रतिशत पत्र अंग्रेजी में उपरोक्त अवधि में भेजे गये।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि आपने बताया कि हिन्दी में ८० प्रतिशत पत्र भेजे गये और अंग्रेजी में २० प्रतिशत। तो अंग्रेजी में २० प्रतिशत भेजने के कारण क्या थे ?

श्री अनवार अहमद--

काम के हिसाब से और टाइप आदि की सहूलियत की वजह से भेजे गये होंगे। क्या जरूरत पड़ी, इसके लिये सूचना मंगानी पड़ेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार के नोटिस में यह बात आने पर कि २० प्रतिशत पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में हुआ है, जबकि शासन के आदेश, हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अनवार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, यह वाकया उस वक्त का है जब यहां बैठने वाले मंत्री उधर के माननीय सदस्यों में थे ।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी से कहें कि वे ठीक से उत्तर दें, किसकी सरकार थी, इसका सवाल ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो उन्होंने उत्तर शुरू ही किया था ।

श्री अनवार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी मैं पूरा जवाब दे भी न पाया था। मैं यह कह रहा था कि जिस अवधि का प्रश्न पूछा गया है, उस वक्त हम लोग इन सरकारी पदों पर नहीं थे । इस सरकार की तो मंशा यही है कि जितना भी कार्य हो, हिन्दी में हो। माननीय सदस्यों को इसमें मुतमईन होना चाहिये कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी। जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय उन लोगों की सरकार थी, जो उधर बैठे हुए हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैंने तो यह सवाल पूछा था कि जब आपके नोटिस में यह बात आ गयी कि २० प्रतिशत पत्र अंग्रेजी में भेजे गये,हिन्दी में नहीं भेजे गये जब कि इसके पूर्व यह आदेश थे कि सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो, सरकार के नोटिस में यह बात आ जाने पर, उन लोगों के लिखाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी ? सरकार तो सदा रहेगी, उसमें कोई आये या कोई जाये ।

श्री अनवार अहमद—

सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि २० प्रतिशत जो अंग्रेजी में भेजे गये वे क्यों भेजे गये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जबसे यह नयी सरकार आयी है, तब से शतप्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है ?

श्री अनवार अहमद—

हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरा काम हिन्दी में हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं दो चीजें जानना चाता हूं। पहली तो यह कि क्या माननीय मंत्री जी अपनी मुखिया की भाषा को छोड़ कर निश्चित उत्तर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी अगर ऐसा कोई उत्तर दिया है, उसकी तरफ आप उनका ध्यान दिलायें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां की राजकीय भाषा है और मुख्यमंत्रीजी ने इसी सदन में पिछली मर्तबा यह ऐलान किया था कि अगर इस भाषा को छोड़ कर किसी और भाषा में कार्यवाही की जायगी तो इस आज्ञा की अवहेलना करने के लिये उसको दंड दिया जायगा, क्या कोई ऐसी कार्यवाही किसी के खिलाफ की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें तो यह दिया हुआ है —

"दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक चिकित्सा विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यदि मंत्री जी के नोटिस में निश्चित रूप से आ गया कि सरकारी नीति की अवहेलना की गई है तो वह निश्चित रूप से बतलावें कि क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

सरकार विचार करेगी कि उन लोगों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही हो सकती है। जो हो सकती है वह की जावेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी, इस प्रश्न को देखते हुये कि चिकित्सा शाखा से अलग-अलग हिन्दी और अंग्रेजी के कितने पत्र भेजे गये उनकी संख्या बतलाना संभव नहीं है, यह बतलायेंगे कि यह कैसे मालूम हो गया कि ८० प्रतिशत हिन्दी में भेजे गये और २० प्रतिशत अंग्रेजी में भेजे गये हैं। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल की गई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री इन्द्रमणी—

मुख्य मंत्री ने बार-बार यह घोषणा की है कि इस प्रान्त की भाषा हिन्दी होगी और मंत्रीजी कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे तो यह निश्चय गलत है कि हिन्दी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी तो है ही। इस प्रदेश की भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है और सारा काम-काज उसमें चलेगा ही। जो कोशिश है, पिछली सरकार में भी कोशिश थी और अब भी है, इसमें बहुत मतभेद नहीं है। इसमें पूर्ववर्ती और नई सरकार की नीतियों में मुझे कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता है। प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया है कि यह नीति है और इसकी कोशिश होनी चाहिये कि उसके अनुसार कार्य हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे आपत्ति यह है कि अगर एक फैसला हो गया कि इस प्रदेश की भाषा फलां होगी और यह भी घोषणा हो गई कि इस नियम को तोड़ने वाले अफसर या कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। तो मान्यवर, यह कहना कि कोशिश होगी ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तजुर्बा है उससे यह सबक मिलता है कि अगर यह कोशिश बराबर चलती रही और संकल्प नहीं आया, दृढ़ता नहीं आई, तो कोशिश पूरी नहीं हो सकती है और इसलिये रियायत नहीं मिलनी चाहिये। मैं इसी के लिलसिले में एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बतलावेंगे कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे उसकी इस सदन को सूचना देंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जो भी जानकारी होने के बाद उचित होगा उसके सम्बन्ध में सदन को जानकारी कराई जावेगी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्रीजी ने कहा कि कोशिश की जायगी तो वह इस सम्बन्ध में आश्वासन दें और विश्वास दिलावें कि काम हिन्दी में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

काम तो हिन्दी में होता ही है । यह कह रहे हैं कि करेंगे ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

हिन्दी में काम करायेंगे या कोशिश ही करते रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी में काम होगा, यह तो इस सभा का निर्णय है और पिछली सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में यहां बतलाया गया है और इनसे भी आप जवाब तलब कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब सरकार के नोटिस में आ गया तो इसके बारे में इन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं कि मंत्रीजी देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं लेकिन भाषा के बारे में जो नीति है उसके बारे में मैं बतला रहा हूं । इस विधान सभा का इस सम्बन्ध में असंदिग्ध निर्णय है । उसी के अनुसार प्रश्न किया गया है और उसमें यह पूछा गया है कि कितने पत्र अंग्रेजी में और कितने हिन्दी में गये हैं । तो अभी उन्होंने पिछली सरकार के समय का बतलाया कि २० प्रतिशत अंग्रेजी में गये और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि उसके बारे में कोशिश हो रही है ।

अब उस प्रश्न पर कोई बहस नहीं होगी । अब आगे वाले प्रश्न लिये जावेंगे ।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या ५१ व ५२ के प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हैं ।

जच्चा-बच्चा केन्द्र, बरही

*५१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य तथा चिकित्सा मन्त्री जनपद गोरखपुर राजकीय चिकित्सालय, बरही, तहसील सदर, गोरखपुर म जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री अनवार अहमद—

ग्राम बरही, जिला गोरखपुर में पहले से ही जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थित है । अतः, पुनः उसी स्थान पर और कोई केन्द्र खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी गढ़वाल जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी

*५२—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में कुल कितनी सरकारी एलोपैथिक डिस्पेन्सरी व आयुर्वेदिक औषधालय हैं और उनमें से कितनों में बैद्य व डाक्टर नहीं है?

श्री अनवार अहमद—

जिला टिहरी-गढ़वाल में ५ एलोपैथिक और ९ डी० क्लास (इन्टीग्रेटेड) डिस्पेन्सरीज हैं तथा ३४ राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इनमें ३ एलोपैथिक, १ इन्टीग्रेटेड डिस्पेन्सरीज में डाक्टर नहीं है, तथा १० आयुर्वेदिक औषधालया में वैद्य नहीं हैं।

राजेन्द्रनगर तथा कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक, लखनऊ

*५३—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री नेपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक तथा राजेन्द्र नगर टी० बी० क्लीनिक में कितने मरीजों के रहने की व्यवस्था है?

श्री अनवार अहमद—

कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक में एक सौ रोगियों के रहने की व्यवस्था है। राजेन्द्र नगर टी० बी० क्लीनिक में रोगियों के रहने की व्यवस्था नहीं है।

*५४—श्री जगदीश गांधी तथा श्री नेपाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अस्पतालों में आउटडोर पेशेन्ट के रूप में इलाज कराने वालों की संख्या सन् १९६८-६९ में कितनी थी?

श्री अनवार अहमद—

कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक में वर्ष १९६८ और १९६९ में आउटडोर रोगियों की संख्या क्रमशः ३६,६३९ और ३५,५७९ थी, तथा राजेन्द्र नगर टी० बी० क्लीनिक में क्रमशः ६,१६० और ४,४११ थी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या कृपा करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस क्लीनिक में बेड्स की व्यवस्था नहीं है उसके क्या कारण है?

श्री अनवार अहमद—

चूंकि वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, इस लिये इसका प्रबन्ध नहीं किया गया।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समस्त उत्तर प्रदेश में कितने टी० बी० क्लीनिक हैं?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी मंत्री जी ने यह कहा कि उन क्लीनिक्स में बेड रखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सही है कि इस प्रकार के भयानक मर्ज के लिये उनमें बेड रखने की आवश्यकता नहीं है? साथ ही किन आधारों पर मंत्री जी का यह उत्तर हुआ कि उनमें बेड रखने की आवश्यकता नहीं है?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक राजेन्द्रनगर टी० बी० क्लीनिक का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर आउटडोर रोगियों का इलाज किया जाता है। वहां पर मरीजों को रखने की व्यवस्था नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

यह कहा गया है कि टी० बी० क्लीनिक राजेन्द्रनगर, व कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक में मरीजों के रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर स्टाफ की संख्या कितनी है? वहां पर कितने डाक्टर हैं और कितनी नर्सेज हैं?

श्री अनवार अहमद—

इस प्रश्न का उत्तर देने में सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आप कैसे समझते हैं कि राजेन्द्रनगर टी० बी० क्लीनिक में बेड्स की आवश्यकता नहीं है? यदि वहां पर बेड्स की आवश्यकता नहीं है तो फिर टी० बी० अस्पताल की क्या जरूरत है?

श्री अनवार अहमद—

वहां पर मरीजों को दवाइयां दे दी जाती हैं। वे अपना इलाज घरों पर करते हैं। जब दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो दवाइयां वहां से दे दी जाती हैं।

कोआपरेटिव बैंक बाराबंकी में जांच

*५५—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि एस० वी० डी० सरकार के जमाने में बाराबंकी कोआपरेटिव बैंक के मामले में एक स्पेशल इन्क्वायरी का हुक्म हुआ था और आडिट पार्टियों ने इस दफ्तर के कुछ कागजात पर कब्जा कर लिया था? क्या यह इन्क्वायरी अब तक जारी है? अगर नहीं, तो क्यों रोक दी गई और अगर सरकार को इन्क्वायरी रिपोर्ट मिल चुकी है तो क्या वह इन्क्वायरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं।

जालौन जिले में क्रय-विक्रय समितियों के पर्यवेक्षक

*५६—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की किन सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के इंसपेक्टर (सचिव) तथा पर्यवेक्षक उन संस्थाओं में अपने इस पद पर ६ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा क्या यह सही है कि इस अवधि में उनके स्थानान्तरण होने पर पुनः स्थगित कर दिये गये? यदि हां तो क्यों?

*५७—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के उप मंत्री चौधरी रामसेवक का उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच तथा उनका स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र मई, १९६९ से अगस्त, १९६९ के बीच प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जौनपुर जिले में सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण

*५८–श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)––

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने सहकारी सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण वर्ष १९६९ में जिले के बाहर किया गया था और उनका स्थानांन्तरण पुन:स्थगित कर दिया गया तथा क्यों ?

श्री धर्म सिंह––

वर्ष १९६९ में जौनपुर के जनपद के २० सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया गया था। इनमें से ३ सुपरवाइजरों ने जिला सहकारी बैंक, जौनपुर के नियन्त्रण में काम करने की सहमति दे दी है इसलिये इनके जनपद से बाहर स्थानान्तरण के आदेश निरस्त कर दिये गये ।

स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरण

*५९––श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जून-जुलाई, १९६९ के महीनों में ट्रांसफर स्कीम के अनुसार अतिरिक्त निदेशक (एडिशनल डायरेक्टर) स्वास्थ्य विभाग ने कितने क्लास १ एवं कितने क्लास २ अफसरों के ट्रांसफर किये हैं ?

श्री अनवार अहमद––

जून और जुलाई, १९६९ के महीनों में अतिरिक्त निदेशक (एडीशनल डायरेक्टर) स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्लास १ के किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं किया गया क्योंकि उन्हें क्लास १ (सेलेक्शन ग्रेड) के अधिकारियों का तबादले करने का अधिकार नहीं है। हां, उनके सुझाव पर सरकार के आदेशानुसार २१ क्लास १ (अर्थात् यू० पी० पी० एच० एस० सेलेक्शन ग्रेड) के अधिकारियों के तबादले किये गये।

अतिरिक्त निदेशक को यू० पी० पी० एच० एस० के साधारण ग्रेड अर्थात् क्लास २ के अधिकारियों का तबादला करने का अधिकार प्राप्त है जिसके अनुसार ३५ साधारण ग्रेड के अधिकारियों का तबादला किया गया।

*६०––श्री रियासत हुसैन––

उपरोक्त ट्रांसफर में कितने व्यक्तियों को दो साल के भीतर ट्रांसफर कर दिया गया ? क्या इन व्यक्तियों में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपने घर के जिले तथा निकटतम जिले में पोस्ट कर दिये गये हैं ?

श्री अनवार अहमद––

कुल मिला कर ३१ को, जिनमें ११ अधिकारी सेलेक्शन ग्रेड तथा २० साधारण ग्रेड के हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो अपने घर के जिले तथा निकटतम जिले में पोस्ट नहीं किये गये हैं।

विकास क्षेत्र, मुगरा बादशाहपुर के बेलवार ग्राम में चिकित्सालय खोलने की मांग

*६१––श्री रामसागर (जिला जौनपुर)––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुगरा बादशाहपुर की क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार ने विकास क्षेत्र, मुगरा बादशाहपुर के बेलवार ग्राम में राजकीय चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो अब उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अनवार अहमद---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*६२---श्री रामसागर---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त चिकित्सालय के निमित्त उस क्षेत्र की जनता ने चन्दा एकत्र कर भवन निर्माण भी कर लिया है और उसके लिये दवायें तथा आवश्यक सामान भी खरीदे जा चुके हैं परन्तु स्टाफ न होने के कारण दवाओं की अवधि समाप्त हो रही है और उस क्षेत्र की जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है ?

श्री अनवार अहमद---

जी नहीं।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा० के० एन० माथुर को एक्सटेंशन

*६३---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में ऐसे प्रधानाचार्य कौन-कौन हैं जिन्हें कि रिटायर होने के बाद पुनः एक्सटेन्शन देकर उसी स्थान पर रखा गया है, तथा क्यों ?

श्री अनवार अहमद---

अभी केवल कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा० के० एन० माथुर को दो वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसा योग्य डाक्टरों की कमी को ध्यान में रख कर किया गया है।

इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क यूनियन का चुनाव

*६४---श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लि०, इलाहाबाद का वार्षिक जलसा बाबत सहकारी वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९, १९६९-७० का सम्पन्न हुआ है या नहीं ? यदि चुनाव नहीं हुये हैं तो रजिस्ट्रार सहकारिता अपने अधिकारों का प्रयोग करके कब तक चुनाव करायेंगे ?

श्री धर्म सिंह---

जी हां, यह सही है कि इलाहाबाद कोआपरेटिव मिल्क यूनियन का सहकारी वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ से सम्बन्धित वार्षिक जलसा नहीं हुआ है, अब उप निबन्धक, इलाहाबाद द्वारा शीघ्र साधारण चुनाव कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

*६५---श्री रामदेव---

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

सहायक निबंधक सहकारिता विभाग, प्रतापगढ़ की नियुक्ति

*६६---श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग इसी जनपद में दो तीन बार कुछ महीनों का व्यवधान देकर नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्म सिंह---

प्रतापगढ़ के सहायक निबन्धक, सहकारिता विभाग (श्री अनूप सिंह बाना) पहली बार इस जनपद में १३-८-६५ तक नियुक्त रहे और उसके बाद एक साल चार माह के बाद पुनः उनकी नियुक्ति १६-१२-६६ को इसी जनपद में हुई। यह स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से जनहित में किया गया।

सहायक सहकारी निरीक्षक

*६७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) के पदों की समाप्ति के सरकारी निर्णय के उपरान्त ऐसे कुछ अधिकारियों को मई, १९६८ में सहायक सहकारी निरीक्षक बना दिया गया था ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां।

*६८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, १९६८ से २५ अक्टूबर, १९६९ तक उपर्युक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों से क्या काम लिया जा रहा है ?

श्री धर्म सिंह—

इन सहायक निरीक्षकों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :—

१—स्वावलम्बी एवं सम्भावित स्वावलम्बी समितियों का गठन।

२—समय-समय पर सहकारी समितियों का निरीक्षण, पास बुकों की जांच तथा सीड और फर्टीलाइजर स्टाक का सत्यापन करना।

(३) समितियों के आडिट नोट तथा स्पेशल आडिट रिपोर्ट की पूर्ति कराना।

(४) हाई यील्डिग वैराइटीज प्रोग्राम हेतु सीड और फर्टीलाइजर के वितरण की योजना तैयार करना।

(५) ग्राम स्तर पर फर्टीलाइजर और गोदाम की सुविधा का प्रबन्ध करना।

(६) फर्टीलाइजर हेतु प्रार्थना-पत्र पूर्ण कराना तथा प्रारम्भिक समितियों, क्रेडिट यूनियन और प्रादेशिक संघ के बीच फर्टीलाइजर की बिक्री का अन्तिम समायोजन करना।

(७) ऋण वितरण तथा उसके वसूली का प्रबन्ध करना।

(८) समितियों को वितरित गवर्नमेंट ग्रांट से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना।

(९) ग्राम स्तर पर क्रय-विक्रय समितियों या उनकी शाखाओं द्वारा वस्तुओं में ऋण की वसूली कराना।

(१०) समय-समय पर दिये गये शिकायती पत्रों की जांच कराना।

सहकारी समिति, सिसौली के खिलाफ शिकायत

*६९—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सिसौली, जिला मेरठ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र जो सहकारी समिति, सिसौली में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में है मेरे पत्र के साथ दिनांक २८ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां। शिकायती पत्र यथोचित कार्यवाही व प्रतिवेदन हेतु निबन्धक को भेजा गया था। निबन्धक से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ वह अपूर्ण था इसलिये उन्हें फिर से लिख गया है कि वह उप-निबन्धक, मेरठ की जांच रिपोर्ट अपनी विस्तृत आख्या तथा संस्तुति के साथ शासन को भेजें।

भूमि संरक्षण विभाग के विरुद्ध, जिलाधीश, बुलन्दशहर को शिकायतें

*७०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील सिकन्दराबाद व खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के किसानों ने भूमि-संरक्षण विभाग की अनियमितताओं व समतल भूमि में डौलबन्दी जबरदस्ती करने की शिकायत जिलाधीश बुलन्दशहर को माह अक्तूबर व नवम्बर, १९६९ में की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

झुलसा रोग को रोकने के उपाय

*७१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६९ में झुलसा रोग से धान की फसल को बचाने के लिये सरकार ने अवरोधक दवा छिड़काव का कार्य किन-किन जिलों में कब-कब प्रारम्भ किया और प्रत्येक जिले में छिड़काव में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है और उससे कितने एकड़ फसल का बचाव हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

सन् १९६९ में धान की फसल पर झुलसा रोग के प्रकोप की सूचना मिलते ही आवश्यक निवारण कार्य तत्काल आरम्भ कर दिये गये थे । इस महामारी का प्रकोप प्रदेश के २५ जिलों में था । जिनसे सम्बन्धित अपेक्षित सूचनायें संलग्न तालिका में प्रस्तुत हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१२–३१३ पर)

*७२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वर्तमान सन् १९७० की फसल गेहूं और जौ में भी झुलसा रोग का प्रकोप हो गया है ? यदि हां, तो इससे कौन-कौन जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं और इस रोग को रोकने के लिये सरकार कौन-सा उपाय कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां ।

गेहूं और जौ की फसल में झुलसा रोग महामारी के रूप में प्रदेश के ३९ जिलों में फैला हुआ है जिनकी सूची संलग्न है, इन जिलों को "कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के अधिनियम १९५४" के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जिसका प्रयोजन है रोग की रोकथाम और फसल की सुरक्षा के लिए युद्ध-स्तरीय अभियान चलाना । यथानुसार उपचार–कार्यक्रम व्यापक रूप से चल रहा है ।

(देखिये 'नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१२–३१३ पर)

*७३—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

एलोपैथिक अस्पताल, सिद्धौर को न हटाने की प्रार्थना

*७४—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के कस्बा सिद्धौर का एलोपैथिक अस्पताल क्या कहीं अन्यत्र ले जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। कस्बा सिद्धौर, जिला बाराबंकी में एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत और एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। एक स्थान पर दो चिकित्सालय होने के कारण वहां से एलोपैथिक चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने का प्रश्न क्षेत्र विकास समिति, सिद्धौर ने उठाया था जो विचाराधीन है।

*७५—श्री शिव कैलाश—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि अस्पताल न हटाने के सम्बन्ध में ग्राम-वासियों तथा वहां की जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या विचार किया है?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर व झांसी की इमारतें

*७६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बातने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर और झांसी की इमारत कब तक बन जायेगी?

श्री अनवार अहमद—

इन मेडिकल कालेजों की इमारतें सन् १९७२ तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

*७७—श्री उपेन्द्र नाथ—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

कानपुर परगना में रिन्द नदी का कटाव

श्री श्रीकृष्ण वाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परगना कानपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम रायपुर कठार में प्रतिवर्ष रिन्द नदी भारी कटाव कर रही है, जिससे सैकड़ों बीघे उपजाऊ कृषि भूमि के परती पड़ जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्या सरकार ऐसी दशा में भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत कटाव रोकने के लिये बांध बनवाने के हेतु कदम उठायेगी?

श्री शिवराज सिंह—

यह सही है कि ग्राम रायपुर कठार, परगना व जिला कानपुर, में रिन्द नदी के कटाव से कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत खेतों में वर्षा के पानी से होने वाले स्थलीय कटाव की रोकथाम की व्यवस्था की जाती है। नदी के कटाव की रोकथाम करना इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न लेने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि प्रश्नकर्ता उपस्थित न हो और वह बाद में आ जाये तो आप उसका उत्तर दिलवा देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। मान्यवर, मैं बार-बार गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी गुजारिश पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों के उत्तर के विषय में नियम ३९ इस प्रकार है :—

"अनपस्थित" सदस्यों के प्रश्न---जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है पुकारे जा चुके हों, तब अध्यक्ष यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकगे जो उस सदस्य जी अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों या अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखते हो।"

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया था वह निश्चित भ्रष्टाचार और कृषि उत्पादन से जुडा हुआ था और उसके बारे में मैं समझता हूं कि चेयर को खुद स्यो मोटो जवाब दिलवा देना चाहिए था। इस समय विधान सभा बैठी हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आप ऐसा कीजिए।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

इसको बाद में देख लीजियेगा। अब आप की कृपा पर है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका भी था, और भी हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, इससे तो लांछन लगेगा कि जानबूझ कर भ्रष्टाचार वाले केसेज को दबाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री गोविन्द सिंह, श्री जगदीश गांधी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

हमने समझा था कि इसका उत्तर आप बाद में दिलवा देंगे। प्रश्न का घंटा तो खत्म हो गया है। उसके बाद आप की शक्ति है। आप यदि चाहें तो मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें, न प्रश्न की शक्ल में सही। यह मामला भ्रष्टाचार का है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा कर के सुन लें। मैं आप का ध्यान नियम ३६ और ३९ की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं खुद जल्दी कर रहा था। मैं चाहता था कि सभी प्रश्नों को समाप्त कर दूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दिया हुआ था और उसको आप भी जान रहे थे। उसी नियम का सहारा लेकर मैं निवेदन कर रहा था। यहां पर एक सदस्य का प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री ---

जब श्रीमन्, ने यह कहा कि बाद को देखा जायगा तो श्रीमन् का कर्त्तव्य था कि कुछ समय बचाते। आपने नियमावली की बात कही उसमें तो हम बंधे हुए हैं लेकिन श्रीमन् के मुखारविन्द से जो बात निकली उसका श्रीमन् ध्यान रखते।

श्री उपाध्यक्ष---

नियमानुसार व्यवहार करने के लिए ही मैं सक्षम हूं। अगर आप प्रक्रिया में ऐसा नियम कर देंगे कि एक ही प्रश्न बार-बार पूछा जा सकता है तो मैं उस नियम का अनुसरण करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जिस नियम ३९ का हवाला आप ने दिया उसी का सहारा लेकर मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं। उसमें यह है कि हम अनुपस्थित हो जायं और प्रश्न पुकारा जाय तो फिर प्रश्नों की समाप्ति के बाद ही उस को लिया जा सकेगा। दूसरा यह है कि हम किसी को अधिकृत कर दें और आप को सूचना दे दें तो आप सवाल को ले सकेंगे। और तीसरा यह कि अगर कोई सदस्य उठकर कह दें कि उसमें मेरी अभिरुचि है तो उसको आप मौका देंगे। मान्यवर, कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि जब प्रश्न पुकारा गया तो वह आप के नोटिस में यह लाये कि उनकी अभिरुचि उस प्रश्न में हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जब मैं आगे बढ़ गया तब उन्होंने कहा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्रश्न यह था कि कृषि मंत्री यह बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि बीज में धूल व कंकड़ मिलाकर....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आप थे नहीं। मुझे स्मरण है कि कब उन्होंने कहा। जब मैंने प्रश्न पुकारा तब फौरन् खड़े हो गये होते लेकिन जब मैं आगे बढ़ गया और दूसरा प्रश्न पुकार दिया तब वे खड़े हुए।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, बात ऐसी नहीं थी, मैं, श्रीमन्, इसका आदी भी नहीं हूं। जिस समय माननीय जायसबाल जी का नाम पुकारा तो पद्धति यह है कि दूसरा कोई सदस्य उसी समय कहेगा कि हमारी इसमें अभिरुचि है। उसी समय मैंने यह बात कही। तब आप ने कहा कि बाद में इसको ले लेंगे। जहां तक इस नियम का ताल्लुक है....

श्री उपाध्यक्ष---

आप नियम को सुन लें। मैं उसे पढ़ रहा हूं। नियम के अनुसार अगर यह लगता है कि भूल हुई तो आप कहें। नियम ३६ इस प्रकार है कि प्रश्नों के घंटे में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रश्न सूचीबद्ध किये गये हों क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुये अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे जिसको अध्यक्ष स्वविवेक से विनिश्चित करें और ऐसे सदस्य पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये अपने स्थान पर खड़े होंगे। यदि वह सदस्य जो पुकारे गये हों अनुपस्थित हों तो अध्यक्ष आगामी प्रश्न को ले लेंगें शंका समाधान हो गया न ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह हम कहां कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम ३८, ३९ पढ़ने के बाद कल या दूसरे दिन स्वविवेक को जागृत करते हुये अगर यह समझें कि मैंने जो काम किया है उसमें अंगुली उठाने का किंचित मात्र भी अवसर है तो उठा सकते हैं। अब आप कृपा करके बैठिये।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपरक) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

मैं घोषणा करता हूं, कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९–७० का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ मार्च, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १० मार्च, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ मार्च, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को विवादार्थ लेने की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल शायद आपने यह कह दिया था कि नियम ५१ लिया जायगा। अभी यह टेलीग्राम हमारे माननीय सदस्य को मिला वह अभी हमको दिखा रहे रहे थे कि पहाड़ वाले जिलों में शराबबन्दी के सिलसिले में तमाम लोगों को इस सरकार ने गिरफ्तार करवाया है। ज्यादती पर ज्यादती यह सरकार करती जा रही है। आप इस पर कोई ऐसा उपाय कर दें कि सरकार अपना वक्तव्य दे कि आखिर किन परिस्थितियों में यह गिरफ्तारियां हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, समय पर आप कहियेगा।

"स्वतंत्र भारत" में गलत रिपोर्टिंग के संबंध में शिकायत

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना मैं दे रहा हूं। श्री माता प्रसाद जी ने यह कहा है कि आज के "स्वतंत्र भारत" के पृष्ठ ३ कालम ३ में मेरे नाम की जो रिपोर्टिंग है इसमें लिखा है कि "जिला परिषदों को जिलाधिकरियों के सिपुर्द करने का विरोध कर" यह गलत है। मैंने विधेयक का स्वागत किया है। इस रिपोर्टिंग से जनता में भ्रम पैदा हो सकता है। तो यह शुद्ध करने का आदेश दे दिया गया है।

सदस्यों को सूची के आधार पर बोलने का अवसर देने के संबंध में आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा माननीय मैनेजर सिंह ने माननीय अध्यक्ष को लिखा था कि :

"खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि आदरणीय सदन में भाषण के लिये माननीय सदस्य गण सूची के आधार पर पुकारे जाते हैं। इस सम्बन्ध में मान्य परम्पराओं और नियमों का प्रतिदिन उल्लंघन हो रहा हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि पीठासीन आसन पर जा कर निवेदन करने वाले माननीय सदस्यों को समय दिया जाता है। मैं सर्वदा इस प्रथा का विरोधी रहा हूं तथा अपमानजनक भी मानता हूं। मैंने अपनी सदस्यता काल में भाषण के लिये कभी दौड़ना उचित नहीं समझा है। बराबर स्वआसन पर खडा होता रहता है लेकिन खेद है कि नियम विरुद्ध कार्य संचालन के कारण मुझे अवसर नहीं मिलता।" तो इस पर माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया है कि स्लिप देने वा अनज्ञा मांगने के लिये डायस पर माननीय सदस्य अब न आयें तो उचित ही होगा। उन्हें सूचना दी जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मैनेजर सिंह ने तो यह कहा है कि पीठासीन व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से नाम नहीं पुकारे जाते हैं। उस नियम के अनुसार आप करेंगे या क्या करेंगे लेकिन आपने एक संकेत कर दिया और यह कहा कि सदस्य लोग ऊपर न आव, तो लिस्ट चलेगी या क्या होगा, जैसी भी व्यवस्था आप देंगे वह तो होगा ही।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी सचेतक लोग लिस्ट भेज देते हैं, कभी आप लोग भेज देते हैं। यदि भेजें तो भी मेरा काम चलता है और न भेजें तो भी, जो हमारे सामने आवेगा उसे हम बोलने का अवसर देंगे। तो यह जो माननीय सदस्य ने कहा है, यह उनका दृष्टिकोण है, मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज मैं यहां पर कह दूं कि उसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है और हम लोग देखेंगे।

(व्यवधान)

नियम ५१ तथा काशी विश्वविद्यालय के अन्दर अराजकता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को विचारार्थ लेने की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज्ञा दी है इसलिये मैं बोल रहा हूं। मैं एक ऐसे प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध इस पक्ष में जो लोग बैठे हैं और उधर जो लोग बैठे हैं, उन सब से है। प्रति दिन आपके सामने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अविलम्बनीय शब्द की व्याख्या क्या है। उसका मतलब यह है कि उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता, उसको आगे के लिये टाला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिये एक रूलिंग हो चुकी है कार्य-स्थगन प्रस्ताव के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष—

आप हाइपोथेटिकल बात न करें। क्या मन्तव्य है आपका ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उसका विषय है कि काशी विश्वविद्यालय के अन्दर एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है। काशी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत

क्या कार्य हो रहा है आज । वहां शान्ति---व्यवस्था खतरे में है तथा वहां गुंडागर्दी हो रही है । उपकुलपति का घेराव किया गया है और उनके मकान को जलाने की साजिश की गयी है । पत्थर मार-मार कर दरवाजों व खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये गये हैं । ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है और इस परिस्थिति के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखने के लिये आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में उस प्रश्न को विलम्बित नहीं किया जा सकता है । वहां छात्रों के अन्दर तनाव पैदा हो गया है और उनके दो गुट वहां लड़ रहे हैं । जहां ऐसी स्थिति हो जाय वहां के लिये भी अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को टाल दिया जाता है । एक तरफ तो आपने कहा कि नियम् ५१ के प्रश्न न आवें और कार्य-स्थगन का प्रश्न शाम को लिया जायेगा---तो मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों को तुरन्त लिया जाय, उन प्रश्नों को टाला नहीं जाना चाहिये । इसलिये मैं आपके सामने एक रूलिंग रख रहा हूं जो १ जुलाई, १९६६ को हुई है ।

"१८ जुलाई, १९६६ को उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपाल सिंह के नियमों के निलम्बन से सम्बन्धित निवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा.....''

श्री उपाध्यक्ष---

जो उदाहरण आप पढ़ रहे हैं, क्या उसको आप ७ दिसम्बर, १९६६ को संशोधित नियमावली के अनुरूप पढ़ रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उसी के अनुरूप पढ़ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह १८ जुलाई, १९६६ का है । अगर नियम के अनुसार उद्धरण दे रहे हैं तब दूसरी बात है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यदि कोई नियम हमारे संविधान के प्रतिकूल हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको मैं संविधान के विपरीत और असंगत पा रहा हूं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो भी बात कहें योग्यता के आधार पर ही कहें । जो उद्धरण आप दे रहे हैं उसे हमें देखना पड़ेगा और उसको मिलाना पड़ेगा कि जो बात आपने कहीं हैं वह समीचीन और उपयुक्त है या नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं आपका आभारी हूं, मैं योग्यता के आधार पर ही बोलने की कोशिश करूंगा वह तो आपके चरणों में बैठकर सीखेंगे लेकिन केवल इतना मैं निवेदन करूंगा कि यदि नियम यह बनाया जाय कि ४ बजे स्थगन का प्रस्ताव लिया जायगा तो यह नियम बिलकुल समीचीन नहीं है क्योंकि मान लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष---

वह हम कहां कहते हैं, आप उसको बता दीजिये इसमें रूलिंग की आवश्यकता नहीं है, नियमों के बारे में क्या रूलिंग होगी ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

रूलिंग इसलिये होगी कि जिस तरह से ला भी स्पष्ट होता है लेकिन कोर्ट्स में उसकी व्याख्यायें हुआ करती हैं---

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं यह नहीं होगा नियम स्पष्ट है, यह दलील लचर है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरी बात आप जरा सुन लें, मान लीजिए कि कहीं दंगा हुआ आज और वहां की स्थिति बहुत खराब है.....

श्री उपाध्यक्ष---

एक तो आपने यह हाइपाथेटिकल सवाल किया, सिद्धान्तों के विवेचन की बात कही । अगर मान लीजिये कि जैसे दफा ५१ और दफा ५६ के बारे में हम मंत्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेज देते हैं और वह वक्तव्य देते हैं यह सब तो हो रहा है । आपकी ही इच्छाओं के अनुरूप ४-५ मंत्री यहां पर वक्तव्य देते हैं तो क्या...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप की आज्ञा तो शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा तो हम मानेंगे ही लेकिन हमें आप इतना कहने का अवसर तो दें कि यह जो नियम है इसके बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष---

नियम पर क्या व्यवस्था दें । उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उसका इन्टरप्रिटेसन आप इस हिसाब से करें.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन यह करना है कि यदि आप इस कुर्सी पर पीठासीन हैं तो हम आपसे यदि स्पष्टीकरण न पा सकेंगे तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा कभी नहीं पा सकेगी । आपको तो श्रीमान्, डेमोक्रेटिक कनवेन्शन्स का कुछ आइडिया है । लोक सभा में या दूसरी स्टेट असेम्बलीज में या दुनिया में जहां-जहां पार्लियामेंट या विधान सभा हैं कहीं भी ऐसा नियम नहीं है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव शाम को लिया जाय । कार्य-स्थगन प्रस्ताव का एक महत्व होता है, यदि कोई बहुत ही महत्व की चीज है और यदि दिन के आरम्भ में ही उसको न लिया गया तो उसका महत्व ही नहीं रह जाता है । जब सारा दिन का काम समाप्त हो गया तो कार्य-स्थगन का कोई महत्व नहीं रहता । मैं नहीं जानता कि यह नियम कैसे बना दिया गया । पार्लियामेंट में और संसार में सब जगह कार्य-स्थगन प्रस्ताव शुरू में ही लिया जाता है, क्वेश्चन आवर के बाद ही इसको लेने के सब जगह नियम हैं । आपको नियमों को सस्पेंड करने का भी अधिकार है, इस तरह की आप कृपया आज व्यवस्था कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जो कह रहे हैं हम जरा समझ लें, यह जो हमारे नियम हैं या यह जो नियम है इसको हम कैसे सस्पेड कर सकते हैं ? यह इस पुस्तक में लिखा है जो स्वीकृत है और जो स्पष्ट है उस को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं निवेदन कर रहा था कि यदि इस प्रकार की एक रूलिंग आप दे सकें, आप सक्षम हैं वह आप दे सकते हैं। यदि कोई विषय कार्य-स्थगन का जनता से या विद्यार्थियों से सम्बन्धित हो जिसकी फौरी आवश्यकता हो तो चाहे सरकार से स्टेटमेंट दिला दें, सन्तोष हो जाय। आपको अधिकार है कि आप इसको प्रातः भी ले सकते हैं, आप कार्य को स्थगित करके इसको पहले ले सकते हैं आपको यह अधिकार है। आप स्वयं विचार करें कि यह नियम किस तरह से लोकतांत्रिक है, ऐसा नियम कहीं भी नहीं हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस नियम को सस्पेंड करके यह जो विद्यार्थियों का मामला है इस पर विचार करने का अवसर दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े भ्रम में पड़ गया हूं, मुझसे मेरे दोनों मित्र ज्यादा जानते हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि कार्य-स्थगन का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि काम रोक दो, काम रोकने का मतलब यही है कि चाहे कोई भी काम यहां चल रहा हो वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुये रोक दिया जाय क्योंकि उसके कारण बड़ी अव्यवस्था फैलने वाली है।

जैसा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि कम्युनिस्टों ने मिलकर वाइस चांसलर का घेराव कराया इत्यादि, इत्यादि। श्रीमन् इससे डर है कि कहीं सारी युनिवर्सिटीज में न फैल जाय और काम चल सकना ही कठिन हो जाय। इसलिये अगर आप सोचते हैं कि यह महत्व का प्रश्न है और नियमावली ही बाधक है तो आपको अधिकार है कि असाधारण स्थिति में आप नियमों को निलंबित कर सकते हैं। श्रीमन्, यह अधिकार अध्यक्ष को ही है। यह तो आपके विवेक पर छोड़ा गया है कि आप कौन-सी परिस्थिति में नियमों का निलंबन कर सकते हैं मेरा आपसे यह निवेदन है, श्रीमन्, कि कार्य-स्थगन के बारे में भी प्रकाश डालेंगे कि आज अगर अशांति है तो क्या कोई अन्य कार्य लिया जा सकता अथवा नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह बड़ी खुशकिश्मती की बात है कि यह व्यवस्था का प्रश्न आज यहां पर उपस्थित हो गया है। इसके पूर्व भी जब कभी ऐसी सूचना मिली तो आपके और माननीय अध्यक्ष की नोटिस में लाने का मैंने प्रयास किया। ज्यों-ज्यों हमारा जनतंत्र पुराना होता जा रहा है त्यों-त्यों हम अपनी परम्पराओं से हटते जा रहे हैं और जो सदन के अधिकार हैं, उनको भी कुन्ठित करते जा रहे हैं। अगर कार्य-स्थगन, एजीनमेंट मोशन का मतलब यही है, अगर वह सचमुच लोक महत्व का या अविलम्बनीय प्रश्न है तो उसकी अग्रेता मिलनी चाहिये सदन के और दूसरे कार्य पर। सदन में जो भी कार्य चल रहा है, उसको रोक कर इस काम को अग्रेता और प्राथमिकता देकर चर्चा करवा सकते हैं और अगर इसकी यह मंशा न होती तो इसके साथ इसको अलग चैप्टर बनाकर अपनी नियमावली में रखने का प्रश्न नहीं था। हमारी लोकसभा में और अन्य प्रदेश की विधान सभाओं में यही प्रथा है कि प्रश्नों के तुरन्त बाद ही कार्य-स्थगन का प्रश्न लिया जाता है। किसी कारणवश हमारी नियमावली में यह आ गया है कि इसे ४ या साढ़े ४ बजे, जब सदन के माननोय सदस्यों को असरकारी कार्य के लिये समय दिया जाता है, लिया जाय। यह प्रथा पहले यहां पर नहीं थी। आज नियम आ गया तो यह बाधक बन रहा है। लोक महत्व के इस प्रकार के दूसरे प्रश्न भी हैं जिनके बारे में आज अखबार में भी मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का बलिया का जो हिस्सा है.....

श्री उपाध्यक्ष---

अभी आप बहस कर रहे हैं कार्य स्थगन के प्रश्न पर।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस तरह का प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है तो अगर यही नियम चलायेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि आप कहेंगे कि हम नियमों के बाहर नहीं जा सकके तो उसका नतीजा क्या होगा । ये जो लोक महत्व के प्रश्न हैं, जिनको हम ले सकते हैं, कार्य-स्थगन के जरिये उनपर चर्चा करवा सकते हैं, नियम बाधक होंगे । आप तो उस समिति के जो नियम बनाती है, या उनमें संशोधन कर सकती है, चेयरमैन हैं । मेरी प्रार्थना है कि लोक सभा के जो नियम हैं, विधान सभा के नियमों को भी उनके अनुकूल बनवा सकें तो ज्यादा अच्छा हो । यह तो कमेटी विठवाकर ही आप कर सकते हैं । फिलहाल, अगर आप चाहते हैं और समझे कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है तो यह नियम बाधक नहीं बन सकता है क्योंकि आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि किसी-भी नियम का आप निलम्बन कर सकते हैं और उनका निलम्बन करके उस पर चर्चा भी करवा सकते हैं । तो इसके महत्व को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप यह व्यवस्था दें । अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो उससे भी कल्याण हो जाता है । लोक-हित में अगर कोई चीज बाधक हो तो आप उसे दूर करने के लिए सक्षम है । इसलिये आप इस पर चर्चा हो जाने दें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मेरे सामने नियम ६० और नियम ६१ हैं । नियम ६१ में प्रस्ताव लेने का समय है "यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिए साधारणतया नियत समय के एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा ।" अब अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए नियम ६० है- "यदि अध्यक्ष इस विचार के हों कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम ५७ के अन्तर्गत अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मागेंगे ।" फिर है (२) "यदि यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे . . .।" मान्यवर, इस समय वह चीज नहीं है कि सदन के समाप्त होने के एक घंटा पूर्व इसको लिया जाय । श्रीमन्, अनुज्ञा देने का समय तो यही है । जब प्रस्ताव आ गया श्रीमन्, तो अनुज्ञा मिल गयी, अनुज्ञा यह भी हो सकती है कि मान्यवर उसे स्वयं दे दें, यह भी हो सकता है कि अनुज्ञा देने में यदि कठिनाई हो तो उस पर विवाद हो जाय और उसके बाद अनुज्ञा दी जाय । मेरे मित्रों ने जो संकेत किया है वह बिलकुल स्पष्ट है और वह यह है कि जो लोक महत्व के प्रस्ताव हों या कार्य-स्थगन प्रस्ताव हों उन्हें इसी समय लिया जाना चाहिये । अनुज्ञा मिलने पर आप उसे पढ़ कर सुना दें और फिर जैसा कि नियमों में है उसके अनुसार उस पर बहस हो । इन नियमों के अनुसार उसका मन्तव्य यही है कि जैसे ही प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो, वैसे ही अनुज्ञा की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जानी चाहिये । इसलिये मेरा निश्चित मत है कि अनुज्ञा की प्रक्रिया इसी समय हो जानी चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ३१५ की ओर दिलाता हूं । इस नियम के शब्द "इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी" तथा "अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रह हुए" पर आप ध्यान दें । यानी यह शक्ति आपमें है कि आप अन्यथा निदेश दें । आप नियम २८ को नियम २९ कर सकते हैं, २९ को २८ कर सकते हैं हैं । प्रश्नोत्तर के बाद आप काम-रोको प्रस्ताव ले सकते हैं । उसमें आपको अन्यथा निर्देश देने का पूरा अधिकार है। आप चाहें तो अपने अधिकार का उपयोग किसी समय करें या न करें । यह आपके स्वविवेक पर निर्भर है। आप अपने विवेक से इसका हल निकाल सकते हैं । आज आप इस पर बहस चलवा दीजिये, सरकार का कामकाज रोकिये । क्योंकि माननीय मित्र ने जो कहा वह बहुत

ही महत्वपूर्ण मसला है। महत्वपूर्ण प्रश्न और लोक महत्व के प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शक्ल में आना चाहिये जैसे देवरिया की कुछ चीनी मिल मालिकों ने गन्ना किसानों का रोक दिया है--उनका पैसा देना बन्द कर दिया है। इसमें वे मिलें भी शामिल हैं जिनको सरकार ने ले रखा है। इस विषम परिस्थिति में हम विवश हैं कि आप लोगों से कहें कि सरकार से बयान तुरन्त दिलवायें, क्योंकि सदन उठने वाला है। आप इन प्रस्तावों को नियम ५१,५३, ५५, ५६ में जिसमें समझें जब चाहें तब ले सकत हैं। इसमें आपको अन्यथा निर्देश देने की शक्ति है। आप इसे नियमों के अनुकूल ले सकते हैं। अन्य नियमों को बदलने की शक्ति आप में भले ही न हो, लेकिन इसमें आपको शक्ति प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सिद्धांत की बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो इससे संबंधित है। उस समय आपने इसका अवसर नहीं दिया। आज जो कार्यवाही छपी है उसमें और जो रोज छपती थी उसमें बड़ा अन्तर है। आज कई चीजों को निकाल दिया गया है। हम इस सदन के सदस्य है इस नाते हमारा कुल अधिकार हैं। दो अधिकार हमको मिलते है--सदन की व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उपस्थिति करने और मंत्रि-परिषद् की जो जिम्मेदारी है उसके संबंध में उनसे प्रश्न करना। जब हमारा दूसरा अधिकार छीन लिया जायेगा तो यह सदन कैसे चलेगा। २६ तारीख से मैं बराबर देख रहा हूं कि नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना उस दिन ग्राह्य नहीं होती है। जब दूसरे दिन ग्राह्य होती है तो उसकी सूचना भी संबंधित सदस्य को नहीं दी जाती है। उसको सूचना नहीं मिल पाती है और वह अंधकार में बना रहता है। उदाहरण के लिए मैं आप को बताऊं बहराइच से संबंधित एक नियम ५१ की सूचना श्री पारसनाथ सिंह ने दी थी फारेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किसानों की झोपड़ियों को हाथियों से उखड़वाये जाने के बारे में। इसकी सूचना भी माननीय सदस्य को नहीं मिली और वह नहीं रहे, प्रश्न नहीं कर सकें। वैसे ही मैंने कल एक दिया था, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर आपने कहा था माननीय अध्यक्ष नहीं हैं, वह आयेंगे तो विचार होगा। कार्य-स्थगन प्रस्ताव किसी महत्वपूर्ण विषय पर दिया जाता है। इसलिये उसी दिन बहस होनी चाहिये थी। इसी तरह से बरेली के एक स्टेशन पर डाका पड़ा। तो जब से चरणसिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं न कहीं भयंकर कत्ल और डकैती की वारदातें न हों। आप अखबार के पन्ने उठाकर देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोलें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

हर पन्ने पर आपको मिलेंगी कुछ घटनायें। उसके ऊपर कार्यस्थगन प्रस्ताव आने चाहिये और आते हैं और आप को उनको किसी भी कीमत पर लेना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पहले नियम ५१ के बारे में त्रिवेणी सहाय जी ने जो सवाल उठाया, उसके बारे में मैं आप से निवेदन करूं। वस्तुस्थिति यह है कि मैंने कल घोषणा कर दी थी, जैसे उन्होंने यह कहा कि कार्यसूची में कुछ अन्तर है। मैं मानता हूं क्योंकि कल यह निर्णय अध्यक्ष द्वारा हुआ था, उसको मैंने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया था, और उस पर लिखा था इसमें

[श्री उपाध्यक्ष]

लिखा है कि इन दिनों में नियम ५१ के कोई प्रश्न नहीं लिये जायेंगे, क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गयी है। उसका समाधान यह है। अब रह गयी नियम की बात। पुराने नियम जो थे, उनमें कार्य-स्थगन के बारे में १५ संख्या थी। अब इसके बाद २८ पर नयी नियमावली में रख दिया गया। इस सदन की जो प्रक्रिया रही है कार्य-स्थगन के बारे में कठोरतर रही है, कठिन से कठिनतर रही है। अब मैं नियम ३१५ की ओर ध्यान खींचूंगा। मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव, २५ पर है। सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आनुज्ञा २८वें नम्बर पर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप फिर से पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये। मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपा करके बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नहीं सुनूंगा। मैं जो कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। इससे पता चलता है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव २८वें नम्बर पर है, मेरी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि कुछ भी हो।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप अपनी व्यक्तिगत दृष्टि बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मेरी एक दृष्टि है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यदि आप कोई व्यवस्था न भी दें तो व्यवस्था हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी बुद्धि तो छोटी है और अपनी बुद्धि मैं इस्तेमाल करूंगा। हम चाहते हैं कि एक माननीय सदस्य की बुद्धि मेरी से ज्यादा तीक्ष्णतर हो, यह मेरी इच्छा है। जब तक नहीं होती है और जब तक नियम है तब तक मेरी बात को सुनें। लोक सभा का भी है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

नुस्खा दे दीजिये जिससे तीक्ष्ण हो जाय, तो हो जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसमें संशोधन कर लें खाली तीक्ष्ण न हो, जो ठिकाने पर रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं ठिकाने पर की बात नहीं समझता। मैं तीक्ष्णता की बात समझता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

हमारे मित्र के लिए भी यह लागू होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप ऐसी रूलिंग दें जिससे हम लोगों की बुद्धि ठिकाने हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

लोक सभा में ४ बजे है ।

"The motion that the House do now adjourn, shall be taken at 16.00 hours or at an earlier hour if the Speaker, after considering the state of business in the House, so directs."

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कायदे कानून के रहते हुए यदि आपकी इच्छा है, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं और सदन विचार कर सकता है। आपकी इच्छा ही सबसे बड़ी बात सदन के लिए है। अगर अध्यक्ष की इच्छा हो तो वे नियम को निलम्बित कर सकते हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा लिफ्ट तथा रास्ते में भीड़ के कारण सदन में आने में असुविधा के संबंध में शिकायत

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं सुबह से कोशिश कर रहा था, व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। बहुत आवश्यक है। पिछली बार जब गुप्ता जी की सरकार थी तो माननीय चरण सिंह जी ने पांच घंटे का भाषण दिया था । उसमें एक बात विशेष रूप से कही थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, चरण सिंह या....

श्री त्रिवेणी सहाय—

उसमें कहा गया था कि यहां सदन के चारों तरफ जनता इकट्ठी रहती है, भीड़ रहती है, सदस्यों को सदन में आने में तकलीफ रहती है। आज जब मैं यहां पर आने के लिये घुसा तो लिफ्ट के पास कुछ समय तक खड़ा रहा । तीन बार लिफ्ट गई लेकिन मुझे चढ़ने को नहीं मिल सका । तीन बार अफसर लोग आते रहे और चढ़कर जाते रहे । जब यहां ऊपर आया तो देखा कि इधर-उधर इतनी अफसरों की भीड़ थी कि घुसना भी कठिन हो रहा था । हम लोगों को चौधरी चरणसिंह से आशा थी कि जिस प्रकार से वह भाषण देते हैं तो उसका असर होगा लेकिन उसके उलटे ही हो रहा है। आखिर यह बात क्यों हो रही है? जब हमको यहां आने में देर होती है । जब हम लोग यहां आते हैं तो इधर-उधर अफसरों की भीड़ लगी रहती है और सारा का सारा रास्ता रुका रहता है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह समय इस प्रकार की शिकायत उठाने का नहीं है। इस शिकायत को आप अन्यथा समय भी उठा सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इनका कहने का यह अभिप्राय है कि आजकल इस शासन में ऐसी अव्यवस्था हो गई है कि अफसर अपना काम छोड़कर सब यहां आकर भीड़ लगा देते हैं ।

श्री उपाध्यय —

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—,

मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक यह विधान सभा सचिवालय उस सरकारी सचिवालय से अलग नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं यही निवेदन कर सकता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (क्रमागत)*

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल जिला परिषद् विधेयक पर बोल रहा था। जिस प्रकार से बुराई और भ्रष्टाचार जिला परिषद् में फैला है वह सर्वविदित है। अध्यापकों के वेतन के प्रश्न को देख लिया जाय ? अध्यापक को ठीक समय पर वेतन न हीं मिलता है। वेतन न मिलने से शिक्षा का काम नहीं हो रहा है। न वह अपनी स्थिति ही जिला परिषदों की सड़कों को देख लिया जाय। उनकी मरम्मत नहीं की जाती है। अगर की जाती है तो वह नाममात्र को ही की जाती है। खाना पूरी की जाती है। स्कूल भवनों को देखा जाय तो आप किसी भी स्कूल की हालत ठीक नहीं पायेंगे। यदि किसी तरह से उनकी रिपोर्ट की जाती है तो उस पर जिला परिषद् ध्यान नहीं देती है। स्कूलों को मनमाने ढंग पर चलाया जाता है। चार, चार दिन तक स्कूल बन्द रहते हैं। अध्यापक पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। शिकायत लोग करते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है। इस समय जो भी कार्य जिला परिषद् के अन्तर्गत चल रहे हैं वे सब मनमाने ढंग पर चल रहे हैं। ठेके के जितने भी काम दिये जाते हैं वे सब पक्षपातपूर्ण ढंग से दिये जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी कार्य जिला परिषद् से चल रहे हैं वह सब असंतोषजनक हैं।

दूसरी तरफ यह जिला परिषद अगर जिलाधिकारी के अन्दर कर दिये जायेंगे तो मैं इसको पसन्द नहीं करता हूं क्योंकि ये जिला परिषद हमारी प्रजातंत्र की इकाई हैं। इनका पालन होना चाहिये। प्रजातंत्र में यह हमको बड़ा भारी अधिकार मिला हुआ है। इसलिये प्रजातंत्र में हमारी इन छोटी इकाइयों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषदों को जिलाधिकारी के अन्दर न देकर इनका प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाय। जब तक इनका चुनाव नहीं होता है जब तक इनके लिये एक तरह से समिति का गठन किया जाय जिसमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य, विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य हों ताकि उनका कार्य सुचारु रूप से चल सके। इन जिला परिषदों को जिलाधिकारी के अन्तर्गत देने की जो बात कही जाती है उस संबंध में मैं अपने मिर्जापुर की बात बतलाऊ। हमने अपने यहां जिलाधिकारी के सामने एक महत्वपूर्ण बात रखी। हमने उनके सामने यह रखा कि परगना आगोरी का सर्वे कराया जाय। उसके लिए एक कमेटी बनी जो बड़ी धांधली से काम कर रही है और भ्रष्टाचार फैला रही है। हमने इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया लेकिन हमको कोई भी उत्तर नहीं मिल पाया और नहीं हमारी शिकायत का समाधान किया गया। जिला परिषद् छोटी इकाई के केंद्र हैं जहां से उत्थान का काम शुरू होता है। इसको जिला अधिकारी के अन्तर्गत कर दिया जायगा तो वह काम नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से

*१६ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

अनुरोध करता हूं कि जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जायं और जब तक चुनाव न हों तब तक एक कमेटी बना दी जाय । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो शर्मा जी ने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बसन्त लाल शर्मा इसका उत्तर देंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

खंडों पर मेरे दो संशोधन हैं। कल भी मैंने कहा था और आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अविश्वास का प्रस्ताव दो बजे लेना है और उससे पहले इसे समाप्त होना चाहिये ।

श्री रामधारी शास्त्री—

खंडों पर संशोधन न कल लिये गये और न आज लिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दे दिया था ।

श्री रामधारी शास्त्री—

निर्णय माननीय अध्यक्ष का यह नहीं था कि खंडों पर संशोधन पेश ही नहीं होंगे। यह निर्णय कैसे हो सकता है कि संशोधन लिये ही नहीं जायेंगे। हां उन पर बहस नहीं होगी। लिहाजा खंडों पर जो संशोधन हैं उनको आप पेश करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को उत्तर भी देना है । काफी लोग पहले ही बोल भी चुके हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

लेकिन मैंने कल भी बतला दिया था कि मेरे निश्चित दो संशोधन हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

संशोधन तो मेरा भी पेश है। कल जब मैंने भाषण दिया था तो मैंने कहा भी था कि मैंने अपने संशोधन को फार्मली मूव कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

रामधारी जी, अच्छी बात है आप ५ मिनट बोल लीजिए ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन पढ़े देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अपना भाषण दे दें ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, हमारे संशोधन की मंशा यह है कि निश्चित रूप से जैसा कि मंत्री जी ने कहा मैं उसका स्वागत करता अगर नार्मल कोर्स में यह विधेयक आया होता। हमने कहा था कि

[श्री रामधारी शास्त्री]

जिला परिषदों का कार्य कलाप बड़ा दुखद है और जनता में इससे बड़ा असंतोष है। हमने समझा था कि जून १९७० तक इनका कार्यकाल है और इस बीच में सरकार ऐसी कोई तात्कालिक कार्यवाही करे कि नये बोर्ड आ जायं। लेकिन जो इस समय विधेयक आया है उसमें कीचड़ धोने का काम कीचड़ से किया गया है । ऐसी मेरी मान्यता है। मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि उस समय कौन सरकार थी जो इस समय मौजूद है या दूसरी सरकार थी, लेकिन उसमें भी जो जिम्मेदार लोग हैं वे उसमें भी थे और इसमें भी हैं उनकी ड्यूटी थी कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो जिला परिषदों का चुनाव कराते। लेकिन नहीं हो सका। इसलिए मेरी निश्चित राय है कि जिलाधिकारी के हाथ में स्वच्छाचारिता का असवर देना ठीक नहीं है।

जो विधायक यहां रहते हैं वह मंत्री हो सकते हैं लेकिन जितने विधायक एम०एल०ए०, एम० एल० सी०, या एम० पीज० हैं व जिला परिषदों के सदस्य हैं व क्या जिम्मदारी के साथ काम नहीं कर सकते हैं । इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि उन का ध्यान देना चाहिये कि अकेले सारे अधिकार जिलाधीश को न दिये जायं क्योंकि वे भी दूसरी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा जिला बोर्ड को चलाने का जनता को अनुभव है । इसलिये मैं चाहता हूं और मेरे संशोधन का मुख्य आधार है कि विधान परिषद् या विधान सभा के जितने सदस्य जिला परिषदों में हैं उनको ही इसका सदस्य मान लिया जाय और जिलाधीश अध्यक्ष रहें। मेरे मित्रों की ओर से सुझाव आये हैं कि कलक्टर ही सब कुछ है । इसलिये सारे अधिकार उनको ही दे दिये जायं । यह ठीक नहीं होगा । मेरा संशोधन यह है कि जिलाधीश अध्यक्ष रहें और विधायक लोग जो इसके सदस्य हैं वे सदस्य रहें । यह सलाहकार समिति नहीं होगी बल्कि जिला परिषद् की एक छोटी शक्ल होगी जब तक नये चुनाव न हो जायं । यह छोटा सा संशोधन है और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का भी संशोधन है कि दो वर्ष के बजाय एक वर्ष का समय लीजिये ।

जनतंत्र की दुहाई दी गई । अगर उसकी रक्षा करना है तो पहले यह देखिये कि १९३७ में कांग्रेस पावर में आई । मार्च, १९३८ में एक कमीशन बिठाया गया था । माननीय खेर जी उसके अध्यक्ष थे । उसने कहा था कि नामीनेशन नहीं होने चाहिये और बालिग मताधिकार द्वारा इनका चुनाव होना चाहिये । एक बार इनके चुनाव हुये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम भी परम्पराबादी हो गये हैं । जिला बोर्ड बने और दस साल बाद ५८ तक रहे और फिर अन्तरिम जिला परिषद बन गये । अब फिर दस वर्ष बाद जिला परिषदों का सरकार चुनाव करायेगी । मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस क्षेत्र में अवहेलना हो रही है वह अच्छा नहीं है । इससे प्रदेश का शासन बिगड़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा । मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इसको सोचें कि जो गड़बड़ी अध्यक्ष करते हैं उससे कहीं ज्यादा गड़बड़ियां अनेक जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा होंगी ।

और दूसरे जो विभाग हैं जैसे सामुदायिक विभाग और कृषि विभाग, इसमें क्लेक्टर और बड़े-बड़े आफिसरों द्वारा ही गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिलाधीश की अध्यक्षता में एम० एल० ए० और एम पीज० रहें, अकेला जिलाधीश न रहें। इसके बाद जल्दी से जल्दी आप चुनाव करायें । २ वर्ष की जो आप म्याद ले रहे हैं, वह बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आपको ६ महीने में ही उसके चुनावों को करा देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोलीलाल यादव (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक संशोधन है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें ४ संशोधन ऐसे हैं जिनकी एक सी भाषा है, उनको तो एक ही माना जायगा फिर भी ३–४ संशोधन और रह जाते हैं । एक-एक दल के एक एक माननीय सदस्य अगर बोलना चाहें तो ५–५ मिनट दे सकता हूं ।

श्री मोतीलाल यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी माननीय बसन्तलाल जी शर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं और अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत विधेयक जनतंत्र प्रणाली की हत्या करने वाला और नौकरशाही का समर्थक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान माननीय विकास मंत्री जी के कल के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं । पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के बारे में उन्होंने कहा था कि बलवन्तराव मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि शासन का विकेन्द्रीय करण होना चाहिये। उनको राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाता है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को ठेस पहुंचेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो यह सरकार नयी बनी है वह केन्द्रीयकरण को ओर जा रही है अथवा विकेन्द्रीय करण की ओर । बलवन्त राव मेहता कमेटी के आधार पर ही सांव सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का निर्माण हुआ था । लेकिन शासन के बदलते ही अपने व्यक्तियों को जिला परिषदों में भरने के लिये और तानाशाही मनोवृत्ति को बढ़ा वा देने के लिये इस विधेयक को लाया गया है। यह विधेयक जनतंत्र रूपी द्रोपदी के जनतंत्र रूपी चीर का चीर हरण करने केलिये दुर्योधन के इशारे पर दुःशासन द्वारा खीचा जा रहा है और इधर पांडव लोग चुप बैठे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पुराण गाथा न कहें, आप अपने संशोधन पर बोलें ।

श्री मोतीलाल यादव—

धारा २९ के अन्तर्गत अगर कोई अध्यक्ष गलती करता है तो आप उसको हटा सकते थे, उनको नोटिस देकर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते थे, उसको निलम्बित कर सकते थे ।

अगर साबित हो जाता तो भ्रष्ट अध्यक्षों को तीन साल के लिये डिबार कर दिया जाता । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है कि २ वर्ष की जगह २ माह कर दिया जाय । दूसरा यह है कि जो कहा गया है कि जिला अधिकारी···

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़कर सुना दें ।

श्री मोती लाल यादव—

जिला अधिकारी के सुपुर्द सारे कृत्य कर दिये जायेंगे तो मेरा संशोधन है कि उस कमेटी में किसी पार्टी के लोग न रहें, सिर्फ विधान सभा, विभाग परिषद, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को उसमें रक्खा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिये एक राजनैतिक चाल चली गई है । सरकार अपने आदमियों को बिठाकर शासन मशीनरी अपने हाथ में करना चाहती है । इससे प्रदेश में असंतोष फैलेगा और जनतंत्र की हत्या हो जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मेहरबान सिंह ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरी तरफ से भी संशोधन है, इसलिये मुझे बोलने का अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मेहरबान सिंह बोल रहे हैं ।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है । श्रीमन्, जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण दिये हैं उसमें यह साफ लिखा है कि "यह भी प्रस्ताव है कि इन निकायों के संघटन और कृत्यों पर पुनर्विचार किया जाय। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में इस विधेयक में यह नहीं दिया हुआ है कि क्या पुनर्विचार किया जावेगा । श्रीमन्, इसमें यह भी लिखा है कि "इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिये यह प्रस्ताव है कि जिला परिषदों का प्रशासन, दो साल की अवधि के लिये, या जब तक कि जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो जिला मैजिस्ट्रेटों को सौप दिया जाय।" श्रीमन्, जिला परिषद ऐक्ट में सेक्शन २१ में प्राविधान है :

"Provided that a Adhyaksha shall continue to hold office after the expiry of the term of the Zila Parishad till a successor has been elected by the reconstituted Zila Parishad."

अर्थात् जिला परिषद् का अध्यक्ष अगर जिला परिषद खतम भी हो जाय तो जब तक उसका सक्सेसर न नियुक्त हो जाय या जिला परिषद् का रीकान्सटीटयूशन न हो जाय तब तक वह रह सकता है। विधेयक में एक यह संशोधन खंड २ (ग) के उपखंड १ की दूसरी पंक्ति में "व्यक्ति" लिखा है इसको अवश्य निकाल देना चाहिये। शब्द व्यक्ति को विधेयक में रखने से जिला अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को पावर डेलीगेट करने का अधिकार हमेशा रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को पावर डेलीगेट करना मैं समझत हूं उचिता नहीं होगा। यदि जिलाधिकारी अपने ए० डी० एम० या डिप्टी कलेक्टर को भी जिला परिषदों को देखने के लिए कहें तो वह भी ठीक नहीं होगा। वह स्वयं ही जिला परिषद् के काम करें तो उचित होगा ।

हमारे बहुत से सदस्य भाइयों ने यहां पर कहा कि जिला परिषद् में बहुत भ्रष्टाचार है। मैं भी जिला परिषद् का अध्यक्ष ६, ७ साल रहा हूं जिला पौड़ी-गढ़वाल में मैं अध्यक्ष था। ६, ६, महीने आडीटर वहां काम देखते रहे। आप यदि वहां देखें तो आप को मालूम होगा कि वहां पर कितना काम हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं जिलों में भ्रष्टाचार हुआ होगा लेकिन यह नहीं मानना चाहिये कि सभी अध्यक्ष करप्ट हैं। जिला परिषद् ऐक्ट आप देखें तो मालूम होगा कि अध्यक्ष को कोई ऐसी पावर नहीं है कि वह किसी ग्रूप के साथ पक्षपात कर सकें और किसी को अपने आप ठेका दे दे या किसी खास व्यक्ति का फेवर कर सके। अध्यक्ष की पावर्स तो अच्छी तरह से जिला परिषद ऐक्ट में दी हुई हैं। सड़कों आदि को बनवाने का काम तो इन्जीनियर के द्वारा होता है जिला परिषद् का इन्जीनियर इन कामों को देखता है। भ्रष्टाचार हमारे देश में दुर्भाग्यवश बढ़ता चला जा रहा है और यह केवल जिला परिषद् में ही नहीं है बल्कि सभी विभागों में यह व्याप्त है। अदालतों में भी आप देखें, हमारे बहुत से सदस्य भाई वकील हैं, वे जानते हैं कि अदालतों में कितना करप्शन है। यह कह देना कि अध्यक्ष ही करप्ट हैं, उपयुक्त नहीं होगा। सरकार के सामने बहुत से अधिकारियों के भी केसेज होंगे, जो इस तरह के होंगे। सत्य तो यह है कि हम सब को अपने चरित्र का निर्माण करना है और अपने को देखना है। भगवान् हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने चरित्र को निर्मल बना सकें। अपने देश का उन्थान कर सकें और पवित्र सेवा कर सकें। अध्यक्ष करप्टेड हैं ऐसा कहना उचित नहीं होगा। श्रीमन्, दो साल की अवधि के लिए या ज्यादा प्रशासन जिला मैजिस्ट्रटों को सौंपना उचित न होगा। मेरा इस सम्बन्ध में निवदन है कि ९ महीन के अन्दर ही या अधिक से अधिक एक साल के अन्दर ही इस के चुनाव करवाने चाहिये। ऐसा होने से ही प्रजातन्त्र चल सकेगा। गांव समाज, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् द्वारा ही विकास का काम किया जा सकता है। इस प्रकार जिला परिषद् प्रणाली चलायी जाय तो बहुत ही सुन्दर होगा। श्रीमन्, एक और निवेदन है ऐक्ट में सेक्शन १८ देखें जिस

में कम्पोजीशन आफ जिला परिषद् दिया है। उसमें तीन नोमिनेशन करने का अधिकार सरकार को दिया है। जहां तक कि डमोक्रेसी का सम्बन्ध है नोमिनेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से सदस्यों को किये जाते हैं, ३ मेम्बर, बनाये जा सकते हैं यह चीज करप्शन है। जो भी सरकार बनाती है वह अपने पार्टी का नामांकन करती है यह प्रणाली प्रजातन्त्र में भ्रष्टाचारी कही जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि नोमिनेशन की प्रथा जिला परिषद् ऐक्ट के सेक्शन १८ से निकाल देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया और मैं उन संशोधनों के बारे में इस वक्त नहीं कहूंगा।

धन्यवाद।

श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठना चाहिये। माननीय राम देव बोल रहे हैं।

श्री भाभी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो कृपया सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहें।

श्री भाभी—

मैंने संशोधन रखा था। मुझे केवल २ मिनट का मौका तो मिल जाना चाहिये था। कल से ५० बार बगैर खाना खाये मैं उठता रहा हूं, मगर मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे दिल को इतनी तकलीफ पहुंची है जो नहीं होनी चाहिये थी। श्रीमन्, ५० बार खड़ा हुआ हूं बगैर खाना खाये।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास सभी सदस्यों की लिस्ट रहती है। आप ५० बार खड़े हुये, तो इसका निष्कर्ष कोई दूसरा निकलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री भाभी को हमेशा वक्त दिया है और न देने का कोई कारण नहीं है। उनके दल वाले को कम वक्त मिला है या नहीं मिला है, कोई आपत्ति उठायी जाय, अच्छा नहीं लगता। आपको समय दिया जायगा।

*श्री राम देव—

श्रीमन्, यह जो जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति अल्पकालीन व्यवस्था का विधेयक प्रस्तुत हुआ है, इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमन्, क्यों स्वागत करता हूं, इस के अनेक कारण हैं, अनेक बातें हैं, और मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक नितान्त सामयिक है। यह विधेयक जन भावनाओं से सेवित है, समर्थित है और सर्वथा समीचीन है। मुझे बड़ा दुःख होता श्रीमन्, जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जनतन्त्र की हत्या हो रही है इस विधेयक क माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों के अन्यायों, अत्यचारों का मैं भुक्तभोगी रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदेव]

हूं। उनका चित्र प्रस्तुत करने की मेरी इच्छा थी। आपने समय दिया। कुछ अंश मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जनतन्त्र की हत्या कहां हो रही है? जिला परिषदों का काल केवल ५ वर्ष का था। २ वर्ष उसका काल बढ़ा। अगर अब उसके आगे नहीं बढ़ता है तो जनतन्त्र की हत्या इसमें कहां है। मैं कहना चाहता हूं कि जब जिला परिषदों के अध्यक्ष अध्यापिकाओं के साथ अन्याय करते हैं, अध्यापिकाओं के सतीत्व को नष्ट करने की साजिशें होती हैं, तब वह जनतन्त्र की दुहाई कहां रहती हैं। अध्यक्ष ही नहीं, श्रीमन्, उनके साथ रहने वाले सदस्य भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं। अध्यापक रोटी के लिए परेशान होते हैं। उनको वेतन नहीं दिया जाता है। सड़कों के निर्माण में और टाट पट्टियों के खरीदने में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचर होते हैं। जिला परिषदों के माध्यम से जो काम होते हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है।

श्रीमन्, प्रतापगढ़ में एक विशेष स्थिति चल रही है। मैंने कई बार यहां प्रश्न भी उठाये थे, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला परिषद् प्रतापगढ़ का सदन कुछ समय के लिए एडजर्न भी हुआ था, लेकिन, श्रीमन्, कोई हल नहीं निकला। तो इन अन्यायों को, इन गड़-बड़ियों को, इन भ्रष्टाचारों को समाप्त करने के लिए आवश्यक था कि यह विधेयक आता। यह विधेयक आया, इसका मैं स्वागत करता हूं। श्रीमन्, मैं ही नहीं स्वागत कर रहा हूं, जब कि यह विधेयक जिलों में गया, क्षेत्र समितियों में गया तो कोटि-कोटि जनता की ओर से इस विधेयक की आरती उतारी गयी। लोगों ने कहा कि जिला परिषद् भंग करने के बाद ही जो सही विधायक हैं उनको आना चाहिये।

(मेजें पीटी गयीं)।

तो श्रीमन्, जो जनतन्त्र की दुहाई दी जा रही है, यह दुहाई गलत है। ये साजिश वाले लोग ही कह सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिला परिषदों के अध्यक्षों की छत्रछाया में हैं। ऐसे लोगों का जिला परिषदों के अध्यक्षों से सहायता मिलती होगी। वही लोग ऐसी बातें करेंगे। न तो जनतन्त्र का नाश हो रहा है और न उसकी हत्या हो रही है। हत्या तब होती है जब अध्यापिकाओं के सतीत्व को नष्ट किया जाता है। मुझे दुःख है कि हमारे विधायक भाइयों ने—सम्मानित सदस्यों ने ऐसा नहीं कहा।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज यह समय की मांग है, समय की पुकार है, समय का तकाजा है और इस पुकार के अनुरूप ही यह विधायक है, इसको पारित होना चाहिये। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा। कुछ हमारे विधेयक साथियों ने कहा कि जिलाधिकारी को सर्वाधिकार दे देना इस सम्बन्ध में उचित नहीं होगा। मैं भी इससे सहमत हूं। जिलाधिकारी को ही एकांतिक अधिकार दिया जाय जिला परिषद् को भंग करके तो यह ठीक नहीं है। मैं सरकारी पक्ष से, मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें संशोधन करें, चाहे जिस ढंग से संशोधन करें। मैं तो यह समझता हूं कि जो जनता के चुने हुए विधान सभा के प्रतिनिधि हैं, एम० एल० सी० है, एम० पीज० हैं, उनकी परामर्शदात्री समिति रहे और उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी हो। तभी वहां काम व्यवस्थित रीति से चल पायेगा अन्यथा तो जिलाधिकारी को अगर पूर्ण अधिकार दे दिया तो उसके विरुद्ध भी भ्रष्टाचार का हल्ला मचेगा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक स्वागत योग्य है। लेकिन संशोधन यह है कि संपूर्ण अधिकार जिलाधिकारी को न दिये जायं और वहां जन प्रतिनिधियों की परामर्शदात्री समिति बनायी जाय।

*श्री भाभी—

उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अल्पकालिक व्यवस्था का विधेयक, १९७० पेश किया गया है उसके खंडों में जो मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जब सरकार की तरफ से कोई विधेयक आता है तो सरकार पक्ष के लोग उसके समर्थन में और विरोध पक्ष के लोग विरोध में बोलते हैं। यह एक ऐसा विधेयक पेश हुआ है जिस पर दो दिन की बहस सुनने पर लगता है कि चाहे सरकार पक्ष के विधायक बोले या विरोध पक्ष के सभी ने संशोधन को मानते हुए विधेयक का समर्थन किया है। लेकिन मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि मंत्री जी से और सरकार के लोगों से कि ईमानदारी की बात सोंचे तो जब विरोध पक्ष के लोग ईमानदारी की बात करते हैं तो सरकार को भी ईमानदारी की बात पर उतरना पड़ेगा और अगर हमारा संशोधन सही है तो उसको आप मानें। जब आप जनता द्वारा बनाई गयी किसी चीज को तोड़ते है तो वहां जनता के प्रतिनिधि लोग की एक सलाहकार समिति जरूर रहनी चाहिये। जैसा कि विधेयक में है कि सारे अधिकार जिलाधीश को दिये जायं, यह ठीक बात नहीं है। संशोधन के साथ उस जिले के विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संसद सदस्य, इनकी कमेटी जरूर रहनी चाहिये और ऐसी परिस्थिति में जब कि एक पार्टी की सरकार न हो कर मिली जुली सरकार इस प्रदेश में चल रही है तो मुझे यही निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी इस बात को फिर से सोचने की कृपा करें ताकि संशोधन के साथ यह विधेयक पास हो, नहीं तो इस संशोधन के पक्ष में और विधेयक के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। इतना कह कर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह विधेयक ला कर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जनपद के लोगों की अधिकांश कठिनायी दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके लिये मैं इनको बधाई देता हूं। परन्तु दु:ख एक चीज का है कि यह सब कार्य करते हुये भी यह अपनी चाल से बाज नहीं आये। इन्होंने इसमें भी अपना स्वार्थ निकाला, नहीं तो एक दम शुद्ध बधाई के पात्र होते, लेकिन उसको दूषित कर दिया। उसको दूर करने के लिये हमने संशोधनों को प्रस्तुत किया है। हमारे संशोधनों को मान लेते या अपनी तरफ से कोई संशोधन लाये होते तो मैं समझता, लेकिन अपनी तरफ से भी नहीं लाये। इसका मतलब यह कि जो मैं बदनीयती का दोषारोपण इन पर करता हूं कि वह बिल्कुल पक्का है। मिसाल दो। तीन संशोधन मैंने रखे है। दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष रख दिया जाय। क्या एक वर्ष में एलेक्शन नहीं करा सकते? दो वर्ष क्यों रखी? दोनों संबंधित है। "दो वर्ष और व्यक्ति।" दो वर्ष इसलिये रखा कि दो वर्ष में अगर किसी व्यक्ति को अधिकार देना होगा तो उस व्यक्ति द्वारा जो उनका होगा, दो वर्ष में अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, मिड टर्म पोल का सारा मसाला तैयार कर लेंगे। सारे जिले में अपनी नींव जमा लेंगे। वह हथकंडे अपनायेंगे जो हथकन्डे इनसे पूर्व जो थे उन्होंने अपनाये थे। नहीं तो आपने क्यों नहीं संशोधन माना कि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष हो जाय? और व्यक्ति निकाल दीजिये। आखिर वह कौन व्यक्ति होगा? अगर व्यक्ति को अधिकार देंगे तो क्या ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके विरुद्ध हो? बड़ा स्वाभाविक है कि आपकी कृपा किस पर होगी। किसी बी० के० डी० वाले पर या इन्डीकेट वाले पर। आप तो कभी स्वतंत्र से गठबन्धन करते है कभी कम्युनस्टि से गठबन्धन करते हैं। जब इनमें समझता हो गया तो इन्हीं के आदमी को दूसरा व्यक्ति मान कर बनायेंगे। इनकी नीति में मुझे तो बड़ा संदेह है। इस बदनीयती से संशोधन लाये। मैंने बताया भी लेकिन ये बाज नहीं आये। अगर इनकी नेकनीयती है तो दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता सिवाय इसके कि व्यक्ति को निकाल दें। मैंने चौधरी साहब से भी कहा था। इनकी नेकनीयती का एक यह भी प्रमाण हो सकता था कि "व्यक्ति" को हटा दें, और सब चीजें तो रखे ही हैं।

दूसरी बात यह है कि दो वर्ष की बात हटा देते और एक वर्ष में ही डाइरेक्ट एलेक्शन करा देते लेकिन क्या एक वर्ष में आप नहीं करा सकते है चुनाव। इसलिये जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली की हत्या है कि यदि दो वर्ष तक किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के आसन पर बिठायें रखें जो आपने मन का हो। आप चुनाव के लिये जितना रिजेनेबिल टाइम है वह ले सकते थे लेकिन आप नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपकी नेकनीयती होती तो इस तरह का संशोधन लाते जिससे सीधा चुनाव हो जाता। आज जिस तरह का पोलिटिकल

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

स्टंट चल रहा है उससे हट कर निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था अगर जिला परिषदों के लिये हो जाती तो बड़ा अच्छा होता । लेकिन वह चीज आप नहीं लाये क्योंकि आपको वह सूट नहीं कर रही है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरों को भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की तकर्रुरी में किस तरह की धांधली चल रही है । दो दो, तीन तीन और चार-चार सौ रुपये लेकर अध्यापकों की तकर्रुरी हुई । जिस तरह से सीलिंग का कानून बनने के समय लोग अपनी जमीन बेचने लगे चाहे बाद में वह सीलिंग में निकल जाय, उसी तरह से तीन तीन और चार चार सौ रुपये लेकर अध्यापकों की तकर्रुरी करने वाले की थैली तो भर ही जायेगी, बाद में अध्यापकों की जो भी हालत हो । यह चीज आज चल रही है । इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की प्रापर्टी भी अन्धाधुन्ध बेची जा रही है । इसकी कोई चिन्ता किसी को नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा । इसी तरह की तमाम गड़पड़ियां चल रही है और आपकी बदनीयती के कुछ ऐसे प्रमाण है जिनको आप रोक नहीं सके हैं । जिस दिन से यह विधेयक आया है, सड़कों के बनने के नाम पर बड़े बेड़े पेंमेंट हो रहे हैं । म बिस्ती जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रमाण दे सकता हूं कि वहां सड़क बनी भी नहीं और रुपये सरकार से ले लिये गये । बहुत सी चीजें जानते हुए भी मैं उसको सदन में नहीं रख सका हूं । और एक तरह से बेईमानी ही है लेकिन मुझे दुःख है कि जानते हुए भी बस्ती जिले के जिला बोर्ड की जो हालत है उसका मैं बयान नहीं कर सकता । मैं वहां की केवल एक मिसाल दे रहा हूं कि अध्यापकों के ट्रांसफर में भी पैसा लिया जाता है । एक अध्यापक का ट्रांसफर हो गया और वह कम्पाउन्ड के बाहर गया भी नहीं कि वहीं से लौट कर आया और पैसा लेकर उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया । यह मेरी कमजोरी है कि सारी बातों को मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आज के संक्रमण काल में जो वहां हो रहा है, मैंने आपसे निवेदन किया । ये सारी गड़बड़ियां आपकी जानकारी में हो रही है लेकिन जान बूझ कर अपने पिट्ठुओं को खिलाने के लिये इस तरह की ढील दी जाती है ताकि समय पर वे आपकेकाम आ सके । सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स प्राइमरी स्कूल के अध्यापक कराह रहे है और उसकी वजह से शिक्षा कराह रही है । आपके मेनिफेस्टो में तो लिखा है कि हम प्राइमरी शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देंगे लेकिन दोनों में आप फेल हुये है । टेक्निकल शिक्षा के बारे में तो जब अवसर आयेगा तब मैं कहूंगा लेकिन प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में आपने क्या तरक्की की ? वही बोतल वही शराब । जैसा कि हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा आप यह कर दें कि प्राइमरी शिक्षा को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स से निकाल दें और इसके लिये कोई स्वतंत्र कारपोरेशन का गठन करें, जिससे यह होगा कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक भी स्वतंत्र हो जायेंगे और केवल शिक्षा में ही अपना मन लगावेंगे । आप उसको साफ करते, आप उसको कार्यान्वित करते, लेकिन आपको इसकी जरूरत ही नहीं है । आपके लिए यह जरूरी है कि कैसे एलेक्शन जीतें, कैसे हमारी शक्ति बढ़े, कैसे हमारे समर्थक प्रसन्न रहें और जब आपके आदमी वहां पहुंच जायं तो वह कितने भी गुनहगार हों उनके लिये फिर इन जिला परिषदों के अध्यक्षों को लपेटने के लिये कोई विधेयक आने वाला नहीं है । जिस दिन उन की संगत के आदमी वहां पहुंच जायंगे तो यह जो ३७ जिला परिषद है वे सब दोष मुक्त हो जायंगे और वह सब पवित्र अपने आप हो जायंगे । यदि आप इस तरह की कोई चीज न्याय के विचार से लाते और कोई अपने दल के स्वार्थ की बात उसमें न होती है तो हमारी बधाई निर्मल और शुद्ध व खरी होती । इन शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं ।

*श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह इतना महत्वपूर्ण संशोधन मेरा है जिस पर लगभग ढाई दिन बहस चली जबकि चौधरी साहब के सत्ता हाथ में लेने के बाद उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा प्रस्तुत विधेयकों में कोई संशोधन ऐसा नहीं आया जिस पर कि बहस आधा घंटे से ज्यादा चली हो और इतने ज्यादा सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया हो। एक दो माननीय सदस्यों को छोड़ कर किसी ने भी बिल पर चाहे जो कुछ कहा हो लेकिन किसी ने भी संशोधन का विरोध नहीं किया है। यह एक विचारणीय बात होनी चाहिये। माननीय शिवराज सिंह मजबूर है, उनके विचार हमारे साथ जरूर है लेकिन चौधरी साहब की तानाशाही नीति के कारण उनकी सरकार के मंत्रियों के सामने भी कठिनाई है कि बिना उनसे पूछे, उनकी इच्छा के विपरीत वह यहां कोई अपनी भावना प्रस्तुत कर सकें। आप देखे कि जिला परिषदों पर गौण रूप से जो आरोप लगाये है उनकी केवल ३७ की संख्या लिख कर छोड़ दी गई है और उनके आरोप भी अलग अलग नहीं बताये गये। मैं इसके बारे में कभी भी इतना समय नहीं लेता सदन का, यदि वह इसकी विवेचना देते कि सारे का सारा या यह यह अन्याय हो रहा है। दोष आरोपित किये जायं, उनकी जांच की जायं और जो दोषी हों उनको दंड दिया जाय तो बात समझ में आ सकती है लेकिन ९ तारीख से १३ तक के ५-६ दिन में ही उन्होंने एक यंत्र प्रयोग किया है और उसके द्वारा जो दोष उनकी समझ में आये उनको शुद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की और न अधिनियम के नियमों को ही लागू कराने की चेष्टा की। ऐसी अवस्था में जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिये है यदि उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया है तो वह केवल व्यक्तिगत रूप से ही किया है, जैसे राही जी ने सीतापुर के जिला परिषद् का जिक्र किया, जौनपुर जिला परिषद का भी जिक्र किया गया और श्रीमन आपके जिले का भी जिक्र माननीय तेजभान जी ने किया मैं इन्कार नहीं करता, जिला परिषद् के लोग ही नहीं क्या जिला अधिकारियों में यह खराबियां नहीं हैं। क्या उन की शिकायतें नहीं हैं। इसी सदन में जिला अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आई है कि जिन से शर्म से सिर नीचे झुक जाता है। यह तो स्वाभाविक दोष व्यक्ति का होता है। तो जहां दोष थे उनको नियमों के अनुसार पहले हटाना चाहिये था, जिन नियमों का समावेश अधिनियम में इसी दृष्टि से किया गया है कि उन का उपयोग हो। इसी लिये मैने कहा कि इस विधेयक के पीछे एक बात छिपी है।

हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैंने उनका नाम चरण सिंह के स्थान पर चरण। सिंह रखा है। वे १८ हजार पटवारियों को चर गये हैं और जनसंघ के ९८ सदस्यों को चर के ४८ कर दिये और अपने १८ के स्थान पर ९८ ले लाये। अब इन्डीकेट के सदस्यों को चरने के दिन आ गये हैं। जो उनकी शरण में जायेगा, उसको चरे बिना ये नहीं छोड़ेंगे। जिला परिषदों के अध्यक्षों के स्थान पर जो इन्डीकेट के साथी हैं, उनको नष्ट करने पर उतारू हैं। हमारे माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस विधेयक से जनतंत्र की हत्या हुयी है। यह भी सही है कि बी० के० डी० के माननीय सदस्य चन्द्र भान शर्मा जी ने मेरे संशोधन का पूरी तरह से समर्थन किया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर माननीय शिवराज जी को भी जिला परिषद के चुनाव में कुछ कठिनाई हुयी हो तब उससे द्वेष के रूप में न लें। कहा भी है कि क्षमा बड़ेन को चाहिये छोटन को उत्पात। जिला वोर्ड का अध्यक्ष इस सरकार के सामने क्या हैसियत रखता है।

दूसरे मुझे यह भी कहना है कि इसमें जितने भी संशोधन आये हैं, वे शीघ्रता में आये हैं, जल्बी में आये हैं, उनको प्रवर समिति में भेज कर अगर मौका दिया जाता है तो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी आदि जो संशोधन रखे हैं और जिन पर माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी भावनायें प्रकट की है, उन पर विस्तृत रूप से विचार हो जाय। प्रवर समिति में इस पर विचार हो जाय और शीघ्र विचार करके शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जा सकते हैं। जब बंगाल में १ या १ १-२ हफ्तों के समय में चुनाव कराये जा सकते हैं तो इस सशक्त सरकार के लिये जिला बोर्डो के चुनाव कराने में कौन-सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए भीं मेरा जो संशोधन है वह मानने योग्य है और अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लेते है तो इससे हमारे प्रजातंत्र की रक्षा होगी और गलत परिपाटी भी न पड़ेगी। और अगर ऐसी गलत परिपाटी डालेंगे तो फिर विधान सभाओं में क्या होगा और ये भी गड़बड़ में पड़ जायेंगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

*कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत विधेयक पर चालू विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं और हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से मुझे उनके भाषणों से प्रस्तुत विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश मिला है और इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् इस प्रकार के पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के लिये उस प्रयोजन को बनाने में हमें मदद मिलेगी। मान्यवर, संक्षिप्त में मेरा निवेदन है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह विधेयक लोकप्रिय है और यह विधेयक, वक्त की मांग थी, इसलिये आवश्यक था। इस विधेयक को पुर:स्थापित करके निश्चित रूप से जनहित को बढ़ावा दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि 'जा की रही है भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी'। मैं माननीय शर्मा जी से, जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शीशे के मकान में रहने वालों को दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिये क्योंकि यह कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार चुनाव क्यों नहीं कराती? उनको मैं याद दिला दूं कल की ही बात है, उनके दल की यहां पर सरकार थी। मैं उनके कृत्यों को संक्षेप रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं। कानून तो स्टोपिल हुआ ही करता है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बाधक बने ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं तथ्यों को ही बयान करूंगा। क्या यह सही नहीं है कि आपकी (विरोध पक्ष) सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा २९ जून से ३० सितम्बर तक का जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ाया। उसके स्थान पर आपने क्यों नहीं चुनाव कराने की व्यवस्था करायी? क्या यह सही नहीं है कि पूर्वगामी सरकार ने दोबारा विज्ञप्ति द्वारा इन जिला परिषदों का कार्यकाल ३० सितम्बर, १९६९ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक बढ़ाया? क्या यह सही नहीं है कि उसी सरकार ने तीसरी विज्ञप्ति द्वारा फिर इनका कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक बढ़ाया? क्यों नहीं उस सरकार ने चुनाव कराने की व्यवस्था की?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन, एक मिनट मुझे दें।

(व्यवधान)

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, जब प्रश्न के रूप में हम से पूछ रहे हैं तो हमें कहने का समय दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वे बैठ नहीं रहे हैं। आप कृपया बैठें।

श्री शिवराजसिंह—

मान्यवर, पूर्वगामी सरकार के जो कृत्य रहे हैं उनके रहते हुये जिला परिषदों के चुनाव न कराने के बारे में यह सरकार जो केवल एक महीने की सरकार है उत्तरदायी नहीं हो सकती। पिछली सरकार ने उनका कार्यकाल बार-बार क्यों बढ़ाया? इसका भी उनको उत्तर देना चाहिये था। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने तथा माननीय जायसवाल जी ने उनको दे दिया। ९ तारीख को भी जब अनुपूरक प्रश्न किया गया था तब भी इसका उत्तर दिया गया था कि जिला परिषदों की व्यवस्था पूर्णतया अस्त व्यस्त हो गयी है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर करते हुये स्पष्ट यह बताया कि जिला परिषदों की गति कर्त्तव्य विहीनता में कितनी तीव्र हो गयी है और वे इच्छुक थे कि सरकार उनके खिलाफ शीघ्र ही कोई कदम उठाये। वे यह भी चाहते थे कि उनको तुरन्त कार्य करने से रोका जाय। मान्यवर, मुझे कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने अभी अभी तकरीर में जिला परिषद्, बस्ती की हालत को बयान किया है उनका सुझाव है कि इस विधेयक को जितनी जल्दी हो सके पारित किया जाय और जितनी इसमें जल्दी की जायेगी उतना ही वह जनहित में होगा। इस कारण यदि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जायेगा तो, श्रीमन्, जन हित का विरोध होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिलाधिकारियों को सारे अधिकार सौंप देने से लोकतंत्र की हत्या होगी। मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक दिन कहा था, यहां पर हत्या की कम से कम बात कही जाती है। मान्यवर, हमारे संविधान में जिसकी शपथ हमने ली है, उस संविधान के अन्दर न केवल विधान सभाओं को बल्कि हमारी लोक सभा को देश की---पार्लियामेंट को भंग करने की व्यवस्था है। श्रीमन्, एक व्यक्ति के माध्यम से जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, पूरे देश की लोक सभा को भंग करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में है। क्या इस तरह की व्यवस्था प्रजातंत्र की फिलासफी के खिलाफ है? मुझे खेद है कि जिन लोगों ने श्रद्धा और निष्ठा की उसके प्रति शपथ ले रखी है, वही यहां पर इस प्रकार के विचार प्रकट कर सकते हैं....

श्री कृष्णानन्द राय---

राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है लोक सभा को भंग करने का। (व्यवधान) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय मंत्री को यह हक है कि कानून के बारे में, संविधान के बारे में गलत तरीके से यहां कहे। पार्लियामेंट को भंग करने का राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है। सिवाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ऐसा करे। यदि, इसे मान लिया जायगा, जो मंत्री जी कहते हैं तो यहां पर लोकतंत्र ही समाप्त हो जायेगा। इनको कानून की संविधान की कोई जानकारी नहीं है। चूंकि चौधरी चरण सिंह तानाशाह हैं, जनतंत्र के विरोधी हैं, इसलिये ऐसा कहा गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

लेकिन उन्हें उसका इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार प्राप्त है।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री के परामर्श पर राज्यपाल महोदय को प्रदेश की विधान सभा को भंग करने का अधिकार है? क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति तत्कालीन राज्यपाल ने इस विधान सभा को भंग नहीं किया? क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने सन् ६५ में प्रदेश की समस्त नगरमहापालिकाओं को भंग करके वहां पर का समस्त प्रशासन एक आदमी को सौंप दिया? श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि सन् ५८ में इस आदरणीय सदन में समस्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को समाप्त करके वहां पर अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना करके जिलाधीशों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष के पद का सारा अधिकार सौंप देने का विधेयक नहीं पास किया गया? इतने उदाहरण होते हुये भी मेरी समझ में नहीं आता है कि वह किस प्रकार से इस कदम को लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा देने का साहस करते हैं? मान्यवर, ,प्रश्न पूछा गया कि आप चुनाव अविलम्ब क्यों नहीं करा देते? मान्यवर, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब यह प्रश्न श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की तरफ से आया। मैं उनको एक अध्ययनशील व्यक्ति मानता हूं, अनुभवशील व्यक्ति हैं और राजनीति में निपुण हैं। किन्तु मैं

[श्री शिवराज सिंह]

श्रीमन्, उनसे निवेदन करूंगा कि वह प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों को पढ़ने की चेष्टा करें । उसम स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य एक यह भी है जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है—वर्तमान इकाईयों के संघटन और कृत्यों पर पुनर्विचार किया जाए, उनके गठन करने की प्रक्रिया पर हमारा पूरा ध्यान है। उनके सम्बन्ध में भी हम परिवर्तन करने का इरादा रखते हैं ।

क्या यह सही नहीं है कि आज की गांवसभाओं, क्षेत्र समितियां के सम्बध में भी आपत्तियां हैं? क्या यह सही नहीं है कि आज की गांव सभाओं का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है,उस प्रक्रिया की वजह से गांव गांव में फूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, और दो दल हर गांव में बन गये हैं? श्रीमन्, ये ऐसे मौलिक प्रश्न है, जिनके संबंध में हमको अवश्य विचार करना पड़ेगा । मैं श्रीमन्, आदर-णीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट की ओर, जिसमें उसने कहा है कि त्रि-टायर पंचायती राज स्थापित हो--तीन स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था हो और उसकी बुनियाद गांव सभा हो। उसने इसका क्रम इस प्रकार निर्धारित किया--गांवसभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् । उसने ऐसे ढांचे के स्थापना की बात कही थी। उनको इस तरह से--ठीक तरह से स्थापित किए बिना जिला परिषदों की स्थापना नहीं की जा सकती है। आज तक गांव सभाओं के आधार पर यह कदापि सम्भव नहीं हुआ कि जिला परिषदों का चुनाव कराया जा सकें ।

यह भी आवश्यक है कि पहले हम गांव सभाओं के कृत्यों के संबंध में उनकी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में एक निर्णय लें जो हमारी पिछली नीतियों और लोगों की जरूरत के मुताबिक हो। तत्पश्चात्, यह आवश्यकीय है हम क्षेत्र समितियों के कृत्यों और चुनाव कराने की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लें। तत्पश्चात् यह सम्भव हो सकेगा कि जिला परिषद् के कृत्यों के संबंध में और चुनाव कराने की प्रक्रिया के संबंध में तय कर सकेंगे। यह प्रसन्नता की बात है कि जहां हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसी समय कैबिनेट ने एक उपसमिति का निर्माण कर लिया है जिसका कार्य होगा कि गांव सभा, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के कृत्यों और उनके चुनाव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्वयं बैठ कर विचार करें और जिन व्यक्तियों से मदद लेनी हो, उनकी मदद से शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर प्रदेश की जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र से शीघ्र करवाने की व्वयस्था करे। मान्यवर, आप अधिनियम को देखें। इसके अन्दर दो साल की बात अवश्य कही गयी है। परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि यदि चुनाव इससे पहले करा सकें तो इस दिशा में हम कदम उठायेंगे। यह अल्प-कालिक व्यवस्था है । सरकार का इरादा अधिकतम काल लेने का नहीं है। हम न्यूनतम काल में चुनाव कराना चाहते हैं। दो साल की अवधि इसलिये ले ली है ताकि पुनः अवधि बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े और सदन के समय का अपव्यय न हो। विश्वास करें कि हम न्यूनतम समय में चुनाव करवाने की व्यवस्था करेंगे और इसके लिये जो आवश्यक संशोधन वर्तमान क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम में करने की आवश्यकता होगी आपसे पारित करायेंगे और न्यूनतम काल में उसको हम पूरा करेंगे। समय आपने कम दिया। इसलिये मुझे खेद है कि बहुत सी बातों पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा ।

अब यह बिल पेश करने की नौबत किसलिये आयी ? मैंने जिस समय बिल को पुरःस्थापित किया था इस पर प्रकाश डाल दिया था । इसलिये दोहराना नहीं चाहता । सदन के समक्ष विधेयक को पारित करने के लिये दो मुख्य कारण हैं । जब हमने देखा कि वर्तमान अवस्था में जिला परिषदों की व्यवस्था तशवीशनाक है, उनके अन्दर भ्रष्टाचार घुस गया है, तरह तरह की अनियमितताये बढ़ती जा रही हैं, साथ-साथ मैं यह भी देखा कि उनके निराकरण के लिये जो अधिनियम स्तेमाल में रहा उसमें पर्याप्त शक्ति है जिससे उन दिक्कतों को दूर कर सकें और शीघ्र दूर कर सकें, इसलिये यह आवश्यक हो गया कि वर्तमान विधेयक से और वर्तमान अधिनियम से बिमारी का मर्ज जब समाप्त नहीं हो पाया, तो मजबूर होकर मर्ज को समाप्त करने के लिये इनका भंग करना आवश्यक हो गया है । एक प्रश्न उठता है, कि तुरन्त चुनाव कराने की बात क्यों नहीं की गयी, उसका उत्तर दे दिया । हमारा इरादा है कि वर्तमान "अधिनियम में संशोधन करके

स्वस्थ पंचायत राज प्रदेश के अन्दर स्थापित करना है। जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें केवल एक को छोड़ कर मुझे खेद है कि मैं कोई और संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। माननीय नेता, जनसंघ दल ने यह कहा कि व्यक्ति को जो आपने स्थान दिया है, २(ग)(१) में, उसमें उनको कुछ राजकीय ईमानदारी की कमी नजर आती है। मान्यवर, वह वहां उपस्थित नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि उनको साइंस आफ लेजिस्लेशन, विधायन का जो विज्ञान है, उसका कुछ पता होगा, व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति में बाडी भी आते हैं। हो सकता है कि जिला मैजिस्ट्रेट को किन्हीं अवस्थाओं में कुछ कृत्य क्षेत्रीय समितियों को सौपने पड़े। कुछ कार्य गांव सभा को भी स्वयं सौंपने पड़ जायं। इस प्रकार से व्यक्ति का मतलब यदि वह समझ जायं तो "संस्था" से भी है। उस संशोधन को स्वीकार किया है जो इस प्रकार से है। मैं आपके सामने उसको पढ़ देना चाहता हूं। उस संशोधन से माननीय कृष्ण चन्द्र जी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह इस प्रकार से है कि "खंड २ (ग) के उपखंड (२) पहली पंक्ति में शब्द "उसके" के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रख दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि समिति के निर्माण का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को देना लोकतन्त्र के विपरीत होगा। इसलिये मैंने यह समझा कि यह अधिकार उसको न देकर प्रदेश की जनता द्वारा चुने हुये सदन की सरकार को दिया जाय जिससे लोकतन्त्र की जो बात करते हैं उसके पक्ष में यह बात आ सके। मैं समझता हूं इससे कृष्णचन्द्र जी शर्मा मन्तव्य भी पूरा हो जाता है क्योंकि उनके संशोधन के भाव को भी स्वीकर कर लिया जाता है। अगर इनके संशोधन को स्वीकार किया जाता तो उसमें "व्यक्ति" नहीं आ सकता था, इसलिये इसको स्वीकार कर लिया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

इसका मतलब यह है कि जिला परिषद् का कार्य चलाने के लिये जिलाधीश को आप बाध्य करते हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

इसमें राज्य सरकार जो प्रदेश की जनता के लाभ के लिये समझेगी उसी को करेगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

(इस समय २ बजे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से प्रदेश की विभिन्न परिस्थिति को देखते हुये यह अविश्वास का प्रस्ताव रखना पड़ रहा है कि :—

"क्योंकि कि इस मन्त्रि परिषद् ने ६। एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान खतम करने की नीति को अस्वीकार किया है, वृत्ति कर (प्रोफेशन टैक्स) को दोबारा प्रदेश पर लादा है, सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया है, हरिजनों की सरकारी नौकरियों में उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक के लिये ४५ प्रतिशत भर्ती की नीति को ठुकरा दिया है, आबपाशी की दरों को नहीं घटाया है, सरकारी कामकाज व अदालतों में अंग्रेजी हटाकर हिन्दी को लागू करने तथा उर्दू के उचित विकास की नीति नहीं अपनाई है तथा दमन पर उतारू हैं। अतः यह सदन वर्तमान मन्त्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।" अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बैठकर अर्ज करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठकर बोल सकते हैं।

चौधरी गिरधारी लाल—

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे बड़ी झिझक सी मालूम हो रही है क्योंकि चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के हों हम सब एक ही दल के हो सब साथी हैं लेकिन आज की परिस्थिति में तथा और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आज कुछ इधरबैठे हैं और कुछ उधर बैठे हैं। इसीलिये मैं यह चाहूंगा कि कोई बात व्यक्तिगत अटैक के रूप में मेरे मुख से न निकले। एक नीति से उन बातों का सम्बन्ध होगा या जो घटनायें यहां घटित हुई हैं उनसे उनका सम्बन्ध होगा।

सबसे पहले मुझे यह बतलाना होगा कि आखिर आज इस अविश्वास के प्रस्ताव की लाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। जितनी भी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा वे सबको मालूम हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जो गुप्ता जी, जब वे अस्वस्थ थे तो बी०के०डी० के नेता, जो नेता-विरोधी दल के थ तो उन्होंने अपनी ओर से श्री चरण सिह जो को मुख्य मंत्री मनोनीत किया था अब से ५,६ महीने पूर्व ही उनकी ओर यह ऐलान हो गया था कि वे इस देश के अन्दर कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर जितने भी और दल हैं जनसंघ, स्वतंत्र, एस० एस० पी०, आदि सबको संगठित करके उनका विरोध करेंगे क्योंकि वे एंटीनेशनल हैं। नाना प्रकार की बातें कही जाती थीं। इस समय हिन्दुस्तान में केन्द्र की तरफ से एक आंधी और तूफान जो चला हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन बातों को देखते हुये भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी ने यह उचित समझा और यह कहा कि हमने यहां पर जो शर्तें रखी हैं उन पर वे गौर करेंगे। उनका कहना था कि वे पदलोलुप नहीं हैं, पदों से चिपकना नहीं चाहते। सिद्धान्त और कार्यक्रम से वह चिपके हुये हैं। पद छोड़ने में उनको जरा भी जुम्बिश नहीं होगी। इस बात पर चर्चा चली। अखबारों में खबरें निकलीं और उस समय की जितनी बातें थीं वे अखबारों में वक्तव्यों तथा समाचारों से जाहिर हो रही थीं लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि हमारे यू० पी० के प्रख्यात व प्रभावशाली आर्गेनाइजर यहां मौजूद थे जो इन्डीकेट में थे, भाई कमलापति तथा बहुगुणा जी, सबको कोने में बैठा दिया गया और दिल्ली से एक हस्ती आती है जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विषय में.....

श्री अध्यक्ष—

जो विषय सुप्रीम कोर्ट में है उसका जिक्र यहां नहीं होगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस सरकार के वे बनाने वाले हैं। बनाने वाला अगर बुरा है तो सरकार कैसी होगी ? आप उसे क्यों रोक रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहिये। व्यक्तिगत हमला न कीजिये।

चौधरी गिरधारी लाल—

मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। इस तरह की बाहर से कुछ हस्तियां आती हैं। इधर गुप्ता जी ने त्याग-पत्र देकर नेता, विरोधी दल, चरणसिह जी को मुख्य मंत्री पद के लिये मनोनीत किया मगर दूसरी ओर कार्लटन होटल और उथरटिया के बीच समझ में नहीं आया कि क्या बातें हुई ? एक देहाती आदमी तो दूसरे किस्म का होता है।

लेकिन शिक्षित आदमी और वकील आदमी ढंग से अपनी पोजीशन बचाना जानता है और साथ ही साथ उससे निकलना भी जानता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी उन्होंने वायदे किये थे और जिनके ऊपर अमल करने के लिये कहा था और अखबारों ने भी उनकी तारीफ की थी आहिस्ता आहिस्ता वह उनसे पीछे हट गये। उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे साथियों का विश्वास खो दिया। यही नहीं, सारे सूबे का उन्होंने विश्वास खो दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह कैसे हुआ ? वह मेरे साथी हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। उनके मैंने बहुत से आदर्श सुने हैं और मेरा खयाल यह था कि वे उनसे जुम्बिश नहीं खाते हैं। यह एक पहेली

है। यह एक विशेष चीज है जिसने हमारे विश्वास को झटक दिया है और शीशे की तरह से यह विश्वास छिन्न-भिन्न हो गया है।

जिस समय हमारी शर्तें तय हुई थीं उनके अन्दर यह सब बातें रखी गई थीं और उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को बदला और हम मजबूर हो गये हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोले थे और इन चीजों को हमने रखा था। जितने भी वे आइटम्स थे वे उनकी तरफ से जब अस्वीकार हो गये तब मजबूर हो कर यह प्रस्ताव लाना पड़ा। मैं एक एक करके उनको अब आपके सामने रखूंगा।

सब से पहली चीज यह थी कि सवा छै एकड़ तक की जोतों का उन्होंने लगान से मुक्त नहीं किया। मुझे इसी पर कहना है। कुछ दिन पहले जिस समय हमारी तरफ से इसके विषय में ऐलान हुआ, पूरे प्रदेश में लहर फैली की सवा छः एकड़ तक की जोतों को आर्डीनेंस के जरिये लगान से मुक्त कर दिया गया है। उस समय वर्तमान नेता, सदन का बयान यह निकला कि इससे हमारे प्रदेश का सारा खजाना खाली हो जायेगा और किसान इस तरह की मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि उनकी जो पालिसी हुई इसमें उन्होंने तीन सही एक बटा आठ एकड़ से साढ़े १२ एकड़ तक जो जोते हैं, उनमें से तीन सही एक बटा आठ एकड़ का लगान माफ कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें जितना लगान माफ हुआ है वह उससे कम नहीं है जो हमने किया था। सवा छै एकड़ तक के किसान पहिले वाले आर्डिनेन्स में बिलकुल मुक्त हो जाते थे। लेकिन इसमें बड़ किसानों को छोटे किसानों के बनिस्बत अधिक लाभ हुआ है। यह टुकड़ा देने की बात है जिससे छोटे किसान बड़े काश्तकार को घेरे रहें क्योंकि बैल वह नहीं रख सकते, हल वह नहीं रख सकते। इसलिये उनको बड़े किसानों के पास जाना पड़ता है। अगर वे न जा सकें तो अपने बीबी बच्चों को भेजते हैं। स्टैप बड़ा रिएक्शनरी है, प्रतिक्रियावादी है। जब तक सवा छै एकड़ तक की जोतों पर से लगान माफ न किया जायेगा पूरा फायदा नहीं होगा। इसमें साढ़े १२ एकड़ तक के किसानों का तीन सही एक बटा आठ एकड़ पर लगान कम हो गया है। छोटे किसानों के मुकाबले में बड़े किसानों को ज्यादा लाभ हुआ है। दूसरे जो आपका वक्तव्य था कि इससे स्टेट का दिवाला निकल जायेगा, खजाना खाली हो जायेगा वह भी गलत है। मैं कह रहा था कि आज जरूरत थी कि सवा छै एकड़ तक की जोतों को लगान से मुक्त कर दिया जाता जिससे उन्हें पटवारियों और अमीनों के पास मारा मारा न फिरना पड़ता।

मेरा कहना तो यह है कि ऊपर के काश्तकारों को फायदा पहुंचाया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार के खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव है और नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं लेकिन नेता सदन इस समय यहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

और मंत्रिगण तो मौजूद हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

सदन के सामने जब अविश्वास का प्रस्ताव हो और नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं, उस समय नेता सदन का यहां होना अत्यावश्यक है।

श्री अध्यक्ष--

यह बात सही है, अगर वे होते तो ज्यादा अच्छा था।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

अध्यक्ष महोदय, जब जब माननीय, नेता विरोधी दल भाषणदेते हैं, माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित नहीं रहते । उनको आप बुलवा लें क्योंकि जब वे बोलने लगेंगे और हम लोग चले जायेंगे तो लाभ क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस बात की व्यवस्था दी कि अगर वे यहां होते तो ज्यादा अच्छा होता । लेकिन आज एक और चीज है कि कुछ लोग आज नामीनेंशन्स, आदि में लगे हुए हैं, संभव है वह भी उसमें लगे हों । यहां तो मंत्री हैं वे उनको सचेत कर दें कि जब इधर से माननीय नेता, विरोधी दल किसी आवश्यक विषय पर भाषण दे रहे हों तो नेता सदन यहां उपस्थित रहें तो अच्छा है । अगर संभव हो तो आप उनको सूचना दे दें कि उनका भाषण शुरू हो गया है।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

सूचना भेज दी गयी है। आपकी सारी बातों को मैं नोट कर रहा हूं, उनको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

जब माननीय नेता सदन बोलें, उस समय माननीय नेता, विरोधी दल को भी होना चाहिये । आप भी पिछली बार नहीं रहे । फिर भी यह कानून का सवाल नहीं है, कर्टसी का सवाल है।

श्री शिवराज सिंह---

परम्परा यह थी कि जब कभी अविश्वास का प्रस्ताव आता था तो एक लाइन का आता था । इस बार अविश्वास का प्रस्ताव किन्हीं राजनैतिक कारणों से बहुत बड़ा है । इसलिये उससे आपकी स्पीच का लब्बोलवाब तो मिल ही गया ।

चौधरी गिरधारी लाल---

मैं यह कह रहा था कि यह मौजूदा सरकार छोटे किसानों की नहीं बल्कि बड़े किसानों की हिमायती है, छोटे किसानों की वह परवाह नहीं करती, अगर उसको छोटे किसानों का तनिक भी खयाल है तो चूंकि उनके रहनुमां वास्तविक सोशलिज्म या रेडीकल सोशलिज्म को मानने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि १० एकड़ से ज्यादा वाले किसान चूंकि अपने पैरों पर खड़े हुए हैं इसलिये उनको जो भी तकावी या सब्सीडी दी जाती है, वह बन्द की जाकर नीचे के किसानों को ही दिया जाया करे तो बहुत अच्छा होगा ।

मेरा कहना यह है कि ६ एकड़ से नीचे का जो किसान है वह बहुत दुखी है। लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे माननीय शिवराज सिंह जी जो बहुत बड़े साधन सम्पन्न किसान हैं । इसी प्रकार के और भी किसान हैं जो हर प्रकार से सम्पन्न हैं, जिनको हर बात की सहूलियत है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं, शहरों के अन्दर बड़े से बड़े कामों को चला सकते हैं । लेकिन ६ एकड़ वाला किसान, जब तक उसके बीबी बच्चे सब के सब न लगें, तब तक उसका काम खाने पीने का भी नहीं चल सकता । लेकिन हमारी यह धारणा है कि वर्तमान सरकार का बड़े किसानों की तरफ ज्यादा ध्यान है, छोटे किसानों की तरफ उसका ध्यान नहीं है ।

श्री शिवराज सिंह---

मेरा जिक्र किया गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि नेता, विरोधी दल के कितने फार्म्स हैं?

श्री अध्यक्ष---

भाषण जारी रक्खें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

सीलिंग आने के पहले कितने मंत्रियों ने अपने फार्म्स ट्रांसफर कर दिये यह भी बतला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

जब नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिये । दूसरे लोग जितना कम बोलें उतना ही अच्छा है।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय मुख्य मंत्री जी के भाई, श्याम सिंह के पास ५० एकड़ का फार्म है और २०० एकड़ नैनीताल में दबा रक्खा है।

श्री अध्यक्ष--

भाषण देने दीजिये ।

चौधरी गिरधारी लाल--

अब मैं दूसरे आइटम पर आता हूं । प्रोफेशनल टैक्स दुबारा लाद दिया गया है । जाहिर है कि इस महंगाई के अन्दर यह जो ट्रैक्स है जिनकी आमदनी १०,००० तक है उन्हीं पर लगा हुआ है और इसका शिकार सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी, जिसकी आमदनी फिक्स है वही है। उन्हीं पर इसका असर पड़ता है। इस कारण यह रुका हुआ था और बाद में इसको खतम कर दिया तो फिर इसको लाद दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रोफेशनल ट्रैक्स के बारे में कह रहे हैं ?

चौधरी गिरधारी लाल--

जी हां ।

तीसरी बात मैं जितने गैर सरकारी स्कूल या विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों को समय पर वेतन न मिलने के बारे में कहना चाहता हूं । जाहिर है कि हम अपने प्रदेश के अन्दर, समाज के अन्दर बहुत भले आदर्शवादी नागरिक पैदा करना चाहते हैं और जितना शिक्षा का प्रसार हमारे सूबे में हो रहा है वह सब केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा ही नहीं चल रहा है और न चल सकता है लेकिन जितनी प्राइवेट स्कूलों की मैनेजिंग कमेटियां हैं जिनके मार्फत काम चलता है, वहां पर जो टीचर्स काम करते हैं उनको वह हर प्रकार से दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । इसी कारण कुछ दिन पहले उन अध्यापकों का एक बड़ा भारी आन्दोलन चला था । वास्तव में देखा जाय तो ब्राह्मण की परिभाषा हमारे शास्त्रों में स्कूल टीचर की है लेकिन उसको अगर भखा रक्खेंगे तो वह अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर सकता है । इसके लिए यह जरूरी है कि जो कुछ उसको महीने में मिलता है वह पक्का रहना चाहिये और समय पर मिलना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम ५० फीसदी ऐसी संस्थायें होंगी जहां अध्यापकों को झूठ बोलना पड़ता है । उनसे २०० रुपये की अगर रसीद ली जाती है तो १५० रुपये ही वेतन मिलता है । साथ ही उनको मैनेजरों के यहां दरबारदारी करनी पड़ती है। तो, श्रीमन् जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है उनको वह कैसे अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं ? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि समाज द्वारा अध्यापकों को सम्मान दिया जाता है लेकिन, श्रीमन्, यह कैसे संभव हो सकता है जबकि सब के सब कोर्टिअर्स (दरबारी) होते हैं । अध्यापकों ने मैनेजर के यहां हाजिरी से बचने के लिये सरकारी खजाने से वेतन पाने के लिए अपनी मांग रखी थी ।

[चौधरी गिरधारी लाल]

उन्होंने इस मांग की ज्यादा उत्तेजना के साथ सामने रखा था । पिछली सरकार ने उसको देखा, समझा और यह फैसला किया कि हम इसको ठीक करेंगे । स्वतंत्रता के साथ उनका वेतन मिलेगा और उस वेतन के लिए उनको किसी मैनेजर या ऐसे किसी स्थान पर सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । मुझे दुख है कि इन गरीब टीचर्स की, बेचारे अध्यापकों की वेदना को लोगों ने नहीं पहचाना और यही कारण है कि उनका मनोबल दिन प्रति दिन गिरता जाता है जिसको किसी ने नहीं देखा । शिक्षा का जो प्रसार है, शिक्षक का जो बच्चों पर पूरा प्रभाव पड़ता है उसको न देखकर लोग अपने कामों में लगे रहे ।

मैं हरिजनों के सिलसिले में भी कहूंगा । हमने रखा था कि ४५ प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित होने चाहिये जब तक कि उनका १८ प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाय । जब से हमारा देश आजाद हुआ और उसके पहले से राष्ट्र ने यह अनुभव किया कि सदियों से हमने इस देश में एक विशेष वर्ग का शोषण किया है और उसका कारण यह है कि हमारा देश गुलाम बना है। उसका प्रायश्चित करने के लिए गांधी जी ने यह संदेश दिया कि हरिजनों के साथ जो अत्याचार और शोषण किया गया है उसका हमको प्रायश्चित करना है । हमारे स्वतंत्र मुल्क के अन्दर यदि किसी भी तामीर की एक ईंट भी कमजोर हो तो वह तामीर कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी फौज खेतों में काम करने वाली है और जब तक उसको काम करने की पूरी आजादी नहीं मिलेगी वह काम नहीं कर सकती । यदि उसको जबरदस्ती मजबूर किया जाता है तो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता और न काम करने वाले के दिल पर मजबूत और अच्छा असर पड़ सकता है और साथ ही ऐसे लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो सकते । मुझे दुख है कि मैं अपनी भावनाओं को यहां व्यक्त कर रहा हूं परन्तु माननीय नेता सदन यहां सदन में मौजूद नहीं हैं । उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि जब कि १९५१-५२ का चुनाव हुआ, कि जेनरल सीट अलग होती है और रिजर्व सीट अलग होती है । नेता सदन ने मेरे से उस वक्त वेदना को जाहिर किया था कि इन हरिजनों की सीटें जो हैं, जब उनकी रिजर्व सीटें हैं तो उनको छोड़ कर दूसरी सीटों से यह क्यों खड़े होते हैं ? उस समय नेता सदन के खिलाफ सरदार प्रीतम सिंह खड़े थे । मैं उस समय मंत्रि-परिषद का एक सिपाही था। मैं पार्टी के निर्देशों के अनुसार चौधरी साहब की तरफ से वहां गया....

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मजमून मेरे विषय में चल रहा है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय नेता, विरोधी दल को फिर से सभी बातों को दोहराना होगा ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल अपना बयान जारी रखेंगे ।

चौधरी गिरधारी लाल---

आज जो हमारे देश में हरिजनों की हालत है उनको देखते हुये हमारे राष्ट्र के महान नेताओं ने उनको कुछ सुरक्षायें दी हैं, संरक्षण उनको दिये हैं और जिसको हमारे नेता सदन जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति भी स्वीकार करते हैं परन्तु हो सकता है कि उनको इस विषय में कुछ शिकायतें हों । उनकी भावना हो सकती है कि साधारण आदमी की भी तो शिकायतें होती हैं । मैंने कहा था कि साधारण सीट्स पर तो हर एक आदमी खड़ा हो सकता है परन्तु रिजर्व सीट्स

तो १० हाल के बाद खतम हो जायेंगी । हमारा राष्ट्र इस बात में अभी तक सफल नहीं हुआ है। हमारे विधान के अन्दर कुछ कमिटमेंट्स थे । उन कमिटमेंट्स के मुताबिक अभी तक उन्हें नहीं ला पाये हैं । तो मैं कह रहा था कि दूसरे चुनाव के बाद बदकिस्मती से उसका कत्ल हो गया । वह आज नहीं है। उनके बच्चे मुझे मिले । वे कुछ बातें चाहते थे । मैंने उन्हें नहीं किया । नेता सदन तो वैसे ही उनसे नाराज हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि चूंकि वे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, सूबे के अन्दर हर वर्ग, हर समाज, हर जाति का हित उनके हाथ में है, इसलिये वे उनकी तरफ भी ध्यान दें । जहां तक मेरठ और मुजफ्फरनगर की बात है मुझे तो वहां जाने का बहुत कम मौका मिला है । वहां पर हम गये थे, बहुत पुरानी बात है। चौधरी साहब से एक आध दफा बात की पंत जी के कमरे में कुछ बात हो रही थी । उस वक्त ऐसा कहा गया कि तुम और श्री जगजीवन राम ही हल करो । मुझे दुख हुआ था । मैंने इसलिये जिक्र किया, शायद आपको याद हो ।

(व्यवधान)

हर वर्ष करोड़ों रुपया हरिजनों के ऊपर खर्च होता है और होता होगा । १९५१ से या १९५२ से लेकर आज तक करोड़ों रुपया खच किया गया होगा । काफी हरिजन लड़के शिक्षित हो गये हैं । हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित होने के कारण जो अन्य जातियों के लोगों में सद्भावनायें थीं, वे गायब हो गयी हैं । ऊपर से ले कर नीचे तक उनको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती है। सब जगह सफाया है । वे दर-दर धक्के खाते फिरते हैं और वगैर नौकरी के मारे मारे फिर रहे हैं । बी०ए० पास लड़के हैं जो चपरासियों की नौकरियों के लिए फिर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जातीयता है, छुआछूत है, मगर फिर भी २,३ या ४ परसेंट आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, एफिशेंसी की बात करते हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि देश के अन्दर अगर एफिशेंसी लानी है तो इसी देश के नागरिकों केजरिये से लानी होगी । जैसे हमारे देश के अन्दर नागरिक हैं उसी के माफिक एफिशेंसी होगी । उनको एफिशेंट बनाने की ओर हमें कार्य करना होगा, नहीं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन सफर करेगा । आप देखेंगे कि पिछले २५-३० सालों में हम हरिजनों को ऊपर नहीं उठा पाये हैं । जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन्स हैं उन्हीं के आधार पर हम उन लोगों को सर्विसेज में लें । उन्हीं लोगों से काम लेना होगा और उनको ठीक करना होगा । अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने वचन दिये थे उनको हम पूरा नहीं कर पायेंगे । खैर, मने एक छोटी सी बात कही । मैं इस सिलसिले में ज्यादा नहीं कहना चाहता था ।

मैं अब आबपाशी की दरों को न घटाने के संबंध में कहूंगा । यह भी एक बड़ी असंगत सी बात है । हमारे नेता सदन बैठे हैं । जिस समय हमारे भाई कमलापति जी हमारे साथ थे और मंत्रिमंडल में थे उस वक्त जिस तरीके से दरें बढ़ायी गयीं थीं उस समय वर्तमान नेता सदन नेता, विरोधी दल थे और उन्होंने बड़ा भारी आपत्ति उठायी थी । उन्होंने बड़ा विरोध किया और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि दरें न बढायी जायें । आज वे सत्तारूढ़ हैं और पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है । उस वक्त दरों को कम करने के ख्याल से, रेस्टोर करने के खयाल से और उनको उसी स्थान पर लाने के खयाल से उन्होंने सोचा और एक कैबिनेट सब-कमेटी बनायी थी । आगे जो ड्रामा हुआ उसके अन्दर वह सब मामला हो गया, वर्ना राय हो गयी थी और फार्मल बात हो गयी थी। सेक्रेटरी से मैंने कहा कि तय हो गया है । ये इनफार्मल मीटिंग में तय हो गया था । फार्मल तरीके से उस वक्त नहीं हुआ था । इसलिये वह किस्सा तय हो गया था । जैसा मैंने कहा ये सब बातें तय हो गयी थीं । ये दरें वापस वहीं पर रेस्टोर होनी चाहिये थीं जहां पर ये थीं । ट्यूबवैल का पानी आज से कुछ साल पहले एक रुपये में २४ हजार गैलन था । बाद में १६ हजार गैलन हुआ और संविद की सरकार ने १२ हजार किया और अब यह ८ हजार गैलन है । मैं समझता हूं कि उस वक्त हम इस पर कुछ करने के लिए गौर कर रहे थे लेकिन जब आप आये तो आपने कुछ नहीं किया । लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे ।

[चौधरी गिरधारी लाल]

अब मुझे हिन्दी के विषय में कहना है। जहां तक यू०पी० का सवाल है, यू०पी० को फख्र है, नाज है कि उसने हिन्दी के संबंध में हिन्दुस्तान भर में आन्दोलन चलाया। यह मुझे जरूर शिकायत है कि सेक्रेटेरिएट में जो हिन्दी है वह हिन्दी नहीं है, ट्रांसलेशन है। चौधरी साहब हिन्दी के पोषक हैं। लेकिन जितने बयान चौधरी साहब के निकले, जितने भाव निकले, जितना साहित्य निकला वह सब अंग्रेजी में था। हिन्दी के जो समाचार पत्र हैं वह उनके बयानों से महरूम रह गये। यह पहले तय हो गया था कि जितना सरकारी काम है वह साधारण हिन्दी में किया जाय। लेकिन उसका भी कोई भरोसा हमें नहीं मिला।

एक बात उर्दू और माइनारिटीज के लिए कहनी है। हमारे भाई कमलापति त्रिपाठी मौजूद नहीं हैं। उस वक्त की जो कांग्रेस थी उसके वे सभापति थे। उनकी प्रेसीडेंटशिप के अन्दर मैनीफैस्टो तैयार हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि एक माइनारिटी कमिश्नर की नियुक्ति सूबे में की जायगी और जितनी समस्यायें माइनारिटीज की हैं उनको वह देखेगा। साथ ही उर्दू के विषय में भी यही बात थी।

मुझे यह कहना कि जहां हरिजनों का सवाल है तो मुसलमानों में कई क्लासेज हैं। उनमें भी एक तबका है जो हर तरह से दबाया हुआ है और उनकी बहुत सी समस्यायें हैं। भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने उनके लिए कुछ प्रबन्ध करने की बात ही तो सोची थी और बजट में भी इसका इन्तजाम किया था। लेकिन हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं मिली जो यह सरकार करना चाहती हो। शायद वे सब चीजें खत्म हो गयीं। इसकी भी हमें शिकायत है।

इन बातों के अलावा मुझे यह कहना है कि गुप्ता जी को लोग कहा करते थे कि गुप्ता जी बनियों को बहुत बढ़ावा देते हैं जो माल को छिपा लेते हैं। आम जनता की ऐसी भावना थी कि चौधरी साहब के आते ही गल्ला सस्ता होगा। लेकिन आप देखें कि मुहरम आ रहा है, होली नजदीक है और बाजार में डालडा नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो गेहूं एक रुपया किलो था वह अब १.३५ और १.४५ किलो बिक रहा है। वह किसान जो तीन एकड़ तक का है तीन महीने के लिए उत्पादन करता है और नौ महीने बाजार से खरीदता है। उस वक्त उसने सस्ता गल्ला बेंचा और आज १ रुपया ४५ पैसे किलो खरीद कर खा रहा है। इस वक्त जनता परेशान है। अमीनाबाद और लाटूश रोड जा कर देखें, सुबह से शाम तक लोग खड़े रहते हैं। चौधरी साहब एक कुशल प्रशासक हैं, हमें उम्मीद थी कि उनके आने से ये सब दिक्कतें दूर हो जायेंगी, लेकिन कहीं हमने नहीं देखा कि किसी को फांसी लगी हो, कहीं गल्ला निकला हो

श्री चरण सिंह—

फांसी लगने में कई साल लगते हैं।

चौधरी गिरधारी लाल—

वैसे चौधरी साहब जिस वक्त सत्तारूढ़ हुये मैं समझता हूं उनकी अन्तरात्मा, उनके दिमाग के अन्दर एक बड़ी पेचीदगी पैदा हुई होगी कि कैसे करें। लेकिन समय होता है, कुछ स्टार्स होते हैं। और अब भी मैं समझता हूं कि वह परेशानी से खाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वह सत्तारूढ़ हुये वह एक ऐसी कुर्सी बन गयी है, श्रीमन्, आप जानते हैं कि एक तीन पाये की कुर्सी होती है और ऊपर एक बाल बेयरिंग लगा रहता है और जिधर हवा चली उधर ही उस पर बैठा हुआ आदमी घूम जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक हवा चल रही थी कि शुगर का नेशनलाइजेशन होना चाहिये तो थोड़ी सी कुर्सी उधर को घूमी, एक बोर्ड बन गया। इनकी तो नीति ही साफ नहीं है, पता नहीं शोसलाइजेशन कर रहे हैं या सोवियटाइजेशन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? यहां मैंने भाई गेंदा सिंह का स्पीच

पढ़ी थी। दो मेम्बर हैं उसके, एक गेंदा सिंह जी, जो शायद किसानों से कुछ दिलचस्पी रखते हैं। दूसरे शायद बी० के० डी० फाइनेंसर हैं, सेठ पृथ्वी नाथ। चौधरी साहब बुरा इसमें न मानें.....

श्री अध्यक्ष--

आज जरा माइक पर बोलें, सुनाई कम देता है।

श्री चरण सिंह--

एक बात जरूर कह दूं कि अगर एक पैसा भी उनकी तरफ से बी० के० डी० के लिए हमने लिया हो या अपने लिये लिया हो, पब्लिक लाइफ से रिटायर कर जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

वह तो बैठ कर बोलने की इजाजत लिये हैं। तो अगर उनको टोकना है तो क्या उन्हें खड़े होना पड़ेगा (हंसी)

चौधरी गिरधारी लाल--

मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि जो फाइनेंसर हैं। लेकिन यह मैंने नहीं कहा कि किस को फाइनेंस किया। तो यह दो व्यक्ति उसके मेम्बर हैं और तीसरे हमारे इडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। वह तो ठीक ही है। लेकिन इसका कोई लक्ष्य समझ में नहीं आता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा--कुर्सी घूम गयी, एक बोर्ड बन गया और बहुत से लोग खुश हो गये। इस तरह की बातें और भी बहुत से मामलें में हुई। सीलिंग के सम्बन्ध में बड़ा भारी एलान हुआ कि ३० एकड़ से ४५ एकड़ तक की सीलिंग होगी और इस इस सीलिंग के अन्दर तमाम बागात वगैरह आ जायेंगे। उससे बहुत से लोगों के दिमाग में ग्रहण पड़ गया और साथ ही साथ लोग चौधरी साहब के यहां दंडवत करने लगे लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई। पहले बयान निकाला कि यह कैबिनेट का फैसला है लेकिन बाद में कहा गया कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है बल्कि इनफारमल है। दो, तीन दिन हुये यहीं पर किसी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया लेकिन उस प्रःन का जवाब देते हुए भी उसका सही जबाब नहीं आया। तो यह एक पहेली है और इस वक्त एक अजीब सी हालत है। मुझे माफ करें नेता सदन यह कहने के लिये कि कोई सिद्धान्त की बात नहीं रही, कोई सफाई की बात नहीं रही। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि आज की वर्तमान सरकार सिद्धान्तहीन और आदर्शहीन है।

एक सदस्य--

पदलोलुपता फैली हुई है।

चौधरी गिरधारी लाल--

अब मैं सरकारी कर्मचारियों की बात बतलाऊं। हमारा एक मंच है यह माननीय सदन जिसकी सीमा के अन्दर रहते हुए स्वतंत्रता के साथ हम अपनी बात कह सकते हैं। मुझे भी इसका अनुभव है, मै भी चौधरी साथ के साथ मत्रि परिषद में रहा हूं और उनको भी इसका बहुत बड़ा अनुभव है लेकिन लोगों के अपने-अपने विचार भी अलग-अलग होते हैं। पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन डिमोरेलाइज्ड और पैरालाइज्ड हुआ पड़ा है। आई० जी०, पुलिस जो पहले चौधरी साहब का ही बनाया हुआ था, पता नहीं उसे उन्होंने क्यों निकाल दिया? लोग कहते है, ऐसा सुना है कि सामली में जों मर्डर केस हुआ था उसमें वर्तमान इंडस्टी मिनिस्टर के भाई इनवाल्वड है, उस केस के अन्दर कोई बात थी जो नहीं उसने नहीं किया और इसी वजह से उसे हटा दिया गया। आखिर वह आई० पी० एस० है, आई० ए० एस० के ग्रेड का आदमी है, कोई मजबूरी की बात होगी जो उसने न किया होगा लेकिन इसके लिये जब तक कि वह आदमी डिस्क्वालीफाइड न हो,

[चौधरी गिरधारी लाल]

और मेरिटेड हो, तब तक उसे हटाना ठीक नहीं था। साथ ही जब एडीशनल आई० जी० हों, लेकिन पता नहीं क्यों ३-४,५ आदमियो को सुपरसीड करके एक साहब को रख दिया गया। तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, यह भी सोचने की बात है।

इसी तरह की बात और भी बहुत स्थानों के सम्बन्ध में है। मेरा पर्सनल विचार है कि इस देश के जो शासक हैं उनको सिर्फ एक ही तरीके से शासन नहीं करना चाहिये जहां पनिश करना हो वहां पनिश करें लेकिन शासक को यह भी सोचना चाहिये कि वे भी इसी देश के रहने वाले हैं, यदि वे अपना काम ठीक ढंग से और दुरुस्त करें तो उनको तरक्की भी मिलनी चाहिये। अब डिस्मिसल का सवाल आया लेकिन क्या कोई आयरन राड या कोई रूल है कि जो डिसमिस हो गया फिर वह रिइन्सटेट हो ही नहीं सकता। एक साधारण परिस्थिति होती है और विशेष परिस्थिति होती है और कुछ विशेष समस्यायें होती हैं उनमें एक किस्सा चल रहा था, फिर भी उन सब में जो हुआ, कर्मचारियों को जो सजायें मिलीं उतने से ही सब सचेत हो गये थे, एक सबक उनको मिल गया था, उन्होंने अनुभव कर लिया था और पश्चाताप भी कर लिया था और समझने लगे थे कि डिस्प्लन में रहना है। उसके बाद हम सब की तरफ से उनको रिइन्सटेट करने का रास्ता निकालने की बात आई लेकिन वह सब समाप्त ही कर दी गई। ऐसे पढ़े लिखे आदमी कि जो यहां ऐसे स्थानों पर रह चुके हैं वह हताश होकर एन्टी सोशल नहीं हो सकते अगर हम उनको आश्रय न देंगे। यह एक सोचने की चीज है हमारे लिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और केवल इतना ही कहूंगा कि वर्तमान सरकार कि जो हालत है, उसके जो मारल्स हैं वे ऊंचे नहीं हैं और इन्हीं तमाम बातों की वजह से जिनका मैंने जिक्र किया यह अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर सरकार के खिलाफ लाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता, चौधरी साहब ने सरकार का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने इस प्रस्ताव को ४ भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में है सवा ६ एकड़ तक की जमीन के लगान का माफ न करना, दूसरे में है वृत्तिकर का माफ न किया जाना, तीसरा, हरिजनों का मामला है और हिन्दी पर भी बहुत जोर दिया गया है। कहा गया कि हरिजनों के ऊंपर ज्यादती की गई है और उनके ४५ प्रतिशत के रिजर्वेशन को पूरा नहीं किया गया है और चौधरी साहब ने अपने भाषण में उन सब पर बहुत जोर दिया है। सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी के संबंध में मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं अभी अपनी कांस्टीटुऐन्सी में, अपने जिले में, दूसरे जिलों में भी नहीं, करीब करीब १००-१५० गांवों में घूमा हूं वहां पर आज कोई किसान यह नहीं चाहता कि हमारा लगान माफ हो, वह चाहता है कि सरकार हमें पानी दे और खाद दे। मैंने वहां देखा कि जहां नलकूप लगाये गये हैं अपने निजी पैसे या सरकार की ओर से वहां की खेती की हालत ही बदल गई है। जहां अभी नहीं लगे हैं वहां की अभी वही साधारण स्थिति है। यह विचारणीय बात है कि जहां पानी का प्रबन्ध हो गया है उनकी स्थिति कितनी अच्छी है।

विरोधी दल के नेता ने सवा ३ एकड से साढ़े १२ एकड़ तक की दुहाई दी। आप उस पराने जमाने के सवा ६ एकड़ की बात कर रहे है जब कि हमारे किसान लगान न दे सकने की वजह से अपने खाते से इस्तीफा दे देते थे, जब हमारे यहां मन भर की एक रुपये में ज्वार बिकती थी। और ७ पसेरी का भूसा बिकता था। मुझे याद है कि बिन्दकी मार्केट में जब कोई भूसा लाता था तो किसान उसमें ज्वार मिला कर लाते थे। खरीदने वाले कहते थे कि हमने तो भूसा लिया है ज्वार तो नहीं ली है। उसे वे छनवा कर अलग करवा देते थे। उस वक्त गुड़ २० सेर और गेहूं १८ सेर का बिकता था। तब यह करांची में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि उनका लगान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माफ किया जाय । ऐसा मालूम होता है कि नेता, विरोधी दल अपने फार्म में कम जाते हैं लखनऊ में ही ज्यादा रहते हैं । अब तो ऐसा समय है कि अगर किसान थोड़ी सी भी जगह में बीज डाल दे तो लगान के दाम दे सकता है । कुछ न मिला तो भागते हुए शेर की पूछ ही पकड़ ली और जब उसने मुंह मोड़ा तो भाग खड़े हुए । आज यहां पर १९३२ की बात को दुहराया जाता है । माननीय नेता, विरोधी दल को चाहिये कि वह गांव में जाकर देखें कि वहां पर कितनी उन्नति हो गयी है ।

वृत्ति कर का जहां तक प्रश्न है, आप सोंचे कि यह किस समय माफ किया गया । हमारे यहां एक कहावत है कि जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो दान पुनः ज्यादा करने लगते हैं और ऐसा दान करते हैं कि चाहे घर वाले ही नाराज हो जायें । तो वही हालत हमारी पहली सरकार की रही । जब वे कुशासन में फंसे और उन्होंने समझा कि अब तो मरना ही है तो सवा ६ एकड़ भी माफ, वृत्ति कर भी माफ, क्योंकि कुछ देना लेना तो था ही नहीं । दूसरे जो माफी भी किया तो किया अप्रैल से । उसी वक्त से लागू नहीं किया । इन्होंने अपना इन्तजाम मुकम्मिल रखा क्योंकि इन्होंने सोचा कि दूसरी सरकार आयेगी, तो देखेगी । माननीय नेता, विरोधी दल ने कहा कि नेता सदन को बड़ी बेचैनी हो रही है । बात तो ठीक है घर वालों को इन्तजाम करना पड़ता है, बेचैनी होती है । जो लोग घर से बाहर हो जाते हैं, उनको घर की क्या परवाह ? बुन्देलखंड के नवाब चाहे गुड़ ही गुड़ खायें । पहले बुन्देलखंड में गुड़ मिलता ही नहीं था तो उसके लिये यह कहावत है । तो इसलिये आप लोग तो जिम्मेदारी से परे हो गये हैं, उधर जाकर बैठ गये हैं । तो, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि बड़े जोर की आवाज थी कि प्रजातंत्र का खून हो गया है । इतने जोर की आवाज थी कि कहने की बात नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र का खून तो आपके (विपक्ष के माननीय सदस्यों के) द्वारा हुआ है । हमारे बुन्देलखंड के बीच में यमुना बहती है । आप बुन्देलखंड की बात कर रहे हैं कि वहां पर हालत बहुत खराब है वृत्ति कर पर किसी को खुशी नहीं है । हमारी सरकार इन्तजाम कर रही है, वह सोचेगी, देखेगी कि हमारा इन्तजाम कैसे चल सकता है ? अगर हर चीज को माफ ही करते चले जायेंगे तो आखिर काम कैसे चलेगा ? आप फइयाज थे तो जिस रोज से आपने आर्डर किया था उसी दिन से पेशाकर को समाप्त कर देते, क्यों आपने पहली अप्रैल से उसको खत्म किया ? आप इतनी फइयाजी कर सकते थे, मगर इस सरकार को तो सब बातों पर सोच विचार कर ही कदम उठाना है । आपने जिस चीज के बारे में आदेश निकाले, उन्हें तुरन्त लागू नहीं किया ।

अभी माननीय नेता, विरोधी दल ने अछूतों के बारे में कहा कि उनका प्रतिशत पूरा नहीं हुआ, उनसे बेकारी ली जाती है तथा और तमाम बातें कहीं । श्रीमन्, सही बात तो यह है कि चुहिया जितना खाती गयी उतना मुटाती गयी, और बिल ज्यों का त्यों छोटा बना रहा । अब उसमें वह जाये कैसे ? मैं बताना चाहता हूं कि हरिजनों को इधर के बैठने वालों ने और उधर के बैठने वालों नें सभी ने भाई समझा है । उनका कभी किसी ने तिरस्कार नहीं किया है । आज वे एम० एल० ए० और एम० पी० की जनरल सीट पर भीड़ कर आ सकते हैं । हमारे देहात में मैं तो यह हालत है कि मरे हुये जानवरों को आज वे लोग नहीं उठाते है, अब उनको वहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है । वे लोग पहले इस काम को करते थे, अब उस काम को उन्होंने बन्द कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य उनका समय न लें । शान्ति से सुनें ।

श्री पन्ना लाल—

मैं माननीय नेता, विरोधी दल से कहूंगा कि हरिजनों की बात करने से पहले वे कृपया अपने घर को देखें । "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" वाली उनकी नीति है । अपने घर में देखें कि कितने

[श्री पन्नालाल]

भाई, भतीजे, आदि तरक्की कर गये हैं। आप भी नेता, विरोधी दल मंत्रि पद तक पा गये और एक बार तो चीफ मिनिस्टर तक बनने के ख्वाब देखने लगे। जो आज यह कहना कि उनको किसी प्रकार से दबाया जा रहा है, उचित नहीं है। इस तरह की बात कह कर उन लोगों को प्रलोभन देना है, उनको बरगलाना है।

अब रह गया सवाल हिन्दी का। वह आपके जमाने में भी था। हमारे जमाने में भी है। कई कोशिशें हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हुं कि अब भी बहुत से अवसर ऐसे हैं, बहुत-सी जगहे ऐसी हैं, जहां हिन्दी काफी की जानबूझ कर अवहेलना की जाती है, उसकी आड़ना की जाती है। लेकिन हमारी सरकार इसके प्रति जागरूक है, हम इसको कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत है। मगर आज सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि आज जो जनतन्त्र की भावना है, वह हमारी तरफ है उधर नहीं है। हमारे नेता सदन एक किसान के लड़के हैं, किसान के आदमी हैं, गरीबी को जानते हैं और उसके मिटाने के प्रयत्न में लगे हैं। लेकिन आपके नेता अमीरी में पले है और पूंजीपतियों के रुपये में पले हैं। उन्होंने यतीमखाना खोल रखा है, जिसमें आपके ऐसे यतीम पलते हैं।

एक मदस्य --

यह हम लोगों को यतीम बना रहे हैं, क्या हम लोग इस प्रकार के यतीम हैं, आपको शर्म आनी चाहिये ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, कृपा करके आप इसको वापस कराइये। एक बात तो उन्होंने कही कि चुहिया मोटी होती जाती है और बिल में घुसा नहीं जाता है। यह हरिजनों के प्रति बड़ा भारी आक्षेप है। ("हां पक्ष के सदस्यों द्वारा हंसने पर) आप हंसते हैं इतने गम्भीर प्रश्न पर। आपको इससे लज्जा आनी चाहिये। आप बैठें कृपया करके। मैं इसके बारे में अपनी आवाज़ उठाऊंगा। दूसरी चीज यह है कि अबकी बार उन्होंने कह दिया कि इधर यतीमखाना है जिसमें आपके जैसे यतीम पलते हैं--यानी चौधरी गिरधारी लाल जैसे।

श्री अध्यक्ष --

(श्री पन्ना लाल से) आपने क्या कहा ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

वापस कराने की क्या बात है वह ठीक कह रहे हैं, महीलाल मोटे हो रहे हैं।

श्री पन्ना लाल—

मैंने यह कहा गुप्ता जी जो हमारे पुराने मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक यतीमखाना खोल रखा है और उस यतीम खाने में ये पलते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन पल रहा है ? और वह यतीमखाना है मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अन्तर्गत चलने वाला भारत सेवा संस्थान।

श्री अध्यक्ष --

किसी के ऊपर उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

जब मेरे मित्र यह कहते हैं तो वह कृपा करके इस सदन को बतायें कि कैसे उन्होंने कहा कि आपके जैसे यतीम पलते हैं, मेरे मित्र को बताना पड़ेगा।

श्री पन्ना लाल---

मैंने क्या कहा था, इसको मैं फिर दोहराता हूं इस सदन में कि इनके नेता गुप्ता जी ने, भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक यतीमाखाना खोल रखा है--मोती लाल मोमोरियल सोसाइटी का भारत सेवा संस्थान और उस संस्थान में लोग पलते है। मैंने कहा लेकिन नेता विरोधी दल को नहीं कहा, उनका नाम नहीं लिया, किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा। चोर की दाढ़ी में तिनका चरितार्थ होता है। यदि यह पार्लियामेंटरी भाषण नहीं है, तो इसको आप बता दें।

श्री अध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त। अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री पन्ना लाल---

जब इन लोगों ने शोर किया था तो मैं पार्लियामेंटरी ढंग से बैठ गया था। इन्होंने मेरा काफी समय लिया है। आप दो मिनट का मुझे और समय दें।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, ऐसी बात न कहें जिससे किसी को चोट लगे।

श्री पन्ना लाल---

यहां तो चोट खाये हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं, इसमें कहा है विरोधी दल के नेता ने कि यह जो सिद्धान्तहीन सरकार है इसका कोई सिद्धान्त नहीं है। इसलिये सिद्धान्तनहीं है क्योंकि इनके साथ वह जुवे में नहीं जुड़े। अगर इनके साथ जुवे में जुड़ जाते तो सिद्धान्त ही न न होते। मगर कमलापति के साथ जुड़े गये तो सिद्धान्तहीन हो गये। अगर दो भाई मिल गये तो सिद्धान्तहीन हो गये। मैंने कहा था चौधरी साहब से कि बनिये और चौधरी का खाता न मिले, ऐसा न हो कि पुराना रोकड़ बही में नयी रोकड़ बही मिल कर एक हो जाय। सिद्धान्तहीन न वे थे या हम थे? कौन था? एक कबीर का दोहा है---"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझ से बुरा न कोय।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव सदन की बहुत आवश्यक प्रक्रिया है और गम्भीर प्रक्रिया है जिसमें जिस किसी माननीय सदस्य को हिस्सा लेने का मौका मिलता है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि जब मैं इस प्रस्ताव को समर्थित करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं तो अत्यन्त दुखद कर्त्तव्य का पालन करता हूं।

मान्यवर, यह जो सदन के समक्ष प्रस्ताव है उसको उसके असली रूप में देखा जाय, तो इस सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण, इस सरकार की सामाजिक नीतियों के कारण, इस सरकार की राजनीतिक नीतियों के कारण, इस सरकार की नैतिक भित्ति के कारण, यह सरकार इस सदन के विश्वास को खो चुकी है। मान्यवर, जरा इसका एक ऐतिहासिक रूप देखेंगे। मैं अपने मित्रों से जो सामने बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम आज गम्भीर स्थिति में चल रहे हैं, आज यह समय नहीं है कि हम एक दूसरे को जबाव दर जबाव दे कर कुछ चीजें कहने की चेष्टा करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करें। (व्यवधान) हम लोग जिनको अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक जन मानस के एक बहुत बड़े दल ने यहां प्रतिनिधि के रूप में भेजा है क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं है---(व्यवधान)---मैं माननीया शकुन्तला जी से कहूंगा कि आज्ञा दें तो मैं बैठ जाऊं, यदि वह बार-बार बीच में बोलें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीया शकुन्तला जी का पुराना साथ रहा है इस लिए टोकती हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हमारे देश में क्या स्थिति है ? बंगाल की घटनायें आज सारे देश के सामने हैं, केरल में क्या हुआ यह सारे देश के सामने है, मध्य प्रदेश में शुक्ल जी की सरकार को गिराने की चेष्टा की गयी । पंजाब में चंडीगढ़ देकर अकाली दल को संतुष्ट करने की चेष्टा की गयी । यह सारे देश के सामने है । हरियाणा की पीठ में छुरा भोंका गया, यह सारे देश के सामने है । डी० एम० के० को प्रसन्न करने के लिये तामिलनाड में २० करोड़ रुपया बाढ़ के नाम पर दिया गया यह सारे देश के सामने है । कशमीर में जो भावना उभारी गई यह आज सारे देश के सामने है ।

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के सामने जो बहस हो रही है वह जो सरकार यू० पी० में है उसके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस चल रही है, न कि दिल्ली की सरकार के प्रति । इसलिये जो बात आचार्य जी कह रहे हैं वह बिलकुल इर्रीलिवेन्ट है ?

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

जब यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रदेश की सरकार के विरुद्ध लाया गया है तो यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है और खामख्वाह इन्दिरा जी की नीतियों के विरोध करने का औचित्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

बात सही है कि यह जो आपका भाषण हो रहा है वह ज्यादातर केन्द्रीय सरकार की ओर जाकर लगता है । इसको संक्षेप में कहें तो अच्छा है । यहीं की सरकार के उपर बोलें कृपा करके ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे बहुत दुख है कि मुझे बीच में टोका गया और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो न्याय मंत्री है । जब मैंने कहा कि सरकार की राजनैतिक स्थिति क्या है तो उसी हैसियत से कहा । यदि मैं इन चीजों की चर्चा न करूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा किन्तु केन्द्रीय सरकार की बात नहीं कह रहा हूं । मैंने यह कहा था कि आखिर यह सब है क्यों जो आज देश में हो रहा है ? यह सरकार जो सामने बैठी हुई है यह इसी परिस्थिति की उपज है और इसी लिये मैंने इसकी चर्चा किया । श्रीमन्, क्या हुआ ? कांग्रेस एक महान संस्था थी उसके दो टुकड़े हो गये । एक उधर बैठा और एक इधर बैठा । मदन मोहन जी बहुत तेजी में जिक्र कर गये । उन्होंने मेरी बात को सुनने की कृपा नहीं की । यदि वह मेरी बात को पूरी तरह से सुनते तो शायद उनको आपत्ति न होती । मैं यह कह रहा था कि यह सरकार इसी परिस्थिति की पैदा की हुई सरकार है । मैंने इसीलिये कहा कि इस सरकार की नैतिक भित्ति बहुत कमजोर है । इस प्रस्ताव में दमन चक्र का भी जिक्र है जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा । जिस सरकार की नैतिक भित्ति केवल सौदागिरी पर निर्भर करती हो, उसकी क्या दशा है । ६, ७ फरवरी तक निरन्तर एक बात चलती रही । इस सरकार के संगठन के विषय में चौधरी चरण सिंह और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी बातचीत कर रहे थे । सरकार बनाने की बात हुई, ठीक है । हमारे साथी भी चाहते थे और कहते थे यह सरकार बनायेंगे लेकिन हमने कहा कि सौदेबाजी हम नहीं चाहते हैं । तुरन्त कुछ लोगों के बयान हुये और उसके बाद सौदेबाजी शुरू हो गई । एक तरह से राजनैतिक छलना शुरू हो गयी । हम लोगों ने भी बात की क्योंकि आखिर हम लोग भी बातचीत कर रहे थे । दो बैल लड़ रहे थे । और तमाशा देख रही है दुनिया जिसमें कम्युनिस्ट दल, भी है, बी० के० डी० के भाई भी हैं । इन दोनों की लड़ाई के सम्बन्ध में पायनियर में एक कार्टून निकला था । तराजू के दोनों ओर दो सज्जन बैठे हैं । एक तरफ

कमलापति जी और दूसरी ओर गुप्ता जी हैं। बीच में एक आकृति बैठी है जो तराजू को पकड़े हैं। इधर पलड़ा भारी हुआ तो रोटी का टुकड़ा टूटा, झट पेट में और उधर तराजू का पलड़ा भारी हुआ तो रोटी का टुकड़ा टूटा और झट पेट में। उस तराजू की सौदेबाजी से बनी हुई यह सरकार है और यह सरकार छलना पर आश्रित है और उसी छलना के द्वारा मुख्य मंत्रित्व प्राप्त की हुई यह सरकार है जिसके विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है।

जहां तक आर्थिक पहलू को लेकर सरकार की नीतियों का सम्बन्ध है इस भाग्यहीन देश और उत्तर प्रदेश की मैं क्या चर्चा करूं। यह सारे देश का करीब-करीब छठा हिस्सा है यानी इसका क्षेत्रफल २,९९,३६६ वर्ग किलो मीटर है। १९६१ में इसकी जनसंख्या ८ करोड़ ८२ लाख थी और १९७० में यह आबादी बढ़कर ९ करोड़ २५ लाख हो गयी। सारे देश में आबादी का औसत घनत्व है १७७ आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर और हमारा होगा ३१४ प्रति वर्गकिलोमीटर क्रेमिक रूप से हम गिरते जा रहे हैं। ५०–५१ में हमारी पर कैपिटा इनकम २४६ रुपये थी और सन् ७० में आकर भी वह बढ़ी नहीं है। २.२८ प्रतिशत आमदनी सारे प्रदेश की बढ़ी है लेकिन आबादी २.२१ प्रतिशत के हिसाब से निरन्तर बढ़ी है। हम जितना बढ़ना चाहते थे नहीं बढ़ पाये हैं। आबादी निरन्तर बढ़ती चली जाती है। आर्थिक रूप से जितना इस प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिये था यह नहीं बढ़ पाया है। हमने क्या बयान किया है? हम चाहते थे कि यह प्रदेश आगे बढ़े और उसके दो उपाय थे। एक खेती की उन्नति की जाय, दूसरे उद्योग-धन्धे बढ़ाये जायं। लेकिन खेती में बहुत कम रूपया खर्च किया गया। पहली योजना में ७० करोड़, दूसरी में ९७ करोड़ और तीसरी में २१६ करोड़ रुपये खर्च किये गये और चौथी अभी चल रही है।

नई चीज की ओर फिर हम जा रहे थे। वही सवा ६ एकड़ की बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे यहां १.८ एकड़ का एवरेज आता है। दुनिया में सब से कम है। जानबूझ कर मैं दुनिया का नाम ले रहा हूं। हिन्दुस्तान में १.८९ सब से कम है। शायद दुनिया में और कहीं इससे कम नहीं है। सवा छः एकड़ वाले किसान, मुझे क्षमा करें सदन (हम लोग हंस सकते हैं, खिल्ली उड़ा सकते हैं)। यह सवा छै एकड़ वाला किसान पम्पिंग सेट वाला, ट्रैक्टर वाला और बोरिंग वाला किसान नहीं है या उन्नत बीज, खाद और पानी का लाभ उनको नहीं मिलता है। १८७५ में हम लोगों ने बन्दोबस्त किया था, वह ज्यों का त्यों है। मैं सदन से छिपाना नहीं चाहता हूं कि हमारी योजना साफ थी कि हमें छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिये। लगान की आबपाशी की माफी छोटी चीज है। जिन किसानों को लाभ पहुंचा है बंदोबस्त के जरिये, हम रेट्स को रिवाइज करना चाहते थे। जो धन उससे मिलता उसको हम छोटे किसानों को देना चाहते थे। यह हमारी स्पष्ट नीति थी। लेकिन आज सब समाप्त कर दिया गया है। यह जो नया विधेयक है इसमें बंदोबस्त की योजना खत्म कर दी गई है।

इंडस्ट्रीज की हमने क्या दुर्दशा कर दी। हमने सोचा था कि वेस्ट बंगाल में आज आग लगी हुई है। वहां पर हमारे बहुत से उद्योगपति हैं। हमने सेल्स टैक्स में छूट, जमीन, तथा पानी की उपलब्धि, लाइसेंसिंग में सुविधायें और इसके अतिरिक्त अन्य दूसरी सुविधायें हम उद्योगपतियों को देना चाहते थे कि वह लोग यहां आयें। लेकिन एक अजीब नारेबाजी के फेर में हम लोग पड़ गये। मैं उनमें से एक हूं जो समाजवाद में विश्वास करते हैं। (व्यवधान) आज मेरे मित्र वाह वाह कहते हैं मैं यह कह देना चाहता हूं कि जब मैंने १९६९–७० के बजट में समाजवाद का जिक्र किया था तो चौधरी साहब ने खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि यदि मैं उस शब्द का उपयोग न करता तो अच्छा होता। चौधरी साहब, उन अर्थों में समाजवादी नहीं है जिन अर्थों में माननीय कमलापति जी का गिरोह बैठा हुआ है। मैंने गिरोह कह दिया। अब मैं कहता हूं कि उनका दल बैठा हुआ है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया? हमारे समाजवादी मित्र, माननीय गेंदा सिंह जी के मन में आग लगती है, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात की। मैं चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं बल्कि हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था कि जरूर कीजिये लेकिन सारे देश के संदर्भ में कीजिये। संविधान के ७वें शिड्यूल अनुच्छेद ५३ में उन इंडस्ट्रीज का जिक्र है जो सेंट्रल सबजैक्ट है। शुगर इंडस्ट्री उनमें से एक है। लेकिन मेरे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

मित्र क्षमा करेंगे, राष्ट्रीयकरण करें या आंखों में धूल झोंके। क्या करें हम। यह कैसा राष्ट्रीयकरण है? काहे का राष्ट्रीयकरण किया। हमारे मित्र माननीय गेंदासिंह जी हैं। हमारे यहां एक कहावत मशहूर है और वह किसी न किसी रूप में सब जगह मशहूर है। दो भाई आपस में लड़ गये। भाभी से झगड़ा हो गया। भाई साहब बाहर निकल गये। उन्होंने देखा कि एक बकरी बाहर खड़ी थी। वह उसका कान पकड़ कर घर में आ गये। भावज ने कहा कि तुम तो रूठ गये थे अब कैसे आ गये। उन्होंने कहा कि बकरी ने कहा कि घर चलो और यह मुझे घर खींच लाई और हम आ गये। मान्यवर, वही छेरी कान पकड़ कर गेंदा सिंह जी को घर की तरफ ले आई है। किस चीज का राष्ट्रीयकरण है? राष्ट्रीयकरण आप नहीं कर सकते। आप में यह क्षमता नहीं है कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें। कैसे करेंगे? चौधरी साहब ने एक दिन इस बात को कहा था कि ४ लाख रुपया लगा कर ४० लाख मुनाफा कमाया जाता है। मैंने चीनी मिल वालों से पूछा। मुझे जो मालूम हुआ वह यह कि ४ लाख में नहीं बल्कि २ २ १/२ करोड़ रुपया में चीनी मिल लगाई जाती है। खैर अब एक नयी बात मालूम हो गयी।

यह जो हमारा रुपया मिलों पर बाकी था उसमें ११८ करोड़ रुपया केन की कीमत का मिलों को देना पड़ता है और ८ करोड़ रुपया टैक्स का देना पड़ता है। इस ११८ करोड़ रुपये में से १३६ लाख रुपया उनके ऊपर बाकी था और ८ करोड़ में से ४९३ हज़ार रुपया बाकी था। इस ४.९३ लाख रुपये में से आधा रुपया अदालत द्वारा लागू स्टे आर्डर्स की वजह से रुका हुआ है। आपने क्या किया? जिन मिलों पर यह रुपया बाकी था उन पर रिसीवर मुकरर कर दिया, ठीक किया। मैं इसके कानूनी पहलू पर नहीं जा रहा हूं कि आप उनको बैठा सकते थे या नहीं बैठा सकते थे, लेकिन जिस दिन यह रुपया अदा हो जायगा, रिसीवरों को हटा दिया जायगा। ऐसा बकरी का कान पकड़ कर गेंदासिंह जी चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह किस झुनझुने से खेल रहे हैं? यह कौन-सा राष्ट्रीयकरण का रूप है? अतः यह सरकार आज की अपनी इस प्रकार की नीति के द्वारा जो प्रतिक्रियावादी नीति है, विश्वास की पात्र नहीं रही है।

मेरे मित्र बेनी सिंह जी कहते हैं हरिजनों के लिये कि चूहा मोटा हो गया है, बिल में नहीं जा सकता है, यह बहुत दुःख की बात है। मुझे मालूम है कि इन छोटे गरीब भाइयों को वोट नहीं डालने दिया जाता है लेकिन उसका वोट स्वयं बक्से में पड़ जाता है। किस प्रकार से क्या-क्या होता है, यह मुझे सब मालूम है। हमें लज्जा थी कि हम उनको १८ फीसदी नहीं दे पाये थे। इसके लिये हमने यह किया था कि जब तक उनका यह अनुपात पूरा न हो जाय, उनको ४५ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जायगा।

पिछले २२ सालों में हमने देश और प्रदेश का अहित किया है। हम अपने प्रदेश और देश को राष्ट्रभाषा भी नहीं दे पाये हैं। अब भी हमारे यहां हाईकोर्ट में लम्बी-चौड़ी अंग्रेजी हांकी जाती है, सारे निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, चाहे वह मुंसिफ की अदालत हो, चाहे जज की अदालत फिर हम दुनियां को किस प्रकार से सबक सिखा सकते हैं और यह जब कि हमारे वकील और जज सब हिन्दी जानते हैं। कहते हैं कि हिन्दी के कानून नहीं हैं, जिस प्रकार से यहां अंग्रेजी के उद्धरण हम पढ़ते हैं वहां भी पढ़े जा सकते हैं।

श्री आशा राम इन्दु (जिला मेरठ)—

एक महीने पहले क्या होता था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह नहीं कहा कि सब पाप आपने ही किया है। लेकिन उसके बारे में हम कुछ करना चाहते थे। हम लोगों ने इस संबन्ध में निश्चय नही किया, उसके बारे में इन्दुजी को शिकायत हुई है, लेकिन न जाने कितने संकोचों के कारण हम इसमें तरक्की नहीं कर पाये है। इन्दुजी नये हैं

लेकिन चौधरी साहब ४६ वर्ष कांग्रेस में रहे हैं। क्या कारण है कि हिन्दी की तरक्की नहीं हुई। लोगों ने मुझ से कई बार कहा कि टाइपराइटर्स नहीं हैं। मैंने कहा कि मुन्सिफ साहब की अदालत में और मैजिस्ट्रेट के यहां टाइपराइटर और स्टेनो का प्राविधान नहीं है तो यह बहाना लेना ठीक नहीं है। कारण यह है कि हम लोगों की दासता की भावना, जिस में अंग्रेजी बोलना गौरव की बात है, पिंड नहीं छोड़ती है। इस सरकार ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया इसलिये अविश्वास की पात्र है। मैं १ मई, १९६७ को माननीय चौधरी चरण सिंह ने जो सदन में कहा वह रखना चाहता हूं। एक अप्रैल को आपको याद होगा कि वह कांग्रेस छोड़कर उधर गये थे और अपने कुछ साथियों सहित गये थे। उन्होंने कहा था कि आज जन साधारण यह जानने में असमर्थ है कि जहां गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं वहां पर खाद्यान्नों की कीमतें गिर रही हैं लेकिन जहां जहां कांग्रेसी सरकारें हैं वहां पर कीमतें बढ़ी हैं। आज इसका उत्तर जनता के सामने है। पायनियर में अजाजी आता है। उसमें एक तरफ प्रधान मंत्री और एक तरफ चौधरी साहब या मैं था और यह प्रधान मंत्री से कह रहा था कि--

"Sugar is not available in the market, vegetable oil is not available in the market and Suji is not available in the market. Nothing is available, what should we eat?

श्रीमन्, उत्तर था :

"Let us eat each other."

इसके हिन्दी में अर्थ हैं कि वह आदमी प्रधान मंत्री जी से कह रहा था कि चीनी नहीं है, वेजीटेबुल आयल नहीं है, सूजी नहीं है, कोई चीज नहीं है, बाजार में, क्या खायें ? उत्तर में था कि खाना नहीं है तो आपस में एक दूसरे को खा लें। श्रीमन्, यह तो आसान है कि इन चीजों की चर्चा करें। मैं केवल एक चीज कहकर भाषण समाप्त करूंगा। मान्यवर, एक शायर ने कहा है कि--

"डूब कर मैंने तूफां की दी है खबर,
नखुदा अगर बेखबर हो तो मैं क्या करूं।"

श्री अध्यक्ष--

श्री धनुषधारी पांडेय।

एक सदस्य--

एक सूचना देना चाहता हूं। आज सदन के अन्दर ऐसी घटना हुई है कि जिसके लिये कहा जा सकता है कि वास्तव में बड़ी अशोभनीय घटना हुई है। आज अशफाक अहमद साहब ने एक माननीय सदस्य के दस्तखत बनाये हैं जोकि कई दिनों से गैर हाजिर हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस की चर्चा मेरे दफ्तर में होगी।

एक सदस्य--

आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं जांच करके व्यवस्था दूंगा। आप यहां इसको न उठावें, यह ठीक नहीं है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं इस बात को कहने में भी नहीं हिचकूंगा कि माननीय आचार्य जी का जो वक्तव्य हुआ है उसको

[श्री धनुषधारी पाण्डेय]

भी सुनकर मुझको बहुत बड़ा आश्चर्य है । मैं आचार्य जी के साथ बहुत दिनों तक रहा और जिन बातों को उन्होंने यहां पर रखा उनको सुनकर तो मैं कहूंगा कि मुझको उन बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ है । वे काफी दिनों सरकार में रहे हैं और जिन कार्य प्रणालियों को उन्होंने स्वयं बनाया आज उन्हीं की वे टीका-टिप्पणी कर रहे हैं । माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस दिन मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया और उसके बाद से उन्होंने जो जो कदम उठाये हैं प्रदेश का जो भी किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, कारखानेदारों के अलावा, वह अपने को उनके कारण सौभाग्य-शाली समझेगा । श्रीमन्, जिन-जिन कदमों को उन्होंने उठाया, मैं एक शब्द में उनके बारे में कहूंगा कि पूज्य पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, डा० सम्पूर्णानन्द जी के बाद आपके इस राज्य में जो सारी व्यवस्था, सारी शासन व्यवस्था जो कुंठित हो चली थी उसको व्यवस्थित करने के लिये है । वे जिस दिन से इस सदन में मुख्य मंत्री की हैसियत से बैठे, मैं कोई बाजारी बात नहीं कर रहा हूं वरन् गांव वालों की, किसानों की, मजदूरों की बातें कर रहा हूं, उन्होंने जन-साधारण के हित के लिये ही कदम उठाये हैं । जो लोग पूंजीपति हैं उनको छोड़ कर अन्य लोगों को आचार्य जी के भाषण से आश्चर्य ही होगा । मुझे आश्चर्य है कि सिंडीकेट के साथी एस० एस० पी० के साथियों के साथ बैठे हैं जबकि उनकी नीतियों में बहुत बड़ा अन्तर है । हमारे पूर्वी जिलों और पहाड़ी क्षेत्रों की आज जो दुर्दशा है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है । इन हिस्सों की दशा सुधारने के लिये उन्होंने क्या किया ? आज जो दुर्दशा इन क्षेत्रों की है, यदि आप किसी एक ही विभाग से सम्बन्धित बात को लेकर बैठ जायें चाहे सिंचाई की दशा हो, चाहे स्वास्थ्य की दशा हो, चाहे शिक्षा की दशा हो, चाहे किसी प्रकार का व्यावसायिक साधन प्रदान करने का हो उसमें सदैव उन की तरफ से पक्षपातपूर्ण काम किया गया है । जिस प्रकार से आपने काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है । मैं जोर देकर कह सकता हूं कि चौधरी चरणसिंह ने जिस कदम को उठाया है, वह न्यायपूर्ण है । उन्होंने जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ अपने कदमों को उठाया है वैसा कदम कोई भी मुख्य मंत्री होता उठाने की हिम्मत नहीं करता । हमारे बहुत से साथी इधर के उधर हो गये हैं । उनके किये हुये कामों के कारण ही जनता त्रस्त हुई, कराह उठी है । मैं भी उनके साथ २०-२२ वर्ष तक रहा हूं और उनकी नीति को जानता हूं ।

जिला परिषद् की चर्चा हमारे साथियों ने की और अगर किसी को जिला परिषदों के समाप्त होने की कोई परेशानी है तो उन लोगों को है जो इसके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे । उनके वक्तव्यों से हमको आश्चर्य है । हमारे यहां बस्ती में ३५० ट्यूबवेल्स हैं । जो हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री थे, मैं उनसे जानना चाहूंगा । हमारा जिला बस्ती हर माने में पिछड़ा हुआ है । सिंचाई के माने में और शिक्षा के माने में हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । यातायात के साधन भी वहां पर पर्याप्त नहीं हैं । सड़कों के बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । योजनाएं घोषित हो जाती हैं मगर कार्य आरम्भ नहीं होता है । ४ वर्ष हुए गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था। बड़े दुःख की बात है कि वहां पर १ इंट भी नहीं रखी गयी ।

हुजूरवाला, मैं जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज के वाईस चान्सलर्स का एप्वाण्टमेंट कैसे होता है ? उनको एप्वायंट करने में क्या कदम उठाये जाते हैं और उनकी नियुक्ति का क्या आधार है ? विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर्स बनाने का कोई सिद्धान्त नहीं है । आचार्य जुगल किशोर को कानपुर विश्वविद्यालय का वाईस चांसलर बना दिया गया । जो-जो सज्जन इलेक्शन में हार जाते हैं उनको ये जगहें दे दी जाती हैं । श्री मुजफ्फर हसन इलेक्शन में हार गये उनको भी जगह दे दी गयी ।

श्री अध्यक्ष—

आप किसी व्यक्ति का नाम न लें ।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मुजफ्फर हसन को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। यह कहां तक न्याय की बात है। आपके यहां पक्षपात किया जाता है। विशेष जाति के साथ पक्षपात किया जाता है। उनकी हुकूमत ने और उनके साथियों ने गलत तरीके से लोगों को सजायें दिलायीं। यहीं नहीं, हत्यायें करायीं और उनके साथियों ने विश्वासघात किया। अब मैं अपने साथी आचार्य जी की कहानी सुनाऊं। उस कहानी के अन्दर मैं उनसे जानना चाहूंगा। यह उस समय की बात है जब कि वे इलेक्शन हार गये थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मेरा भी जिक्र किया गया है।

(व्यवधान)

श्री धनुषधारी पाण्डेय—

चौधरी चरण सिंह को इन्होंने दावत दी, मगर चौधरी साहब ने उनकी दावत को ठुकरा दिया। उस दावत के अन्दर सारी चीजें सामने आ गयीं। चौधरी साहब ने सराहना का कार्य किया।

श्रीमन्, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात उठी। हमारे एस० एस० पी० के साथियों ने भी कहा। कुछ लोग मिल मालिकों के पाले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पाले हुए शब्द न कहें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, ये जो-जो कहना चाहें, बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

फिर आप कहेंगे कि ऐसा कहा। गर्म वातावरण नहीं होना चाहिए।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं साफ-साफ बात कहना चाहता हूं। मैं चैलेंज देता हूं और ये उस चैलेंज को स्वीकार कर लें। मैं गलत बातें कहने का आदी नहीं हूं और न तोड़-मरोड़ कर ही बातें कहता हूं। आप विरोधी दलों को ही ले लीजिए। हमारे यहां सड़कों की दशा को आप देखें। चौधरी गिरधारी लाल जी बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। वहां सड़कों के बनाने में जो प्रगति हुयी है उसको आप देखें और हमारे बस्ती की सड़कों को भी देखें। हमारा जिला बस्ती पिछड़ेपन में कितना आगे है, इसका अन्दाजा आप को सहज ही में लग जायगा। वहां पर भयंकर बेकारी है, मजदूरों की अनगिनत संख्या है और भुखमरी है। वह जिला उद्योगहीन है और विद्यालयों की बड़ी भारी कमी है। हम जब ये बातें कहते हैं तो कहा जाता है कि आप जिस दल के समर्थक हैं, उन्हीं के नेता से कहिए। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि चौधरी चरण सिंह गरीब परवर हैं और गरीबों से सदा प्रेम करते रहे हैं।

(श्री लक्ष्मी रमण आचार्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री धनुषधारी पाण्डेय, आप कृपया बैठिये, अगर आप आचार्य जी की बात सुनना चाहते हैं। उनकी बात सुनने के लिए तो आपको बैठना ही पड़ेगा।

श्री चालसा प्रसाद (जिला बस्ती)—

अब चौधरी साहब बस्ती जिले को धनवान् बना देंगे। इनके कहने के मुताबिक वह जिला धनवान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री धनुषधारी पाण्डेय, आप जारी रखें।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—

मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय गुप्ताजी बराबर मंत्री मंडल में रहे और उनसे बराबर कहते थे कि बस्ती की गरीबी को दूर करने के लिए उद्योग लगाये जांय लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस तथ्य को बस्ती जिले का इतिहास बतलायगा। वहां बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी नदियों का जाल है और नैपाल से बस्ती जिला मिला हुआ है। लेकिन वहां नदियों पर पुल नहीं बने। सड़कें नहीं बनीं जिससे कि वहां का विकास हो सकता। मैं यह भी कहूंगा कि माननीया इंन्दिरा गांधी पर गुप्त हमला करने के लिए जो गठबंधन हुआ तो क्या उसकी जिम्मेदारी गुप्ताजी पर नहीं है ? जब यहां यह हुआ कि इन्दिरा जी का साथ देंगे तो क्यों वे दिल्ली पहुंच गये ? क्या यह आरोप गुप्ता जी पर और उनके साथियों पर नहीं है ? मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि जो नीति यह सरकार अपना रही है उसका हर किसान, हर मजदूर समर्थन करेगा और आप भी उनका समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय रियासत हुसेन और मैंने यह प्रश्न उठाया था कि आपको माननीय सदस्यों ने लिख कर भेजा है कि वे शासन के विरोध के बजाय समर्थन में आ गये हैं तो उसकी सूचना नहीं मिली। कृपया आज उसकी सूचना देकर उठें।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं अपने आप करूंगा जब उचित होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आपने मुझे अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। २६ तारीख से हाउस चल रहा है। सैकड़ों बार मैं खड़ा हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आज यह सदन समाप्त होने वाला है। दो दिन की छुट्टी है। हमें भी अपनी बात कहने का मौका देते। हम भी अपने उद्‌गार निकाल लेते।

श्री अध्यक्ष—

अभी दो दिन और हैं। आपको भी मौका मिलेगा।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, असेम्बली आरम्भ होने वाली थी कि पूरे प्रदेश में गप्ता सरकार को गिराओ इस प्रकार का आन्दोलन चल रहा था। दस तारीख को उनका इस्तीफा हो गया माननीय चरण सिंह मुख्य मंत्री के रूप में आकर बैठे। हम आशा करते थे कि हमारे उधर के भाई सरकार में आने के बाद कोई नई बात, नई चीज प्रदेश को देंगे और जो बीस साल से जनता के अन्दर अविश्वास उत्पन्न हो गया है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे हमारे प्रदेश से कभी भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, यहां से कभी पापाचार नहीं मिटेगा तो इस पर पर्दा पड़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, भुखमरी मिटेगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। ये सारी बातें होंगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चौधरी साहब इस बात की डिमडिम पीटा करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, स्वच्छ प्रशासन लाना है लेकिन पालिटिकल इम्मारेलिटी यू० पी० की विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा में जितनी बड़ी चौधरी चरण सिंह ने खेली शायद ही किसी और नेता ने खेली हो। मुझे भरोसा था कि चरण सिंह जी किसान के बच्चे हैं और आने के बाद कुछ सुधार करेंगे। लेकिन मै यह देखता हूं कि चौधरी चरण सिंह की केवल लम्बी-लम्बी घोषणायें होती हैं और उनके अनुरूप कुछ कार्य नहीं होता है।

उन्होंने घोषणा की थी कि हम सीलिंग करेंगे। पूरे प्रदेश में एक आशा बंधी। हर गरीब आदमी सोचता था कि जमींदारी खत्म करने के बाद जमीन का बंटवारा होना चाहिये था। बीस साल से प्रदेश के कोने-कोने में गरीब आदमी यह आशा लगाये हुये था कि मुझे कब जमीन मिलेगी, कब मेरा बेटा जमीन में फावड़ा चलायेगा। लेकिन जमीन के बंटवारे का सवाल खटाई में डाल दिया गया। चौधरी चरण सिंह से आशा थी। सीलिंग के बारे में जितने जोर से उन्होंने अमीनाबाद में कहा था अगर उतनी ही जोर से वह सदन में कह देते तो जिस तरह से आज जिला परिषद् के बिल पर लोग उनकी तारीफ कर रहे थे वैसे ही उनकी तारीफ करते। वह कहते तो हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आयेंगे, हम जो अच्छा समझेंगे, करेंगे। लेकिन जिस समय गुप्ता जी की सरकार गिरने वाली थी चौधरी चरणसिंह को उधर से आश्वासन मिल रहे थे कि हम तुम्हें मुख्य मंत्री बनायेंगे लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। चरण सिंह जी ने भी यही कहा था कि हम किसी के दबाव में नहीं आयेंगे, लेकिन हमने देखा कि धीरे-धीरे जितना भी दबाव हो सकता है वह चौधरी साहब मानने को तैयार हो गये। ३० एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये थी। बड़े-बड़े राजे महाराजे उधर बैठे हुये हैं। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता और चौधरी चरणसिंह जी ने जिनको लोग किसान का बेटा कहते हैं---मैं कहता हूं यह सरासर झूठ है—३० एकड़ का प्रस्ताव खटाई में डाल कर किसानों के साथ बहुत बड़ी ना ईमानदारी की है।

इतना ही नहीं, चौधरी साहब बार-बार यह कहते थे कि पुलिस में स्वच्छता लायेंगे और प्रदेश में ला ऐंड आर्डर को ठीक से रखेंगे, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं १ मार्च से १६ मार्च तक के जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप देखेंगे कि शायद इतने दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश में कभी भी इतनी ज्यादा डकैतियां और कत्ल नहीं हुये होंगे। 'स्वतंत्र भारत' और नवजीवन में ये घटनायें मोटे-मोटे अक्षरों में छपी हैं जो मैं पढ़ रहा हूं १ मार्च—सशस्त्र मुठभेड़ में ग्रामीणों ने ६ डाकू पकड़े महोबा में। २ मार्च—फतेहपुर में पुलिस वर्दी धारी डाकुओं द्वारा ४० हजार की लूट। ४ मार्च—बलिया में पांच कुख्यात ट्रेन डकैतों की गिरफ्तारी जी० आर० पी० द्वारा। ६ मार्च—बहराइच में रोडवेज स्टेशन पर सनसनीखेज चोरी। तिजोरी में से १०,५५६ रुपये उठा ले गये। फैजाबाद में दिन दहाड़े युवती के घर में घुस कर छुरा मारा और लूट

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लिया। मथुरा में एक लड़की और दो बच्चों को डकैतों ने जिन्दा जला दिया। ४ की निर्मम हत्या। उन्नाव में ग्रामीणों और डकैतों में संघर्ष-१ मरा। ७ मार्च—मेरठ क्षेत्र में डकैती पड़ी, १७० ट्यूब वेल की चोरी। प्रतापगढ़ में एक ही रात में दो परिवार में सशस्त्र डकैतियां। डाकुओं ने १४ हजार की सम्पत्ति लूटी। लखनऊ में कब्रिस्तान में ६ डाकू गिरफ्तार। पिस्तौल, बन्दूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। ६ मार्च—मैनपुरी में सशस्त्र डकैती ने बस के सभी मंत्रियों को लूटा। ८ मार्च को मथुरा में कन्या विवाह के अवसर पर डाका, ७० हजार की लूट। १० मार्च—हरदोई में एक सप्ताह के भीतर नगर में चार डकैतियां। हरदोई नगर निवासियों में आतंक। ११ मार्च—हरदोई में डाकुओं से मुठभेड़, दो मारे गये, १० घायल। सीतापुर में एक सप्ताह के अन्दर ५ डकैतियां। १२ मार्च—देवरिया में गाड़ीवान को घायल कर के दोनों बैल लेकर चंपत। फतेहपुर में दो भीषण डकैतियों में ८३ हजार रुपये की लूट, १ पहरेदार व तीन ग्रामीण घायल। कानपुर में पुलिस और डाकुओं के बीच गोली चली, एक डकैत मरा। देवरिया में डाके में शामिल सिपाही को ग्रामीणों ने मार गिराया। मथुरा में पुलिस डाकू-संघर्ष, चार डाकू

[श्री त्रिवेणी सहाय]

गिरफ्तार । १३ मार्च-सीतापुर में पुलिस वेशधारी डकैतों द्वारा एक रात में चार डकैतियां । कानपुर में डाकुओं ने महिला को जिन्दा फंका । आगरा में डाकू दल द्वारा परिवार के तीन सदस्य अपहृत । ये सारी बातें, १ मार्च से १६ मार्च तक की हैं और मैंने खाली डकैतियों के आंकड़े दिये हैं । और कत्ल जो इस बीच में हुये हैं उनकी संख्या है २८२ । मैं ला ऐंड आर्डर सिचुएशन की बात कह रहा हूं । यह जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, पहले इस बात की बड़ीडींग हांकी जा रही थी कि चौधरी साहब आयेंगे तो पूरे प्रदेश में सर्वत्र शांति व्यवस्था स्थापित हो जायेगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि १६ दिन के अन्दर ही देख लीजिये कि पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है । आपको मालूम होना चाहिये कि इस प्रदेश के अन्दर ४ डाकू ऐसे पकड़े गये जो पुलिस की वरदी में थे । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये पुलिस की वर्दियां उनको कहां से मिलीं । इसका साफ मतलब यह है कि पुलिस वाले मिल कर डकैती कराते हैं और प्रदेश के ला ऐंड आर्डर को बिगाड़ते हैं ।

जहां तक सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करने की बात है, जब पहले वाली सरकार ने इसके लिए एलान कर दिया था तो आपकी यह मोरेल ड्यूटी थी कि उस सरकार के निर्णय को मान लेते । चौधरी साहब जब इधर बैठते थे तब भी उनकी यह मान्यता थी कि अलाभकर जोत में सवा ६ एकड़ तक आता है और इसलिये जैसे ही यह सरकार आयी उसको यह बात मान लेनी चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जहां चौधरी साहब में और बहुत सी सारी बातें हैं वहां एक बात और यह है कि वे हठी हैं, उनका स्वभाव हठी है और अपनी हठवादिता के कारण जनहित की जो बात होती है उसको भी वे नहीं मानते । सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी की बात न मानने का मुख्य कारण यह है कि संसोपा भाइयों की तरफ से लगान माफी की बात रखी गयी थी । वे साढ़े ६ एकड़ तक का लगान माफ कर सकते थे, ६ एकड़ का लगान माफ कर सकते हैं लेकिन सवा ६ एकड़ का लगान माफ नहीं कर सकते ।

इसी तरह से राज्य कर्मचारियों के संबंध में सभी जानते हैं कि चौधरी साहब उनके खिलाफ शुरू से ही रहे हैं । इधर की सरकार जब आयी तो सभी आशा कर रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में कुछ होगा लेकिन इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला । पहले जब संविद की सरकार बनी थी तब बी० के० डी० के भाई कहा करते थे कि देखो-माननीय चरण सिंह के आते ही सारी चीजों के बढ़ते हुए दाम गिर गये । लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से जाकर देखें कि सारे अनाजों के दाम किस तरह से दिन दूने रात चौगुने बढ गये हैं । गेहूं महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गयी हैं, तेल महंगा हो गया है और किसानों के रोज-बरोज इस्तेमाल में आने वाले जितने सामान हैं, सब महंगे हो गये हैं । इस महंगाई का असर हमारे राज्यकर्मचारियों पर और शहरों पर सबसे ज्यादा पड़ा है । ५ लाख कर्मचारी जो इस प्रदेश के अन्दर हैं, उनकी जिन्दगी के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है । इसी तरह से प्रोफेशन टैक्स का सीधा संबंध सरकारी कर्मचारियों से है और इसका अधिक से अधिक भार उन्हीं के ऊपर पड़ता है । मैं समझता था कि चौधर साहब अपनी हठवादिता से उतर आयेंगे लेकिन वे अपने मन की ही करने पर तुले हुए हैं ।

हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि आप खुश न होइये । पुराणों में हमने पढ़ा है कि किसी युग में जब वाणासुर और अधासुर थे तो उन्हीं के समय एक भस्मासुर भी हो गया है । भस्मासुर को जिस देवता ने आशीर्वाद दिया था उसी को एक बार उसने भस्म करने की कोशिश की । पहले जब संविद बनी थी तो चौधरी चरण सिंह जी ने गुप्ता जी को हटाने की पूरी कोशिश की और जब वे सरकार में आ गये तो जिन लोगों की

मदद से वे मुख्य मंत्री बने थे उन्हीं लोगों को खा गये। इसी तरह से अब की बार श्री कमलापति त्रिपाठी और इंदिरा जी ने उनको आशीर्वाद दिया है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि चौधरी साहब इंडिकेट को भी भस्मासुर बन कर भस्म कर देंगे और मेरे सारे दोस्त उसी में भस्म हो जायेंगे। उसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हम प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लायेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि स्वच्छ प्रशासन कैसे आयेगा ? एक बार जब उधर सरकार में मुख्य मंत्री, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी थे तो अपने ५ घंटे के लम्बे भाषण में चौधरी साहब ने कहा था कि "आज बाहर यहां इतनी भीड़ लगी रहती है कि निकलना तक मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप कोई तरकीब सोचिये जिससे कि यह बन्द हो जाय। इतनी भीड़ न लगा करे। इस से हर एक मिनिस्टर तक परेशान है। जब लेजिस्लेचर चलता है तो विजिटर्स आते हैं। आने चाहिये। ओपिन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिये। लेकिन इनका ऐसा इन्तजाम किया जाय कि फिर जो और गैलरीज हैं उन में न जा सकें। वहां से आये हैं तो सीधे बाहर निकल जायं। एक तो यह होना चाहिये, दूसरे यह कि साढ़े ४ बजे से पहले जब लेजिस्लेचर न हो या लेजिस्लेचर भी हो तो गैलरीज या कारीडर्स में साढ़े चार बजे से पहले केवल एम० एल० एज०, आफिसर्स या और किसी ड्यूटी पर जो हो, उनके अलावा जनता का आदमी या और आदमी न आ सके। साढ़े ४ बजे के बाद आवें, मिनिस्टर से मिलें। लेकिन साढ़े ४ बजे से पहले कोई कारीडर्स में भीड़ नहीं होनी चाहिये। यह उन की उस वक्त राय थी लेकिन अब की बार जब से यह १६ मार्च को यह आसीन हुये हैं हम देखते हैं कि दारुलशफा में कोई भी बी० के० डी० के सदस्य ऐसे नहीं है जिन के कमरे में दस-दस अफसर न बैठे रहते हों और वे कोई न कोई काम लेकर हर वक्त वहां आया जाया करते हैं। मैंने व्यवस्था का सवाल भी उठाया था कि जब गैलरीज में देखो तो, लिफ्ट पर देखो तो और फाटक पर देखो, हर वक्त दस-बीस अफसरों की भीड़ यहां और बी० के० डी० वालों के कमरे में और इन्डीकेट वालों के कमरे में लगी रहती है। आप कहते हैं कि जिम्मेदारी होनी चाहिये लेकिन यहां तो यह है कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' आवश्यकता तो इस बात की थी कि जो भी कहा था या जो भी कहें उस को वह आचरण में लाते। वह नहीं किया गया।

इतना ही नहीं, आप देखें कि पूरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरिजनों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप हरिजनों को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखते हैं। आज २०-२२ साल के बाद आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यवस्था संविधान में हरिजनों के लिये विशेष रूप से थी और उन की सीटें और नौकरियों में सुरक्षा दी गई थी वह पूरी की जाती। लेकिन एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहा गया। माननीय गुप्ता जी का भी हरिजनों के कष्टों के सम्बन्ध में इसी सदन में भाषण हुआ था। उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब की ही कांस्टीटुयेन्सी में मेरठ में बी० के० डी० के लोगों ने हरिजनों को वोट नहीं डालने दिये और प्रोसीडिंग में लिखा है कि हरिजनों का टट्टी पाखाना तक बन्द कर दिया। गुप्ता जी ने कहा था कि "जैसा यहां पर बताया गया था मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों से २६ इंस्पेक्टर्स, सब-इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबिल्स और कांस्टेबिल्स को पूर्वी जिलों में भेजा गया था। उसके मुख्य कारण रहे हैं। यह कौन नहीं जानता कि उन जिलों में बड़ा भारी असन्तोष था। वहां पर अछूतों और हरिजनों को शिकायत थी कि उन्हें मत नहीं डालने दिये गये, उन को शिकायत थी कि उन को मत पड़ने के बाद उन स्थानों पर टट्टी नहीं जाने दिया जाता था जिन स्थानों पर वे जाते थे और न उनको जानवरों को चराने का मौका दिया जाता था। इस प्रकार की शिकायतों के आवेदन-पत्र उन्होंने यहां पर सरकार के पास ही नहीं भेजे थे बल्कि केन्द्रीय सरकार के पास भेजे थे, खास तौर से वह प्रार्थना-पत्र श्री जगजीवन राम जी के पास भेजे थे। जो हरिजन भाई उधर बैठे हैं, वह इस प्रोसीडिंग्स को जान लें कि उनके श्री जगजीवन राम के पास भारी संख्या में मेरठ के हरिजनों ने शिकायत भेजीं और तमाम वहां पर लोगों के इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबिल्स क ट्रान्सफर बड़ी तादाद में किये गये। आज राज्यपाल के अभिभाषण में कोई हरिजनों का जिक्र नहीं है। उस सब को निकाल दिया गया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

तीसरी बात मैं अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यापक इस समाज की बहुत ही मानवीय इकाई है। देश के निर्माण में जितना योगदान अध्यापक का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। माना कि अध्यापक की हर मांग को आप पूरा नहीं कर सकते हैं लेकिन उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार तो आपको करना ही चाहिये। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनको आभास है कि अगर यह बात मान ली जाय तो यह मांग जनसंघ, संसोपा या कांग्रेस (सिंडिकेट) की मानी जायगी। अतः अध्यापकों को इन्होंने सदा के लिये वंचित कर दिया है।

चौधरी साहब ने कुछ दिन पूर्व भाषण में यह कहा था कि अगर सरकारी कर्मचारी परेशान हैं तो वे अपना त्याग-पत्र दे दें। आज चौधरी चरण सिंह जी जन भावना के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं बल्कि अगर यह कहा जाय कि इस प्रदेश में चौधरी साहब के शासन का अर्थ यह है कि हिटलरशाही दृढ़ हुयी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जब से चौधरी साहब यहां पर बैठे हैं १० तारीख को संसोपा, जनसंघ और बी० के० डी० ने पूरा-पूरा समर्थन चौधरी साहब को दिया था और यह स्पष्ट हो गया था कि उनके साथ मैजारिटी है लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, मुख्य मंत्री बनाने के लिये, लेकिन जब राज्यपाल के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्हें बुलाया गया। जब से उन्होंने यहां पर चरण रखे हैं, तभी से यहां पर जनतंत्र का गला घोंटा गया है। न एसेम्बली में संख्या ही देखी गयी कि कितनी संख्या संसोपा की है, कितनी जनसंघ की है और कितनी संख्या बी० के० डी० पार्टी की है। सदन में 'हां' और 'ना' की संख्या भी नहीं देखी गयी। हम सब लोगों ने लाबी में जाकर हस्ताक्षर करके मतदान करने का निर्णय लिया था लेकिन वह भी नहीं माना गया। मैजारिटी ने कहा था कि सब पार्टियों की संख्या देखी जाय लेकिन उस दिन भी जनतंत्र का गला घोटा गया। ऐसे ही चौधरी साहब आज सारे कदम उठाकर दूसरों को आरोपित करना चाहते हैं। पहले जमाने में जब प्राइमरी के अध्यापक स्कूल में आते थे तो उनमें से बहुत से अध्यापक ऐसे थे कि जो क्लास में आते ही लड़कों को डन्डे मारना आरम्भ कर देते थे ताकि यह हो जाय कि ये मास्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था माननीय चरण सिंह ने की। जैसे ही वे शासन में आये, उन्होंने ट्रान्सफर करने आरम्भ कर दिए और यह कहने लगे कि मैं उनको निकाल दूंगा। ये घोषणायें करके पूरे प्रदेश के अन्दर भय और आतंक की बात कर दी है। मुझे जो दिखाई पड़ता है, वह यह है कि चौधरी साहब के रेजीम में इस बात को न कहा जाय कि जिला परिषदों में चुनाव न कराये जांय। मैं पूछना चाहता हूं कि ३७ जिला परिषदों में ३ माह के अन्दर चुनाव क्यों नहीं कराये जा सकते हैं। जिस तरह से पटवारियों को इन्होंने हटा दिया और उससे समस्या का हल नहीं निकला उसी प्रकार से जिला परिषदोंको जिलाधीशों के हाथ में सौंप कर मूल समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इस ओर बैठकर आपने नौकरशाही को ५ घंटे कोसा था और उन्हीं के हाथ में आज आप जनतंत्र की बागडोर को सौंपने जा रहे हैं तो कैसे देश का भला होगा कैसे स्वस्थ प्रशासन होगा, कैसे नैतिकता बढ़ेगी, ये प्रश्न विचारणीय हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि हमारे बहुत से माननीय साथी जो उधर बैठे हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब को मुख्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव किया था। आश्चर्य है कि वे उनके ही विरुद्ध क्यों अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं। ११ फरवरी से यह एसेम्बली बुलायी गयी थी तो १० को ही मान्यवर हमारे दोस्त लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सिफारिश की कि माननीय चौधरी साहब को मुख्य मंत्री बनाया जाय तो फिर शिकायत किस बात की है। जो साथी शिकायत करने वाले हैं वे ही चौधरी चरणसिंह को मुख्य मंत्री बनाना चाहते थे, मान्यवर, हमने भी उनका समर्थन कर दिया। अब चूंकि हमने उनका समर्थन कर दिया इसलिये

चौधरी साहब खराब हो गये, वे जब तक उनका समर्थन करते रहे वे अच्छे थे। वे चरित्रवान थे। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने ही श्रीमन्, चौधरी चरणसिंह को मुख्य मंत्री पद के लिये राज्यपाल महोदय को रिकमेन्ड किया था। जनसंघ भाइयों ने भी उनका समर्थन किया था। चौधरी साहब को कुर्सी पर बिठाने वाले तो मान्यवर यही लोग हैं और आज यही लोग उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी गिरधारी लाल जी, नेता विरोधी दल २० वर्षों तक वरिष्ठ पद पर सरकार में बने रहे। उत्तर प्रदेश में हरिजनों का प्रतिनिधित्व का सारा भार उनके ऊपर सौंपा गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों के लिये कौन-सा कदम उठाया? कौन-सी सेवा उन्होंने अपने काल में हरिजनों की की? श्रीमन्, नाराजगी होनी चाहिए महामहिम राज्यपाल पर, जिन्होंने उनके कहने पर चौधरी साहब को सरकार बनाने के लिये तुरन्त आमंत्रित नहीं किया, और बदला लिया जा रहा है चौधरी चरणसिंह साहब से। जिस व्यक्ति के लिये आपने रिकमेन्ड किया उसी को राज्यपाल महोदय ने इन्वाइट कर लिया, इसमें उन्होंने कौन-सी गलती की? (व्यवधान)

मान्यवर, अभी एक महीना चौधरी साहब की सरकार को बने हुये हुआ है। उन्होंने २-३ ठोस कदम उठाये हैं जिसक लिये हम कांग्रेस के साथी चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों चिल्लाते थे, पी० सी० सी० और ए० आई० सी० सी० में प्रस्ताव रखते थे। पहला काम इस सरकार ने किया चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण। यह चीनी मिलें अब तक किसानों का, चाहे वह पूर्व के किसान हों, चाहे पश्चिम के हों, उत्तर या दक्षिण क हों, शोषण करती रही हैं। वे किसानों का पेमेंट तक नहीं करती थीं। जो मुलैसेज ४२ रुपये क्विन्टल पर वे बाजार में बेचते हैं उसे वे किसानों से ६७ पैसे के भाव से लेती थीं।

मेरे दोस्त उजलत में हैं। मैं धीरे-धीरे अपने दोस्त की परेशानी दूर करूंगा। उनका इतिहास बता कर।

दूसरी बात यह कि चौधरी साहब सीलिंग का प्रस्ताव लाये हैं। अभी वे उसे ऐक्ट के रूप में बनायेंगे। उस पर कोई कमेटी आदि भी बिठायेंगे।

इसके अलावा सवा छः एकड़ की बात कही गयी। जिस पक्ष से यह बात कही जाती है, श्रीमन्, कभी मैं भी उसी पक्ष में बैठता था। उस समय उनके द्वारा यह कहा जाता था कि शहरों म ज्यादा टैक्स लगे हुये हैं, रूरल एरिया में कम टैक्स लगे हैं। भूतपूर्व सरकार कहती थी कि किसान के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिये। अब आप लोग उनकी दुहाई देते हैं और कहते हैं कि प्रजातन्त्र का गला घोंट रहे हैं और परिषदों को जब्त किया जा रहा है। पांच साल में असेम्बली का चुनाव होता है, लेकिन हम लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि वर्ष-वर्ष में चुनाव होता है। परिषदों का १५ साल से चुनाव नहीं हो सका और आपने प्रजातन्त्र का गला घोंटकर उसको एक्सटेंशन दिया किन्तु दोष हमें दिया जाता है।

मान्यवर, आचार्य जी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे वकील हैं उनकी विद्वता में कोई शक नहीं है, किन्तु उन्होंने आज जो बात कही है, मैं एक अच्छे वकील और एक विद्वान को दाद नहीं दूंगा, किन्तु सदन में उन्हें ऐसा कहने की क्या इजाजत दी जाएगी? आचार्य जी इस समय नहीं है, मैं उन तक आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं। वह बहुत दिन तक सरकार में रहे, गुप्ता जी की सरकार में रहे, पंडित जी की सरकार में रहे, फाइनेन्स मिनिस्टर भी आचार्य जी रहे। लेकिन आज उन्होंने हरिजनों की जो दुहाई दी, हिन्दी की जो दुहाई दी, उनकी तरफ उनका ध्यान उस समय क्यों नहीं गया। यह समझने की बात है। एक बार आचार्य जी से मैंने कहा था कि आपके फाइनेन्स मिनिस्टरी में क्या हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकुलर नहीं है? इस पर उन्होंने कहा क्या करूं मैं बड़ा मजबूर हूं, हिन्दी का अनुवाद करने में बड़ी दिक्कत है और इससे काम का बड़ा हर्ज होगा। हमारे अधिकारी विवश हैं। हमारे देश के सबसे बड़े महात्मा--महात्मा गांधी जो हरिजनों की

[श्री त्रिवेणी]

वाकई में सेवा करते थे, जिन्होंने मुस्लिमों की--माइनारिटी कम्युनिटी की रक्षा की, ऐसे ऐतिहासिक नेता को भी जिन लोगों ने देश से--संसार से उठा दिया, आज वह भी प्रजानन्त्र की और हरिजनों की दुहाई दे रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह जी की सरकार ईमानदार है और उसकी इमानदारी मशहूर है। आज देहातों में गांव में खेत-खलिहानों में किसान यह कह रहा है कि हमारी सच्ची भलाइ चरण सिंह करेंगे। रही मार्केट की बात। डालडा बाजार से गायब हो गया है। लेकिन इसको दो-तीन महिने हो गये हैं और यह सरकार तो एक महिने से कायम हुई है। डालडा को तो बाजार से गायब हुए कई महिने हो गये हैं। वह भी दिन था जब रिक्शावाले गाली देते थे कि चीनी भी बाजार में नहीं मिलती है। यह कहना कि चौधरी चरण सिंह ने मंहगाई को पैदा किया, गलत है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम अवश्य किया है कि जो किसानों का गुड़ सड़ रहा था, अब उनको भरोसा हो गया है कि उनका गुड़ बिक सकेगा और उनकी परेशानी दूर हो सकेगी। हमारे कुछ साथी जब सरकार में थे कहते थे कि गन्ने की कीमत बढ़ाएंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा, पता नहीं कि ऐटम बम क्या गिर जाएगा। गन्ने का दाम उन्होंने कतई नहीं बढ़ाया। आज हमारे भाई बिगड़ रहे हैं। आप जहां से आए हैं, मैं भी वहीं से आया हूं, लेकिन बदकिस्मती है कि आप उधर बैठे हैं और मैं इधर बैठा हूं। (व्यवधान)। श्रीमन्, यह लोग हल्ला कर रहे हैं, मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। आप इनको रोकिए, अन्यथा आपको मेरा समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि यह इधर और वह उधर बैठे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बदकिस्मती किसकी है? इनकी है या उनकी?

श्री त्रिवेणी---

यह शिकायत उनकी है, मेरी नहीं। मैं इसका भी स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान में जो गरीब, किसान और मजदूर हैं, वह कैसे प्रजातन्त्र में विश्वास रखेगा? कैसे जिन्दा रह सकता है? वरना हमारे सिंडिकेट और जन संघ के भईय्या लोग और चाहते हैं। (व्यवधान)। उधर मैं नहीं आ सकता। हरगिज नहीं आ सकता। जिन्दगी में नहीं आ सकता।

तीसरी बात यह है कि चौधरी साहब ने दो तीन अध्यादेश किये जिससे सभी लोग विदित हैं। (व्यवधान)। जब अनुपूरक अनुदान हमारा पास हो रहा था और बिलकुल कसौटी का वक्त था तब तो भाग गये। तीन दिन समय खराब कर दिया। अब अविश्वास का प्रस्ताव डाल दिया। होने वाला कुछ नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले लो। (व्यवधान)। संसोपा के भाई बैठे हैं। पता नहीं किस तरह से वे सिंडिकेट और जनसंघ के साथ अलायंस कर गये हैं। डाक्टर लोहिया की पार्टी प्रगतिशील समाजवाद में विश्वास रखती है। आचार्य नरेन्द्रदेव इसी के लिए कुर्बान हुए। आज यह अलायंस करके आचार्य जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या समाजवाद को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।

चौधरी साहब ने सवा तीन एकड़ का लगान माफ कर दिया। जब हमारे सिंडीकेट के भाई समझ गये कि अब सरकार से जाना है तो सवा छः एकड़ का नारा लगाया। माननीय गेंदा सिंह, मैं और दो और साथी, जब गुप्ता जी की सरकार थी तब कहते थे कि सवा छः एकड़ पर लगान माफ होना चाहिये, तो पार्टी में डांट पड़ती थी कि नालायक हो। (व्यवधान)। जब तक मिनिस्टर रहे हाउस का मुंह नहीं देखा। हल्ला मत करो नहीं तो कुछ और कहूंगा। प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले २९ मिनिस्टर हुए, जो प्रजातन्त्र के प्रतीक थे और हाउस का कभी मुंह नहीं देखा ऐसे मंत्री रहे हैं। प्रजातन्त्र, ईमानदारी, और चरित्र का तकाजा यह है कि यह

मंत्री जो हाउस की बैठक होने के पहले चले गये, जितना उन्होंने टी० ए०, डी० ए० लिया है और सरकारी साधनों का उपयोग किया है, उनके चरित्र को चुनौती है कि पब्लिक के खजाने में जमा करें। चौधरी साहब मंत्री हुए। एक सप्ताह में हाउस बुला दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति परीक्षण हो जाना चाहिए। मगर मान्यवर, ताकत है ही नहीं, इधर अविश्वास, उधर अविश्वास, सदन का समय खराब करना और सरकार के कार्य में डिस्टर्बेन्स करना उनका काम है। (व्यवधान)।

हमारे बुजुर्ग नेता चौधरी गिरधारी लाल जी नेता विरोधी दल हैं। हरिजनों के लिए सहायता के लिए बहुत बड़ा नारा लगाया है चौधरी गिरधारी लाल बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे है। निर्माण विभाग तो हमेशा उनका पट्टा रहा। मान्यवर, निर्माण विभाग का उनके नाम पट्टा रहा। मैं आपके माध्यम से चौधरी गिरधारी लाल जी से कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये आपने कभी आवाज नहीं उठाई। २१ वर्ष तक आप बड़े-बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे पर इन बातों को भूल गये। मैं चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। वह बुजुर्ग नेता हैं पर पता नहीं कि भ्रम में आकर वह ऐसी बातें कह रहे हैं। चौधरी गिरधारी लाल और चौधरी चरण सिंह की आपस में बड़ी दोस्ती थी पर आज दूसरी तरह की बात करते हैं। गिरधारी लाल जी को दाद देनी चाहिये की चरण सिंह जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। आपने चरण सिंह जी को आमन्त्रित किया सरकार बनाने के लिये और विधायक निवास में नारा लगाया गया। जब संसोपा और जनसंघ तथा आपने उनको समर्थन दिया और आपने उसको मान लिया तो हमने क्या बुरा किया कि जो समर्थन अपना दिया। मैं चौधरी गिरधारीलाल जी से प्रार्थना करूंगा और अनुरोध करूंगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेकर प्रदेश को स्वच्छ शासन प्रदान करने में मजबूती दें ताकि गरीबों, किसानों, मजदूरों, और हरिजनों की भलाई हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, बोलने के पहले, अभी जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे उनकी शान में एक शेर पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद फिर बोलूंगा—

अभी क्या है कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना।
जो अहले जर्फ के हाथों में पैमाने नहीं आये॥

मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे उधर के बैठने वाले हों और चाहे इधर के बैठने वाले हों वे सब लाखों आदमियों के बीच से जीतकर अपने देश और प्रदेश की नुमायन्दगी करने आते है। वह यहां आने के बाद पता नहीं है कि वही आदमी जब इधर बैठ जाते हैं तब कुछ और बोली बोलते हैं और वही जब उधर बैठते हैं तो दूसरी बोली बोलते हैं। इससे मालूम होता है कि इधर की कुर्सियों में कमाल कुछ न कुछ जरूर है। वही आदमी अभी कुछ दिन पहले जब इधर बैठते थे तो कुछ और बोलते थे और अब जब वह इधर चले गये तो उनको दूसरी बोली बोलनी पड़ती है। जब ये उधर बैठते थे यह बोली नहीं बोलते थे। ऐसी नींद में सो रहे थे कि मानों यह सोचते थे कि यह गद्दी हमारी है और बाप दादा से विरासत में लिखाकर लाये है कि इन गद्दियों से कभी जायंगे नहीं और बड़े इतमिनान से राज्य करेंगे। प्रदेश की गरीबी के बारे में सोचते नहीं थे। यह हकीकत है। अब वह गरीबों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। चाहे उधर के बैठने वाले हों और चाहे इधर के बैठने वाले हों इनको ९ करोड़ जनता के बारे में सोचने का मौका कहां है? क्यों कि स्थायी सरकार तो है नहीं। किस तरह से कुर्सी को बचायें, जिस तरह से कुर्सी बचे वही बोली बोलने लगते हैं। माननीय चौधरी साहब मेरे जिले के रहने वाले हैं। बहुत पुराने नेता है। लगातार उत्तर प्रदेश में अच्छे विभाग और जिम्मेदार जगहों पर रहे हैं। यह सही है कि चौधरी साहब के बारे में जैसे कि किसी दूध की दूकान के बारे में बड़ी शोहरत हो जाती है, गांव में पंडित रामस्वरूप की दूध की दूकान बहुत मशहूर थी, वह एक सेर दूध में आधा सेर पानी मिलाया करते थे पर उनकी ईमान्दारी की बहुत चर्चा थी, सभी

[श्री मंजूर अहमद]

लोग कहते थे कि बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो ईमान्दारी की बात जब हाउस में आ रही है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके बारे में अपने खयालात रख दूं। ईमानदारी का क्या पैमाना हो इसे आज हमारी जनता समझ नहीं रही है। चौधरी साहब ने इस हाउस में कहा कि जनता जब बुरा समझती थी तभी संसोपा वाले ४६ से ३३ रह गये और यह किसान मजदूर के नेता अकेले आये हैं। यह बात उनको शोभा नहीं देती। इस देश के जो दुश्मन थे वे लगातार सैकड़ों साल से हुकूमत करते चले आये और जो देश में तब्दीली की बात नहीं करता उनके हाथों में शक्ति ज्यादा दिन रहती है लेकिन जो समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं उनके सामने कुरबानी की बात होती है।

चौधरी गिरधारी लाल अभी गरीबों की बात कह रहे थे। वह बूढ़े हो गये। २३ साल से यानी सन् ३७ से इस प्रदेश में बढ़े ठाट से रहे। उनको पता नहीं था कि गरीब रहता कहां है लेकिन आज जब कुर्सी से हटे तो उनको गरीबों की याद आ गयी। इतने बड़े बंगले में रहते हैं, इतने बड़े फार्म्स हैं। अगर मेरे ऐसे आदमी के हाथ में मौका आ जाय तो उसे थोड़ा कम कर दिया जाय या उनके हाथ में माला दे दी जाय। आज ऐसे ही लोगों के कारण प्रदेश की हालत गिरी है, उन्होंने इसे आगे बढ़ने नहीं दिया और यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा रहा और कुर्सी के नशे में इस प्रदेश को अपने बाप दादा की जागीर समझते रहे।

चौधरी साहब की ईमानदारी की चर्चा की जाती है। हमारे जिले के आदमी पूछते हैं कि आखिर चौधरी चरण सिंह कुर्सी के लिये इतना क्यों झुक रहे हैं। चन्द दिनों के बाद जब चौधरी साहब का तजुर्बा उनके साथी भी कर लेंगे तो वह वही कहेंगे जो आज हम कह रहे हैं। केवल इन्तजार करने की बात है। सन् ६७ में इसी हाउस में कमलापति जी ने कहा था जब वह १५, १६ आदमी लेकर कांग्रेस से हमारी तरफ चले आये थे कि चौधरी चरण सिंह दल बदलू हैं, कुर्सी के लिये कांग्रेस को छोड़ा है, जनता को वोट नहीं डालने देते हैं लेकिन आज वही कमला पति जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वह बुरे हैं लेकिन आज पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी चाहे किसी जाति का हो, जो कमजोर है बेसहारा है, जिसका घर बार नहीं है वह चौधरी साहब के नाम से डरता है, उनके दल के नाम से डरता है। ये वे लोग हैं जो गांधीवाद का नारा लगाते हैं और गांधी जी का नाम ले कर देश और प्रदेश की आबरू को लूटा है पिछले २२ वर्ष से। गांधी जी के सिद्धान्तों पर जिनको चलना चाहिये था उन्होंने प्रदेश को लूटा, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, गरीबों से टैक्स लिया चाहे उनकी आमदनी कुछ भी न हो। चौधरी साहब ८ तारीख को कह रहे थे कि लगान माफ कर दिया जायगा लेकिन १० को कहते हैं कि माफ नहीं किया जायगा। कितना बड़ा अन्तर हो गया? शहर के रहने वालों की आमदनी पर टैक्स हो लेकिन चौधरी साहब को यह मानना चाहिये कि जहां पर सवा ६एकड़ छोड़ २१एकड़ से भी आमदनी नहीं होती, बचत नहीं होती। तो उन से भी नहीं कर लेना चाहिये। चौधरी साहब को जिद हो गई है। जो उधर बैठते हैं उन पर हमें यकीन नहीं है। उन्होंने कभी गरीब की बात नहीं कही। दुनिया के सारे देशों में हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा गरीब है। आचार्य जी कह रहे थे कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे गरीब है ठीक है। लेकिन इस प्रदेश के मालिक कौन रहे। इसके सर्वे-सर्वा चौधरी साहब, श्री सी० बी० गुप्ता और कमलापति जी वगैरा ही रहे। ये नहीं रहे तो कौन रहा। किस को मौका मिला? कहां से तब्दीली आयेगी? हमारा यकीन नहीं है कि तब्दीली आयेगी। इन चेहरों से कभी तब्दीली नहीं आ सकती है। ये वही चेहरे हैं। कभी इधर बैठ जाते हैं और कभी उधर बैठ जाते हैं। कुर्सी बदल रही है लेकिन विचार नहीं बदलते। जब तक विचार नहीं बदलते हैं तब्दीली नहीं आ सकती। जो गरीब जनता में नारे लगा कर यहां चले आते हैं और यहां नारे लगा कर जनता को धोखा देते हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है।

चौधरी साहब ने जो ३० एकड़ वाली सीलिंग की बात कही वह हमें अच्छी लगी। हमारे प्रदेश में जमीन बहुत कम है। आज लोगों के पास मकान नहीं है। हमारे सारे साधनों

पर चन्द लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर साधन बढ़ेंगे नहीं तो प्रदेश कैसे मजबूत होगा। दूसरों के मुकाबले में हम अपने प्रदेश को कैसे ऊंचा उठा सकेंगे। जब तक हमारे गरीब लोगों को न्याय, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता तब तक कैसे हमारा प्रदेश ऊंचा उठ सकता है।

हमारे देश और प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो एक पूरी कौम का भारतीयकरण करना चाहते हैं। यह समझ में नहीं आता कि भारतीयकरण क्या चीज है। किस चीज का भारतीयकरण करें क्या उनका जिन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जानें खो दीं, जिन्होंने चीन की लड़ाई में अपने जेवर और जीवन का बलिदान दे दिया। जो लोग भारतीयकरण की बात कर रहे हैं उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त वे लोग कहां थे? आज मंदिर, मस्जिद का नाम छोड़ना पड़ेगा और बुनियादी मसलों को उठाना पड़ेगा। जब बुनियादी मसले उठेंगे तभी हमारे यहां समाजवाद आयेगा। चाहे इंडीकेट हों चाहे सिंडीकेट हो यह दोनों समाजवादी कभी नहीं हो सकते हैं। समाजवाद के नाम पर ये लोग २३ वर्ष तक देश और प्रदेश को गरीबी को खाई में डाले रखे। हम चौधरी साहब से कहेंगे कि प्रदेश की ९ करोड़ जनता के लिये समाजवाद लाएं और अपने कर्मचारियों को समाजवाद दे दें यानी अपने कर्मचारियों को समानता दे दें। एक सिपाही है जिसे ८५ रुपये मिलते हैं और आई० जी० को ३–४ हजार रुपये मिलते हैं। जब इतनी असमानता है तो समाजवाद कैसे देंगे। आज अध्यापकों का मसला है, पंचायत मंत्रियों का मसला है। क्या कर्मचारियों को डराने से काम चल जायेगा और आपका शासन अच्छा हो जायेगा। हमारे जिले में दौराला थाना पड़ता है। हम संसोपा के हैं। हम भी सदस्य हैं और अच्छे ढंग से जीतकर आए हैं। हो सकता है कि हमने पैसा कम खर्च किया हो और यह भी हो सकता है कि हमने जाति बिरादरी के नाम पर वोट न मांगे हो परन्तु फिर भी चौधरी साहब अपने बारे में यह सोचते हैं कि मैं हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी हूं, यह बात उनको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ईमानदार और भी हो सकते हैं। एक दरोगा ने बी० के० डी० के एक आदमी को कहीं परेशान कर दिया था कि उसका तबादला टेहरी-गढ़वाल को कर दिया गया। बी० के० डी० के एक एम० एल० ए० साहब ने शिकायत कर दी कि वहां का एक्जीक्यूटिव आफीसर बड़ा बेईमान है और उसका तबादला कर दिया गया। वहां का डी० आई० जी० एक बूढ़ा आदमी था उसका भी तबादला नैनीताल को कर दिया गया। तबादले का समय होना चाहिये। जो कर्मचारी बेईमान है उनके खिलाफ कोई माकूल कार्यवाही होनी चाहिये, उसके साथ वही कार्यवाही होनी चाहिये जो साधारण नागरिक के साथ होती है, तबादला कोई सजा नहीं है।

एक बात मैं सब लोगों से अर्ज करूंगा कि वे एक बात मान लें कि मुख्य मंत्री चौधरी साहब ही रहें। क्योंकि वगैर मुख्यमंत्री के वे रह नहीं सकते, कुर्सी का मोह उनको बहुत हो गया है। इसलिये उनको मुख्य मंत्री बने रहने दें। बेचारे बूढ़े आदमी हैं। उनकी इस बात को सब लोग मान लें। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ तक की जो लगान माफी की बात है तो वह भी मान लें। यह इस प्रदेश की बुनियादी मांग है। समान वेतन, समान भत्ता उनको मानना पड़ेगा। उनको जात बिरादरी से ऊपर उठ कर, दल से ऊपर उठ कर आगे को बढ़ना होगा। अगर वे वाकई गांधीवादी हैं। प्रदेश की गड़बड़ तभी मिट सकती है। लेकिन आज का जो गरीब है उसको रोटी नहीं है, दवा नहीं है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने २३ सालों में उसके लिये कुछ नहीं किया। उसको आज यह भी हक पूरी तरह से नहीं है कि वह अपना वोट कहां डाले। अगर गरीबों को आजादी से वोट डालने का मौका मिल जाय तो इन्द्रा गांधी आज देश की प्रधान मंत्री न होती, किसी गरीब की लड़की होती और आज इस प्रदेश का मुख्य मंत्री चरण सिंह या गुप्ता जी नहीं होते, किसी गरीब का लड़का होता। मजदूर का लड़का होता और तब इस प्रदेश की गरीबी मिटती। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि चौधरी साहब सवा छ एकड़ वाली बात को मान लें और फिर वे वहीं बने रहें। वे यह भी मान लें कि चौधरी साहब ही ईमानदार नहीं हैं और भी हैं ईमानदार लोग। उनको दल से ऊपर उठकर इन बातों को सोचना चाहिये, तभी देश और प्रदेश से गरीबी मिट सकती है। इन

[श्री मंजूर अहमद]

शब्दों के साथ मैं सवा छः एकड़ वाली मांग की ताईद करता हूं और अगर वह नहीं मानी गई तो चाहे चौधरी साहब की सरकार हो चाहे चन्द्रभानु गुप्ता की सरकार हो, उसको गिराने की कोशिश करता रहूंगा। यह बात मान लें तो कोई भी बैठा रहे।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसमें सवा छः एकड़ यानी अलाभकर जोतों से लगान की माफी, प्रोफेशन टैक्स की माफी, एडेड स्कूल्स के टीचर्स और गैर-शिक्षक स्टाफ का वेतन सरकार की ओर से मिलना चाहिये, हरिजनों को नौकरी में ४५ प्रतिशत दिया जाय जब तक कि उनका रेशियो पूरा न हो जाय, इर्रीगेशन की दरों को घटाया जाय तथा हिंदी और उर्दू के बारे में है। इन ६ चीजों में इसको बांटा गया है।

जिन चीजों को विभिन्न मदों में बांटा गया है उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। कहा गया कि कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई लेकिन कांग्रेस के दो टुकड़े होने का कारण यह है कि इस देश में दो विचारधाराएं रहीं है। एक समाजवादी और दूसरी कुर्सीवादी। कुर्सीवादी के हाथ में पूंजीपति रहा और पूंजीपति पैसे से कुर्सी उपलब्ध कराता रहा और इस तरह से २० वर्ष से कुर्सीवादी लोग गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इधर और उधर ऐसे हैं जो कि कुर्सियों पर रहे हैं और जिनको गरीबों का ध्यान नहीं रहा है, हमेशा साधन सम्पन्न लोगों को उठाते रहे हैं। उन्होंने देश में भ्रम फैला रक्खा है, अच्छे अच्छे भाषण दिए हैं और जनता को हमेशा गुमराह किया है। मैं आपको साफ साफ बतलाना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी है बहुत सुन्दर नहीं है अब भी सतर्क हो जाइए वर्ना १० वर्ष के अन्दर पब्लिक ट्रायल उन लोगों का होगा जो कि मंत्रियों की कुर्सी पर रहे हैं और प्रदेश और देश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने कहा कि प्रदेश आगे बढ़े परन्तु प्रदेश आगे कैसे बढ़े ? आपने तो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया, आपने तो कुछ व्यक्तियों को आगे बढाया है जो आपकी नीति थी व यह थी कि अपने व्यक्ति आगे बढें और फेवरिट्स आगे बढ़ें। गरीबों को तो आगे बढ़ने का आजतक मौका ही नहीं दिया गया है और मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग करता हूं कि जितने भी भूतपूर्व मंत्री हैं उनकी जांच कराई जाय और यह पता लगाया जाय कि उन मंत्रियों के रिश्तेदार और नातेदार और फेवरिट्स कितने हैं जिनको उन्होंने बढ़ाया है। इससे बहुत कुछ स्थिति साफ हो जावेगी और मामला सामने आ जावेगा और यह पता भी लग जावेगा कि ये लोग देश के प्रति कितने वफादार थे और कुर्सी के प्रति कितने वफादार थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि

सचिव, वेद, गुरु तीन जो प्रिय बोलें भय आस,
राज, धर्म, तन तीन कर होय वेग ही नाश।

मैं तो तुलसीदास जी के इस दोहे में विश्वास करता हूं कि और इसके सहारे ही प्रदेश की पब्लिक का भला होगा। आज होता यह है कि सिंडीकेटी नेता भाषण देते हैं और चाहते हैं कि अखबारों में खूब बढ़ा चढ़ाकर छापे जाएं लेकिन २० सालों में आपने इन लोगों को कितना प्रोत्साहन दिया है

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह इन्दिरा जी से पता कीजिए।

श्री मदन मोहन मिश्रा--

मैं सिंडीकेटियों से, जो २० साल तक शासक रहे हैं, उनसे पूछना चहता हूं। इन्दिराजी से तो गरीबों को एक सहारा मिला है और उनमें विश्वास हो गया है, कि समाजवाद आयेगा।

सिंडीकेट कितना ही चिल्लाएं इन्दिराजी को हटा नहीं सकते, उनके कदम सही हैं और आप लोग उनको छू नहीं सकते हैं। इन्दिराजी देश को आगे बढ़ा रही हैं और मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिराजी पर कीचड़ उछालना सूरज पर कीचड़ उछालना है। (व्यवधान) इनके साथ ही अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जनरलिस्ट (पत्रकारों) को क्या सुविधाएं दी हैं? कवियों को क्या सुविधाएं दी हैं, और उनका मनोबल कितना बढ़ाया है? आज किस बात पर उम्मीद करते हैं कि वे आपके होकर रहेंगे। हमारे पत्रकारों की क्या स्थिति है? आज पत्रकार भूखा रहकर सेवा करता है। इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उसकी तरफ, उसके परिवार की तरफ और उसकी दयनीय स्थिति की तरफ क्या ध्यान दिया है? आपने साहित्यकारों की ओर, कवियों की ओर तथा कलाकारों की ओर क्या ध्यान दिया? आपने तो अपनी जेबों की ओर ध्यान दिया। आपने पूंजीपतियों की ओर ध्यान दिया है कि भरें। आपने अपने ऐश आराम की ओर ध्यान दिया है। चौधरी साहब के बारे में कुछ बातें कही गई। चौधरी साहब तो सदा से नहले पर दहले थे वे भी कांग्रेस के तपे तपाये सिपाहियों में हैं और उनकी देश में गरीब जनता के प्रति सहानुभूति है। उन्होंने भी उसके लिये यातनायें सहीं हैं।

(व्यवधान)

इन्दिरा गांधी ने हमको समाजवाद का नारा दिया और उस पर चलने के लिये हमको प्रेरित किया।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नहले पर दहला क्या है?

एक सदस्य—

नहले पर दहला के यह अर्थ हैं कि दल बदलू।

श्री मदन मोहन मिश्रा—

इसके अर्थ यह है कि चौधरी चरण सिंह की अपनी स्पष्ट और सुदृढ़ नीति। अन्य पार्टी के लोगों ने उनको उनकी नीति से हटाने के लिये प्रयत्न किया परन्तु वह सदा अपनी नीति पर दृढ़ रहे। यही नहले पर दहला है और आप विरोधी लोग व्यर्थ ही चिल्ला रहे थे।

"कबिरा खड़ा बजार में मांगे सब की खैर,।
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर,।।

हम इस नीति पर चलते हैं। हम समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ कोई दुर्नीति चल नहीं सकती है।

श्री बांके लाल—

आप किस फेर में पड़े हैं इन्दिरा के?

श्री मदन मोहन मिश्र—

समाजवाद केवल चिल्लाने से नहीं आता। तपस्या से समाजवाद आता है और केवल चिल्लाने से यह नहीं आ सकता। आचार्य जी ने कहा कि देश कर्तव्य चाहता है। कर्तव्य क्या है पहले इसको तो आप समझें। कर्तव्य यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे देश में कोई दुखी न हो, कोई बच्चा बगैर लिखा पढ़ा न रहे कोई बे रोजगार न रहे।

[श्री मदन मोहन मिश्र]

कर्त्तव्य हमारा यह है कि प्रदेश में किसी का स्वास्थ्य खराब न रहे। कर्त्तव्य हमारा यह है कि हर नागरिक के लिए मकान हो। जीवन की मूलभूत ५ आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य। इनको सब नागरिकों के लिये उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य आवश्यक है कि हम इस कर्तव्य की ओर अग्रसर हों। केवल कर्तव्य का भाषण देने से देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कर्तव्य करने के लिये हमको साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी होगी तथा संकल्प लेना होगा। तब जा कर हम अपने कर्तव्य को पूरा कर पायेंगे। केवल लेक्चर दे देने से या इस विधान भवन के अन्दर भाषण देने से कर्तव्य पूरा नहीं होगा। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जितने भी भू पूर्व मन्त्री हुए है या एम० एल० ए० हुये है, उनकी किसी जांच आयोग द्वारा जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगो की छान बीन होनी चाहिए कि मिनिस्टर या एम० एल० ए० बनने से पहले उनकी क्या हालत थी और अब क्या है।

एक सदस्य—

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि ऐसी जांच ,होनी चाहिये।

श्री बाँके लाल—

जांच, होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मदन मोहन मिश्रा—

आपकी धमकियों से हम दबने वाले नहीं हैं। अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बजाय आपको उचित सुझाव देने चाहिये थे। आप अच्छी बातें बताते और अच्छे सुझाव देते। यदि आप ऐसा करते, तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा उपयोगी ,होता क्या इस प्रकार चिल्ल पों मचा कर आप सेवा करते हो ? यही सेवा करने का आपका ध्येय है। अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हुये आपको बीच में बोलने से मना करते है और आप बोले जा रहे है।आखिर किस तरह से इस सदन को चलाओगे ?

(व्यवधान)

अविश्वास के प्रस्ताव में आपने सवा ६ एकड़ की जोत से लगान माफ करने तथा प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करने की बात सस्ती लोक प्रियंता अर्जित करने के लिऐ केवल रखी है।

(लालबत्ती होने पर)

श्रीमन्, मझे तो पहले मौका नहीं मिला।

श्रीमन्, यदि आज मुझे मौका और बोलनेका नहीं मिलता तो कृपया २०-३-७० को तो मिलना ही चाहिये। अलाभकर जोत तो सवा ६ एकड़ भी हो सकती है और १० एकड़ और ५० एकड़ भी हो सकती है। यह कैसे कहा जा रहा है कि सवा ६ एकड़ की जोत ही अलाभकर है। मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। किसान लगान माफी नहीं चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि उसे खाद, बीज तथा सिंचाई की सुविधायें समय पर उपलब्ध करायी जायं।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था। कल भी मैंने उनसे निवेदन किया था और आज भी निवेदन किया था। माननीय रियासत हुसैन साहब ने भी आज कहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह लिख कर भेजा है कि उनका संबंध अमुक दल से नहीं है और अब वे उस दल में सम्मिलित नहीं है। उसकी सूचना नहीं दी जा रही है। श्रीमन्, मैं इस बात को एक सप्ताह से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हम २०-३-७० को ११ बजे मिलेंगे। अब हम उठते हैं।

इसके बाद सदन ५ बजे शुक्रवार, २० मार्च, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ मार्च, १९७० ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७१–७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५३ पर)

तालिका

क्र० सं०	जनपद का नाम तथा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का दिनांक		उपचारित क्षेत्रफल (एकड़ में)	व्यय धनराशि (रुपये में)
१	वाराणसी	११ सितम्बर, १९६९	१४,१२८	१,९०,४८२.७४
२	मिर्जापुर	तदेव	४,६४०	७०,३७७.२०
३	बलिया	तदेव	४,१९४	७०,२१७.०५
४	गोरखपुर	तदेव	४,२२४	६६,८४५.२७
५	गाजीपुर	तदेव	४,९४८	३९,०१७.९५
६	देवरिया	तदेव	६,२०२	१,२६,७९६.८३
७	बस्ती	तदेव	१८,७२८	१,७३,३८५.६६
८	आजमगढ़	तदेव	१६,६४५	१,७५,२३७.४२
९	फैजाबाद	तदेव	३,७५६	८५,२९५.२५
१०	प्रतापगढ़	तदेव	५,११९	९१,३२४.८९
११	बाराबंकी	तदेव	५,४२७	१,४९,४५२.४८
१२	इलाहाबाद	तदेव	८,७१४	१,३६,०९४.५५
१३	रामपुर	१५ सितम्बर, १९६९	२,२४४	३२,३९१.३५
१४	गोंडा	२३ सितम्बर १९६९	१०,४२५	१,०९,१०८.२६
१५	बहराइच	तदेव	२,३९४	४८,५५४.६७
१६	सीतापुर	तदेव	१,३५८	६५,९१७.३२
१७	कानपुर	तदेव	२,४५३	३९,२५९.८२
१८	जौनपुर	११ सितम्बर १९६९	२,८६९	४६.४७४.७४
१९	सुलतानपुर	तदेव	२,०७६	१८,२७४.१७
२०	नैनीताल	१५ सितम्बर १९६९	१७४	१,३९३.५१
२१	रायबरेली	तदेव	३,५८६	३४.१२५,८७
२२	फतेहपुर	२३ सितम्बर १९६९	१,५२८	१०,२५७.५७
२३	उन्नाव	८ अक्तूबर, १९६९	२,६६५	६९,७४१.२५
२४	हरदोई	तदेव	१,००१	६,७७४.०३
२५	लखनऊ	तदेव	३०७	६,६८९.१७
		योग ..	१,३०,८०५	१८,६३,४८८.०२

प्रश्न सं० ७२ के उत्तर से सम्बन्धित जिलों की सूची

क्रम संख्या	जनपद का नाम
१	फतेहपुर
२	आजमगढ़
३	बनारस
४	बलिया
५	गाजीपुर
६	मिर्जापुर
७	जौनपुर
८	बाराबंकी
९	गोरखपुर
१०	देवरिया
११	बस्ती
१२	इलाहाबाद
१३	बुलन्दशहर
१४	मैनपुरी
१५	जालौन
१६	झांसी
१७	प्रतापगढ़
१८	कानपुर
१९	गोंडा
२०	हरदोई
२१	इटावा
२२	रायबरेली
२३	अलीगढ़
२४	रामपुर
२५	आगरा
२६	सहारनपुर
२७	मुजफ्फरनगर
२८	मेरठ
२९	फर्रुखाबाद
३०	बहराइच
३१	फैजाबाद
३२	सुलतानपुर
३३	एटा
३४	शाहजहांपुर
३५	बदायूं
३६	बाँदा
३७	मथुरा
३८	पीलीभीत
३९	लखीमपुरखीरी

उत्तर प्रदेश सरकार